दिनांक: ______________________

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

विषय: दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होने की पुष्टि

प्रिय महोदय,

1. मैं/हम, हस्ताक्षरकर्ता, इस प्रकार पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और घोषणा करता है कि मैं/हम अंग्रेजी भाषा को समझते हैं और मैं/हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं।

2. मैं/हम, हस्ताक्षरकर्ता, इसके अतिरिक्त निम्न की पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमति देता है:

   (i) उधारकर्ता द्वारा ली जा रही लोन सुविधा से संबंधित सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किए जाएंगे, जिनमें लोन अनुबंध, प्रविष्टि ज्ञापन, मॉरगेज संबंधी घोषणा, लोन आवेदन पत्र, प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र, विलेख, ज्ञापन शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और कि मैं/हम अब या भविष्य में दस्तावेजों के अंग्रेजी भाषा में निष्पादन के संबंध में किसी भी आपत्ति नहीं करेंगे;

   (ii) सभी दस्तावेज जो प्रस्तुत किए जाने हैं या ऐसी क्रेडिट सुविधा से संबंधित संचार, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगे।

आपका विश्वासपूर्वक,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

मुख्य तथ्यात्मक विवरण/फैक्ट शीट

दिनांक:
विनियमित संस्था का नाम: इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
आवेदक का नाम:

भाग **A** – (ब्याज दर, फीस और शुल्क)

1.	लोन प्रस्ताव/खाता नंबर			ऋण का प्रकार	
2.	सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)				
3.	वितरण अनुसूची (i) वितरण चरणों में या 100% अग्रिम: (ii) अगर यह चरणवार है, तो लोन अनुबंध के लागू विवरण वाले खंड का उल्लेख करें			वितरण एकमुश्त या किश्तों/ट्रैंचेस में किया जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया लोन अनुबंध का खंड 4 देखें।	
4.	लोन अवधि (वर्ष/महीने)				
5.	किस्तों का विवरण				

ईएमआई/ ईपीआई के संबंध में	किश्त का प्रकार	ईपीआई/ईएमआई की संख्या:	ईपीआई/ईएमआई (₹ में):	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
पीईएमआईआई के संबंध में	किश्त का प्रकार	पीईएमआईआई की संख्या	पीईएमआईआई (रुपयों में)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत

6.	ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड):	निश्चित ब्याज दर @ _______ %
7.	फ्लोटिंग दर्ज ब्याज की स्थिति में अतिरिक्त जानकारी:	लागू नहीं
8.	फीस/शुल्क	

			लोनदाता को देय (A)		लोनदाता के माध्यम से थर्ड पार्टी को देय (B)	
			एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जैसा लागू हो)	एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जैसा लागू हो)
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बीमा शुल्क (अगर उधारकर्ता द्वारा चुना गया हो)		लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(a)	संपत्ति बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(b)	स्वास्थ्य बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(c)	अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(iii)	संपत्ति की जांच/ निरीक्षण के लिए शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	दस्तावेज शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	स्टांपिंग शुल्क	एकमुश्त	वास्तविक के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	सुरक्षा निर्माण शुल्क	एकमुश्त	वास्तविक के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	गैप-डे ब्याज:	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)				
9.	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर % में) (एपीआर की गणना के लिए भाग C देखें)			____________% सभी शुल्क सहित,	____________% सभी शुल्क सहित, बीमा शुल्क को छोड़कर
10.	आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)				
(i)	देर से भुगतान पर दंड शुल्क (अगर कोई हो)				विलंबित भुगतान पर प्रति वर्ष 36%
(ii)	अन्य दंड शुल्क (अगर कोई हो, विवरण दें)				
(a)	चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा ("ईसीएस") अस्वीकृति शुल्क				प्रति अस्वीकृति 500 रुपये
(b)	डुप्लिकेट नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुल्क				समाप्त/खोई एनओसी के लिए ₹ 500
(c)	स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुल्क				₹ 500
(d)	स्वैपिंग शुल्क (ईसीएस/एनएसीएच/पोस्ट डेटेड चेक से)				₹ 1000
(e)	रोल ओवर पोस्ट डेटेड चेक शुल्क				₹ 500
(f)	नॉन पोस्ट डेटेड चेक शुल्क (नकद भुगतान मोड)				₹ 500
(g)	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन और नोटिस शुल्क				वास्तविक अनुसार
(h)	प्रवर्तन शुल्क				वास्तविक अनुसार
(i)	आउटस्टेशन चेक कलेक्शन शुल्क				वास्तविक अनुसार
(j)	संपत्ति की मरम्मत से संबंधित शुल्क				वास्तविक अनुसार
(k)	किसी भी कार्रवाई/प्रक्रिया के शुल्क और खर्च				वास्तविक अनुसार
(l)	दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शुल्क				लोन समापन के बाद मुफ्त, अन्यथा प्रत्येक पुनर्प्राप्ति पर 1000/- रुपये
(m)	कानूनी शुल्क				वास्तविक अनुसार
(n)	लोन कैंसल करने का शुल्क (यदि लोन कूलिंग अवधि के बाद कैंसल किया जाता है)				कम से कम ₹ 3000/- या जितने दिनों का

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

		ब्याज है**, जो भी ज्यादा हो
(o)	सुरक्षा सुरक्षा शुल्क	वास्तविक अनुसार
(p)	भुगतान कलेक्शन शुल्क (एफवीसी)	₹ 200 प्रति लेनदेन
(q)	दस्तावेजों की सूची प्रदान करने के लिए शुल्क	₹ 500/-
(r)	पूर्वसमापन विवरण	शून्य
(s)	ब्याज प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शुल्क	₹ 200/- (प्रत्येक तिमाही के लिए एक बार मुफ्त)
(t)	रजिस्टार/ सब-रजिस्टार कार्यालय को मॉरगेज की जानकारी की सूचना (अगर लागू हो)	उधारकर्ता को अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर शुरू और पूर्ण करना होगा
(u)	प्रभार के लिए आरओसी की सूचना (जहां संपत्ति का मालिक कोई कंपनी है)	उधारकर्ता को अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर शुरू और पूर्ण करना होगा
(v)	सीईआरएसएआई शुल्क	प्रति संपत्ति 100/- रुपये
(w)	पूर्वसमापन शुल्क/ आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क	बकाया मूलधन का 4%
(x)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)	

**सभी शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं हैं*

***दिनों की संख्या: वितरण की तिथि से लेकर पूर्ण कैंसल राशि प्राप्त होने की तिथि तक।*

-लगाए गए शुल्क की रसीद ग्राहक को प्रदान की जाएगी

भाग **B** – (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1.	रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित लोन अनुबंध का खंड	खंड 15
2.	लोन अनुबंध का खंड, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	खंड 45
3.	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	खंड 45
4.	क्या लोन वर्तमान में, या भविष्य में किसी अन्य बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, वित्तीय संस्था को हस्तांतरित या प्रतिभूतिकृत किया जा सकता है (हां/नहीं)	हाँ
5.	सहयोगी (कोलेबोरेटिव) लोन व्यवस्था (जैसे, सह-लोन/आउटसोर्सिंग) के तहत लोन देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	लागू नहीं

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

मूल लोनदाता का नाम और उसका वित्तपोषण अनुपात	साझेदार लोनदाता का नाम और उसका वित्तपोषण अनुपात	ब्याज की मिश्रित दर
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6.	डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(i)	कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि	3 (तीन) दिन
(ii)	उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत रिकवरी एजेंट का विवरण	वर्तमान में कोई रिकवरी एजेंट नियुक्त नहीं है। रिकवरी एजेंट नियुक्त होने पर विवरण उधारकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।

भाग C – (एपीआर गणना के लिए शीट)

क्र. सं.	मापदंड		विवरण
1.	अनुमोदित लोन राशि (रुपए में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 2)		
2.	लोन अवधि (वर्ष/महीने/दिन में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 4)		
(a)	गैर-समतुल्य आवधिक लोनों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या		लागू नहीं
(b)	ईएमआई का प्रकार (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
	प्रत्येक ईएमआई की राशि (रुपए में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
	ईएमआई की संख्या (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
(c)	पीईएमआईआई का प्रकार (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
	प्रत्येक पीईएमआईआई की राशि (रुपयों में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
	पीईएमआईआई की संख्या (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
(d)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, अगर कोई हो		लागू नहीं
(e)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)		
3.	ब्याज दर का प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 6)		निश्चित
4.	ब्याज दर (केएफएस के भाग A का क्रमांक 6)		________%
5.	सैंक्शन तिथि पर लागू दर के अनुसार लोन की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)		
6.	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)		
(a)	लोनदाता को पुनर्भुगतान (केएफएस के भाग A का क्रमांक 8A)		
(b)	थर्ड-पार्टी को भुगतान (केएफएस के भाग A का क्रमांक 8B)		
7.	निवल वितरित राशि (क्रमांक 1 (-) क्रमांक 6) (₹ में)		
8.	उधारकर्ता द्वारा कुल देय राशि (क्रमांक 1 और क्रमांक 5 का योग) (रुपयों में)		
9.	वार्षिक प्रतिशत दर – प्रभावी वार्षिकीकृत ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 9)।	____________% सभी शुल्क सहित,	____________% सभी शुल्क सहित, बीमा शुल्क को छोड़कर

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

क्र. सं.	मापदंड	विवरण
10.	नियमों और शर्तों के अनुसार, वितरण की अनुसूची	कृपया भाग A के केएफएस, क्रमांक 3 देखें।
11.	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

यह मुख्य तथ्यात्मक विवरण (केएफएस) इस केएफएस की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवसों के लिए मान्य है। लोन पाने के लिए, आपको इस केएफएस के सभी नियम और शर्तें माननी होंगी और दिए गए समय में इस पर दस्तखत करने होंगे। अगर आपकी स्वीकृति/प्रमाणन उपरोक्त अनुसार 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो यह केएफएस रद्द और निरस्त माना जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए लागू नहीं होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

धन्यवाद।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

लेंडर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से लागू, स्वीकृत, प्रमाणित, हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया।

नामित लोनदाता, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

ग्राहक की स्वीकृति

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड,

मैं/हम पुष्टि करता है कि मैंने/हमने लोन सुविधा से संबंधित केएफएस की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं और केएफएस के लिए मेरी/हमारी बिना शर्त स्वीकृति देता है।

केएफएस की सभी शर्तें मुझे/हमें, श्री/श्रीमती/सुश्री ____ (कर्मचारी/डीएसए का नाम, पदनाम और आईडी/कोड दर्ज) द्वारा समझाई गई हैं और मैंने/हमने इसे पूरी तरह से समझ लिया है।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

पुनर्भुगतान अनुसूची

<u>किश्त संख्या</u>	<u>बकाया मूल</u>	<u>मूल राशि</u>	<u>ब्याज</u>	<u>किश्त</u>

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

किश्त संख्या	बकाया मूल	मूल राशि	ब्याज	किश्त

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

किश्त संख्या	बकाया मूल	मूल राशि	ब्याज	किश्त

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

स्वीकृति पत्र

दिनांक:
संदर्भ संख्या:

ऋणकर्ता का नाम :

पता:

फोन संख्या:

सह-उधारकर्ता 1 का नाम:

सह-उधारकर्ता 2 का नाम:

सह-उधारकर्ता 3 का नाम:

सह-उधारकर्ता 4 का नाम:

सह-उधारकर्ता 5 का नाम:

सह-उधारकर्ता 6 का नाम:

महोदय/ महोदया,

विषय: इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ("आईसीएफएल") से संपत्ति पर लोन की सुविधा ("लोन") के लिए आपका आवेदन नंबर ____________है।

अपने लोन के लिए वित्तदाता के रूप में आईसीएफएल को चुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, हमने आपका लोन अस्थायी रूप से स्वीकृत किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद और लोन का उद्देश्य: संपत्ति पर लोन (एलएपी)/ ______________________________
स्वीकृत लोन राशि: ₹ ______________________
ब्याज का प्रकार: निश्चित
ब्याज दर (आरओआई): लोन की अवधि के लिए __________% प्रति वर्ष।
समान मासिक किश्त ("ईएमआई") राशि: मूलधन और ब्याज के भुगतान हेतु ₹ __________________ ।
पूर्व-समान मासिक किश्त ब्याज ("पीईएमआईआई") राशि (अगर लागू हो): ₹ _________________________/-.
लोन अवधि: लोन के तहत प्रथम वितरण की तिथि से / ईएमआई शुरू होने की तिथि से ______________ माह।
पुनर्भुगतान की आवृत्ति:

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

उपलब्ध अवधि:	
वितरण अनुसूची:	
लागू कुल प्रोसेसिंग शुल्क: __________ + लागू वस्तु और सेवा कर ("जीएसटी")।	
दस्तावेजीकरण शुल्क: ₹	
मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क: प्रति संपत्ति ₹ ________________ (जीएसटी को छोड़कर)।	
कानूनी शुल्क: वास्तविक खर्च के अनुसार।	
बीमा प्रीमियम/ शुल्क: ₹ _______________________	
सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत संपत्ति का विवरण:	संपत्ति का प्रकार: संपत्ति का पता:
मॉरगेज का पंजीकरण/ सूचना और भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ प्रभार का पंजीकरण	उधारकर्ता ("उधारकर्ता") द्वारा लोन के लिए प्रस्तुत/ प्रस्तुत की जाने वाली संपत्तियों पर प्रभार सृजित किया जाएगा और पूर्ण किया जाएगा और मॉरगेज दस्तावेजों का विधिवत पंजीकरण संबंधित रजिस्टार/ सब-रजिस्टार कार्यालय ("एसआरओ") में किया जाएगा या आईसीएफएल की आवश्यकता के अनुसार मॉरगेज के पंजीकरण के उद्देश्य से संबंधित एसआरओ को मॉरगेज की सूचना प्रस्तुत की जाएगी और पंजीकरण का प्रमाण आईसीएफएल की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। अगर उधारकर्ता मॉरगेज सृजन की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उधारकर्ता लागू दंड (जैसा कि प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित) के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे और प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसे पूर्ण करेंगे, अन्यथा आईसीएफएल को तत्काल प्रभाव से लोन वापस मांगने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसआरओ को मॉरगेज के पंजीकरण/ सूचना और सीईआरएसएआई के साथ प्रभार पंजीकरण के संबंध में सभी शुल्क और व्यय (जिसमें दंड, विलंब शुल्क, अगर लागू हो, शामिल हैं) उधारकर्ताओं द्वारा देय होंगे। उधारकर्ता के अनुरोध पर, आईसीएफएल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, उधारकर्ता की लागत और व्यय पर एसआरओ में पंजीकरण/ सूचना की सुविधा प्रदान कर सकता है। वर्तमान तिथि के अनुसार मानक शुल्क नीचे निर्दिष्ट हैं: सीईआरएसएआई हेतु प्रति संपत्ति 100/- रुपये + लागू जीएसटी (पूरे भारत में लागू)।
लोन का पूर्वभुगतान और आंशिक पूर्वभुगतान/ पूर्वसमापन शुल्क	कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि: 3 (तीन) दिन अगर लोन अवधि से पूर्व, लेकिन कूलिंग अवधि की समाप्ति के बाद, लोन का कोई पूर्वभुगतान/ आंशिक पूर्वभुगतान किया जाता है, तो उधारकर्ता द्वारा आईसीएफएल को बकाया मूलधन का 4% + लागू जीएसटी के बराबर पूर्वसमापन/ आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क का भुगतान किया जाएगा। कूलिंग अवधि की समाप्ति के बाद, लोन के तहत प्रथम वितरण की तिथि से 12 (बारह) माह की अवधि तक किसी भी प्रकार का पूर्वभुगतान की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, उधारकर्ता के अनुरोध पर, आईसीएफएल

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

	अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, उपरोक्त 12 (बारह) माह की अवधि के भीतर पूर्वसमापन/ आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क के भुगतान के अधीन, उधारकर्ता को लोन का पूर्वभुगतान करने की अनुमति दे सकता है।
प्रभार	सभी शुल्क, आईसीएफएल द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ("केएफएस") प्रमुख तथ्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट अनुसार लगाए जाएंगे, जिनमें दंडात्मक शुल्क, बीमा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं, जो आईसीएफएल द्वारा दिनांक ______________ के प्रमुख तथ्यात्मक विवरण में दर्ज है।
चूक की घटनाएं (संकेतात्मक, विस्तृत विवरण लोन अनुबंध में दिया जाएगा)	(1) ब्याज और मूलधन का भुगतान न करना। (2) आईसीएफएल के साथ सहमत समय-सीमा के भीतर सुरक्षा का सृजन और पूर्ण न करना। (3) निर्धारित समय-सीमा के भीतर मॉरगेज/ प्रभार का पंजीकरण न करना। (4) लोन अनुबंध में निर्दिष्ट वचनों और आश्वासनों का उल्लंघन।
चूक की घटनाओं के परिणाम (संकेतात्मक, विस्तृत विवरण लोन अनुबंध में दिया जाएगा)	(1) लोन की वापसी की मांग। (2) लोन के तहत अवितरित राशि का कैंसलेशन। (3) सुरक्षा का प्रवर्तन, जिसमें संपत्ति की बिक्री शामिल है। (4) विलंबित भुगतान पर प्रति वर्ष 36% की दर से दंडात्मक शुल्क लगेगा।
नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण	*संबंधित क्षेत्र के नोडल शिकायत निवारण अधिकारी की जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट* **https://www.indostarcapital.com/contact-us** *पर दी गई जानकारी देखें।*
अन्य नियम और शर्तें	अन्य सभी नियम और शर्तें लोन अनुबंध और उससे संबंधित आवश्यक अन्य दस्तावेजों में विस्तार से प्रदान की जाएंगी और लोन की प्रकृति के अनुरूप उद्योग के लागू मानकों के अनुसार होंगी।
अधिभार, खर्च, टैक्स और शुल्क	उधारकर्ता सभी शुल्क, अधिभार, शुल्क, ड्यूटी, सरचार्ज और टैक्स (जिसमें लेनदेन से संबंधित स्टाम्प शुल्क, जीएसटी और अन्य लागू टैक्स, अगर कोई हों, शामिल हैं) के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे और उनका वहन करेंगे, लेकिन इसमें लागू कानून के तहत आईसीएफएल द्वारा देय आयकर शामिल नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बातें:

- जहां लोन वितरण की तिथि और वास्तविक ईएमआई चक्र की तिथि के बीच अंतर हो, वहां ऐसे मामलों में इस अवधि के लिए ब्याज लिया जाएगा।
- आईसीएफएल के पक्ष में संपत्ति पर समान मॉरगेज के सृजन के संबंध में प्रविष्टि ज्ञापन और मॉरगेज घोषणा का निष्पादन करना आवश्यक होगा।
- आईसीएफएल प्रोसेसिंग शुल्क, अग्रिम शुल्क और/ या मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क को लोन राशि से काटने के लिए अधिकृत है और इंडोस्टार इस स्वीकृति पत्र के अनुसार सहमत शेष राशि का वितरण करेगा। लोनदाता द्वारा काटे गए अग्रिम शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और/ या मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क गैर-वापसी योग्य/ गैर समायोज्य हैं, भले ही उधारकर्ता स्वीकृत लोन का उपयोग न करे।
- ईएमआई के भुगतान की देय तिथि प्रत्येक माह की ________ तारीख होगी और इसके अनुसार, उधारकर्ता अंतर की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा और इसकी सूचना वितरण के समय उधारकर्ता को दी जाएगी।
- बीटी पॉलिसी के लिए मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा (अगर लागू हो)।
- लोन की स्वीकृति कानूनी, तकनीकी जांच और सीईआरएसएआई जांच के सकारात्मक परिणाम के अधीन होगी।
- मॉरगेज सृजन हेतु सभी स्वामित्व दस्तावेज उधारकर्ता/ थर्ड पार्टी सुरक्षा प्रदाता (जैसा लागू हो) द्वारा मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
- सभी संपत्ति मालिकों को लोन संरचना में शामिल किया जाएगा और सह-उधारकर्ता के रूप में पहचाना जाएगा।
- वितरण के बाद शर्त के रूप में सीईआरएसएआई प्रविष्टि को ट्रैक किया जाएगा।
- उधारकर्ता द्वारा आईसीएफएल को संपूर्ण उपयोग पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

- यह स्वीकृति पत्र उधारकर्ता के साथ किसी भी पूर्व मौखिक और लिखित संचार की जगह उपयोग किया जाएगा।
- इस स्वीकृति पत्र की स्वीकृति इस बात की पुष्टि है कि उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता ने उपरोक्त दर्ज विषयवस्तु और नीचे सूचीबद्ध मानक नियम और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यह भी पुष्टि करते हैं कि उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को किसी भी मुफ्त गिफ्ट/ छूट या किसी अन्य प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जो आईसीएफएल के साथ लोन अनुबंध में दर्ज नहीं है। यह भी पुष्टि की जाती है कि लोन के संबंध में उधारकर्ताओं से कोई नकद/ धारक चेक प्राप्त नहीं किया गया है।
- उपरोक्त स्वीकृति, इस स्वीकृति पत्र की तिथि से केवल तीस (30) दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और नीचे दर्ज शर्तों के अधीन होगी।
- संपत्ति के कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन की स्वीकृति।
- ईएमआई शुरू होने तक पूर्व-ईएमआई का भुगतान उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- कृपया लोन की मानक नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

मानक नियम और शर्तें

(हस्ताक्षर करने से पहले कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें)

(1) लोन की स्वीकृति और उसके नियम और शर्तें, इस स्वीकृति पत्र ("सैंक्शन लेटर") की स्वीकृति और लोन अनुबंध ("लोन अनुबंध") और उधारकर्ताओं और आईसीएफएल के बीच अन्य दस्तावेजों और लेखों के निष्पादन के अधीन हैं, जिसमें सुरक्षा का सृजन और पूर्णता (जिसमें संपत्ति पर मॉरगेज शामिल है) और केवाईसी दस्तावेज/ जानकारी और समय-समय पर आईसीएफएल द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति शामिल है। लोन अनुबंध और/ या अन्य दस्तावेजों के नियम और शर्तें, उनके और इस स्वीकृति पत्र के बीच किसी भी विरोधाभास/ टकराव/ अंतर/ असंगति की स्थिति में इस स्वीकृति पत्र पर लागू होंगे।

(2) संपत्ति के सभी मालिक लोन के सह-उधारकर्ता होंगे और आयु, निवास, आय के दस्तावेजी प्रमाण आईसीएफएल की संतुष्टि के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

(3) यह स्वीकृति पत्र लोन अनुबंध का अभिन्न अंग होगा। लोन अनुबंध में इस स्वीकृति पत्र में दर्ज शर्तों के अतिरिक्त अन्य नियम और शर्तें हो सकती हैं/ होंगी।

(4) इस स्वीकृति पत्र के तहत, उधारकर्ता के लिए लोन की स्वीकृति के लिए इस स्वीकृति पत्र की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि उपलब्ध रहेगी, बशर्ते कि उधारकर्ता स्वीकृति पत्र की स्वीकृत प्रति आईसीएफएल को सौंपते समय उसके साथ पेजों के पीछे दर्ज प्रशासनिक शुल्क/ व्यय/ पूर्व-निर्धारित खर्च आईसीएफएल के पास जमा करें। उधारकर्ता द्वारा आईसीएफएल को देय प्रोसेसिंग शुल्क और मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं।

(5) लोन, पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन के अधीन, मांग पर उधारकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, आईसीएफएल अपने एकमात्र विवेकाधिकार से बिना कोई कारण बताए लोन या उसके किसी भाग रोकने और/ या कैंसल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(6) अगर लोन के उद्देश्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है; अगर उधारकर्ता द्वारा दी गई कोई जानकारी और/ या कथन गलत और/ या अपूर्ण और/ या भ्रामक पाया जाता है; अगर लोन के नियम और शर्तों का उल्लंघन होता है; अगर लोन की सुरक्षा के रूप में मॉरगेज रखी जाने वाली संपत्ति की कानूनी/ तकनीकी/ मूल्यांकन संबंधी कोई भी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है; अगर उधारकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर इस स्वीकृति पत्र की विधिवत स्वीकृत प्रति आईसीएफएल को प्रस्तुत नहीं करता है, तो आईसीएफएल को लोन की स्वीकृति को कैंसल करने और लोन की सभी या किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार होगा, और महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में आईसीएफएल का निर्णय उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(7) लोन का पुनर्भुगतान मूलधन और/ या अर्जित ब्याज राशि से युक्त ईएमआई और/ या पीईएमआईआई के माध्यम से किया जाएगा। लोन का पुनर्भुगतान राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस हाउस ("एनएसीएच") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किया जाएगा। अगर मुद्रा बाजार की परिस्थितियों में कोई अप्रत्याशित या असाधारण परिवर्तन होता है, तो आईसीएफएल अपने एकमात्र विवेकाधिकार से उपयुक्त रूप से और भावी प्रभाव से ब्याज दर में परिवर्तन कर सकता है।

(8) ब्याज दर निर्धारित करने के लिए जोखिम के स्तर और आधार आईसीएफएल की ब्याज दर नीति में दर्ज है (जो आईसीएफएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है) और उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने आईसीएफएल की ब्याज दर नीति पढ़ी है और ब्याज दर लगाने के तर्क को समझता है।

(9) लोन पात्रता और ईएमआई राशि, वर्तमान ब्याज दर पर आधारित है और निम्न में होने वाले किसी भी संशोधन के अधीन है: (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसंपत्तियों पर मानक प्रावधान में संशोधन; (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम भार में वृद्धि; (iii) आईसीएफएल के एकमात्र विवेकाधिकार में उधारकर्ता की साख में गिरावट; और/ या (iv) नियामक प्राधिकरणों/ भारतीय रिजर्व बैंक के बाहरी तौर पर लागू निर्देशों में परिवर्तन।

(10) अगर लोन संपत्ति पर लोन, भूखंड पर लोन के रूप में स्वीकृत किया गया है और/ या जहां कोई नीतियां, नियम और दिशानिर्देश नहीं हैं, तो पूर्वभुगतान/ पूर्वसमापन शुल्क और प्रभार (अगर इस स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट नहीं हैं) लोन अनुबंध की शर्तों और परस्पर सहमत पूर्वभुगतान शुल्क के अनुसार लागू होंगे, जिनका विशेष रूप से उल्लेख लोन अनुबंध की अनुसूची में किया गया है।

(11) आईसीएफएल ने यहां उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्ययों की गणना और आकलन के आधार पर लोन की स्वीकृति दी है। अगर उद्देश्यों की पूर्ति की लागत गणना की गई राशि से अधिक या कम हो जाती है, तो आईसीएफएल को अपने एकमात्र विवेकाधिकार से लोन को कैंसल करने या स्वीकृत राशि को घटाने का अधिकार होगा और इस संबंध में आईसीएफएल का निर्णय उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(12) अन्य सभी नियम और शर्तों के अतिरिक्त, आईसीएफएल द्वारा स्वीकृत लोन और उसकी शर्तें, आवेदन की गई राशि और अवधि के लिए अंतिम हैं और सभी उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगी। हालांकि, आईसीएफएल के पास लोन की निरंतरता के दौरान, लोन वितरण के लिए निष्पादित किए जाने वाले लोन अनुबंध की शर्तों के अनुसार, लोन की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है।

(13) उधारकर्ता के लिए यह माना जाएगा कि उन्होंने आईसीएफएल को उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी और आंकड़ों और लोन सुविधा से संबंधित विवरणों को भारतीय लोन सूचना ब्यूरो लिमिटेड ("सिबिल") और/ या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी लोन सूचना कंपनी को प्रकट करने हेतु अपनी स्पष्ट सहमति प्रदान की है।

(14) आईसीएफएल को अपने एकमात्र विवेकाधिकार से किसी भी समय लोन की किसी भी शर्तों में संशोधन करने या लोन को कैंसल कर वापस मांगने का अधिकार सुरक्षित है।

(15) संपूर्ण उपयोग – उधारकर्ता आईसीएफएल की संतुष्टि के अनुरूप और विधि के अनुसार लोन के संपूर्ण उपयोग के संबंध में प्रतिज्ञा प्रस्तुत करेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(16)	संपत्ति और समुचित जांच – (1) कानूनी खोज और तकनीकी रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए (2) सभी सत्यापन रिपोर्ट सकारात्मक होनी चाहिए (3) आईसीएफएल अधिकारी द्वारा संपत्ति का निरीक्षण संतोषजनक होना चाहिए (4) संपत्ति के स्वामित्व हेतु पूर्ण दस्तावेजी श्रृंखला आईसीएफएल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
(17)	अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए शर्त – संपत्ति को लीज/लीव एंड लाइसेंस/टेनेंसी (पट्टा/छुट्टी और लाइसेंस/किराएदारी) के आधार पर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आईसीएफएल से लिखित में अनुमोदन न दिया जाए। अगर उधारकर्ता के विदेश प्रवास के दौरान संपत्ति को लीज/लीव एंड लाइसेंस/टेनेंसी (अगर आईसीएफएल द्वारा सहमति दी गई हो) के आधार पर दिया जाता है, तो उधारकर्ता यह वचन देता है कि वह संपूर्ण किराया राशि का उपयोग लोन के पुनर्भुगतान हेतु करेगा, भले ही संपूर्ण किराया निर्धारित ईएमआई से अधिक हो। ऐसी स्थिति में, जहां किराया राशि लोन के पुनर्भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, आईसीएफएल अपने एकमात्र विवेकाधिकार से ईएमआई के पुनर्निर्धारण हेतु पोस्ट-डेटेड चेकों में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है।
(18)	बीमा – (1) आईसीएफएल की अनुशंसा के अनुसार और उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत रूप में, उधारकर्ता द्वारा संपत्ति और/ या उधारकर्ता के लिए बीमा कराया जाएगा। (2) उक्त संपत्ति के लिए लिया गया बीमा, वितरण की तिथि से 10 दिनों के भीतर आईसीएफएल के पक्ष में समनुदेशित किया जाएगा।
(19)	उधारकर्ता शब्द में जहां उपयुक्त हो वहां सह-उधारकर्ता भी शामिल होगा, सिवाय उन स्थितियों के जहां संदर्भ से कुछ और अर्थ निकलता हो, और कंपनी के सभी उल्लेखों से आशय आईसीएफएल होगा।
(20)	सभी भुगतान इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में चेक या आईसीएफएल को स्वीकार्य अन्य किसी भुगतान विधि द्वारा, भुगतान की रसीद के साथ किए जाएंगे।
(21)	आईसीएफएल को किसी भी सेवा के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त करने के अधिकार होगा और ऐसे थर्ड पार्टी आईसीएफएल के सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों का पालन कर सकते हैं, जो लोन से संबंधित अनुबंध के तहत निष्पादित होने हैं।

लोन खाते या हमारी अन्य सेवाओं के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण या जानकारी हेतु कृपया ____________________________ पर संपर्क करें (*कृपया हमारी शाखा के संपर्क व्यक्ति का नाम और विवरण देखें*)।

किसी भी प्रश्न और सुझाव के लिए कृपया हमें हमारे ग्राहक सेवा ईमेल एड्रेस पर लिखें।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

धन्यवाद।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

लेंडर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से लागू, स्वीकृत, प्रमाणित, हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया।

नामित लोनदाता, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

ग्राहक की स्वीकृति

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड,

मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने मुझे प्रदान की गई लोन सुविधा की स्वीकृति से संबंधित सभी नियम और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त स्वीकृति पत्र में निहित और लोन अनुबंध और अन्य दस्तावेजों में विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाने वाले नियम और शर्तों के अनुसार स्वीकृत लोन सुविधा के लिए अपनी/हमारी बिना शर्त स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उधारकर्ता द्वारा यह सहमति, स्वीकृति और पुष्टि की जाती है कि उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान की विशिष्ट और सटीक तिथियों, निर्दिष्ट तिथियों पर भुगतान न करने के कारण स्पेशल मेंशन एसेट्स ("एसएमए") और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स ("एनपीए") के वर्गीकरण की प्रक्रिया और उसके परिणामों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उनसे पूरी तरह अवगत हैं। इसी के साथ आईसीएफएल के प्रतिनिधियों द्वारा उधारकर्ता को उनके लिए लिए जा रहे लोन से जुड़े उदाहरण और चित्रण सहित विस्तारपूर्वक समझाया गया है, जो उधारकर्ता की संतुष्टि के लिए पर्याप्त है।

उपरोक्त लोन सुविधा की स्वीकृति की सभी शर्तें मुझे/हमें, श्री/श्रीमती/सुश्री ____ (कर्मचारी/डीएसए का नाम, पदनाम और आईडी/कोड दर्ज) द्वारा समझाई गई हैं और मैंने/हमने इसे पूरी तरह से समझ लिया है।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

(आवश्यक मूल्य के स्टाम्प पत्र पर होना चाहिए)

<u>लोन अनुबंध</u>

यह लोन अनुबंध ("एग्रीमेंट") अनुसूची में दर्ज स्थान पर और तिथि को निम्न पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है:

एक पक्ष के रूप में, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ पर स्थित है और अन्य स्थानों के साथ एक शाखा कार्यालय ____ पर स्थित है (जिसे आगे "आईसीएफ" या "इंडोस्टार" या "लोनदाता" कहा जाएगा, और जब तक संदर्भ या अर्थ से अन्यथा प्रतिकूल न हो, इसमें उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती और हस्तांतरिती शामिल होंगे);

और

दूसरे पक्ष के रूप में, अनुसूची में दर्ज उधारकर्ता ("उधारकर्ता", जिसका अर्थ, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल न हो, अनुसूची में दर्ज सह-उधारकर्ता (अगर कोई हों) को सम्मिलित माना जाएगा और निम्न के मामले में: (a) किसी व्यक्ति के संबंध में, उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती; (b) एक एकल स्वामित्व फर्म के संबंध में, मालिक (उसकी व्यक्तिगत क्षमता में और उक्त प्रतिष्ठान के मालिक के रूप में) और उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, अनुमत समनुदेशिती और प्रतिष्ठान के उत्तराधिकारी; (c) एक कंपनी के संबंध में, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती; (d) एक सीमित दायित्व साझेदारी के संबंध में, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती; (e) एक साझेदारी फर्म के संबंध में, प्रत्येक साझेदार और उनमें से जीवित रहने वाले और समय-समय पर साझेदार (उनकी व्यक्तिगत क्षमता में और फर्म के साझेदार के रूप में) और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, अनुमत समनुदेशिती और फर्म के उत्तराधिकारी; (f) एक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के संबंध में, कर्ता और सहभाजक और परिवार के सदस्य और उनके जीवित रहने वाले और उसके/ उसकी/ उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती; और (g) एक ट्रस्ट के संबंध में, वर्तमान समय के ट्रस्टी और/ या लाभार्थी और ट्रस्टी और/ या लाभार्थियों में से जीवित रहने वाले या अंतिम जीवित ट्रस्टी और/ या लाभार्थी के हित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और उनके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती)।

आईसीएफ और उधारकर्ता को आगे सामूहिक रूप से "पक्षकार" और अलग-अलग रूप से "पक्ष" कहा जाएगा।

जहां कि

(A) लोनदाता *अन्य बातों के साथ* विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को संबंधित उधारकर्ताओं की संपत्ति के विरुद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।

(B) उधारकर्ता के अनुरोध पर और उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रतिवेदन, आश्वासन, घोषणाओं, उपक्रमों, वचनों और सूचनाओं पर भरोसा करते हुए, आईसीएफ ने अनुसूची में दर्ज अधिकतम मूलधन राशि तक (जिसे "लोन" कहा जाएगा) इस अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों (जैसा कि *आगे परिभाषित है*) में दर्ज नियम और शर्तों पर उधारकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति दी है।

अब यह अनुबंध निम्न रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करता है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं:

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

इस अनुबंध में:

(a) "सहबद्ध" का अर्थ किसी भी पक्ष के संबंध में ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पक्ष को नियंत्रित करता हो, उसके द्वारा नियंत्रित होता हो या उसके साथ समान नियंत्रण में हो।

(b) "वार्षिक प्रतिशत दर" का अर्थ लोन पर देय प्रभावी वार्षिक दर से है, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में अधिक विशेष रूप से दर्ज है।

(c) "संबद्ध" में किसी व्यक्ति के संबंध में शामिल है: (i) अगर वह एक निगमित संस्था है, तो कोई भी संस्था या व्यक्ति जो उसे नियंत्रित करता हो, उसके द्वारा नियंत्रित होता हो या उसके साथ समान नियंत्रण में हो; (ii) अगर वह एक व्यक्ति है, तो कोई भी रिश्तेदार या अन्य संस्था या व्यक्ति, जो उस व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है) द्वारा नियंत्रित हो; (iii) अगर वह एक कंपनी है, तो कोई भी संबद्ध कंपनी (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है); (iv) किसी अन्य स्थिति में, ऐसा व्यक्ति जो उसे नियंत्रित करता हो या उसके द्वारा नियंत्रित होता हो।

(d) "उपलब्ध अवधि" का अर्थ उस अवधि से है, जिसके दौरान लोनदाता द्वारा उधारकर्ताओं को लोन वितरित करने के लिए उपलब्ध होगा, जैसा कि विशेष रूप से अनुसूची में निर्धारित किया गया है।

(e) "सीईआरएसएआई" का अर्थ भारत की प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री से है।

(f) "नियंत्रण" और "नियंत्रित" का अर्थ किसी व्यक्ति के संबंध में (i) उसके प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने या उसके निदेशक मंडल या समकक्ष शासी निकाय की संरचना को नियंत्रित करने की शक्ति (चाहे वह अंशों के स्वामित्व, प्रॉक्सी, अनुबंध, अभिकरण या अन्य किसी माध्यम से हो); या (ii) उस व्यक्ति की मतदान अंश पूंजी या समकक्ष स्वामित्व अधिकार का 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक स्वामित्व।

(g) "कूलिंग अवधि" का अर्थ इस अनुबंध की तिथि से शुरू होने वाली दिनों की ऐसी अवधि से है, जैसा कि अनुसूची में दर्ज है।

(h) "चूक" का अर्थ (i) चूक की घटना; या (ii) ऐसी घटना या परिस्थिति से है, जिससे (ग्रेस पीरियड की समाप्ति, सूचना दिए जाने या वित्तीय दस्तावेज के तहत किसी निर्धारण किए जाने पर या इनके किसी संयोजन से) चूक की घटना उत्पन्न हो।

(i) "डिजिटल लोन दिशानिर्देश" का अर्थ 02 सितंबर 2022 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल लोन संबंधी दिशानिर्देशों से है, जिसका संदर्भ संख्या DOR.CRE.REC.66/21.07.001/2022-23 है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया गया हो।

(j) "देय तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस दिन लोन के संबंध में देय कोई भी राशि इस अनुबंध की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार देय होती है, जिसमें मूलधन, ब्याज दर पर देय राशि और/ या उससे संबंधित अन्य कोई भी राशि शामिल है।

(k) "इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रणाली"/ "इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस हाउस"/ "ईसीएस"/ "ई-एनएसीएच"/ "एनएसीएच" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित डेबिट क्लीयरेंस योजनाओं से है, जो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में क्लीयरेंस हाउस या इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अन्य मंच या तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की विधियां हैं, जिनमें बिना सीमा के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा और राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस हाउस शामिल हैं।

(l) "समान मासिक किश्त" या "समान त्रैमासिक किश्त" या "समान अर्धवार्षिक किश्त" या "ईएमआई" या "ईक्यूआई" या "ईएचआई" का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक/ त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक (जैसा लागू हो) आधार पर भुगतान राशि से है, जिसमें मूलधन और ब्याज दर पर देय राशि शामिल हैं, जिसकी गणना इस अनुबंध में दर्ज तरीके से की गई है और जो लोन अवधि के दौरान ब्याज दर पर देय राशि सहित लोन के परिशोधन हेतु आवश्यक है।

(m) "चूक की घटना" का अर्थ इस अनुबंध का खंड 14.1 में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा।

(n) "वित्तीय दस्तावेज" में यह अनुबंध, स्वीकृति पत्र, सुरक्षा दस्तावेज और लोन से संबंधित और लोनदाता द्वारा ऐसे नामित अन्य सभी अनुबंध, दस्तावेज, विलेख, लेख, पत्र, साधन आदि शामिल हैं।

(o) "अंतिम सेटलमेंट तिथि" का अर्थ वह तिथि है जिस पर इस अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तहत समस्त बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को अपरिवर्तनीय रूप से पूर्ण संतोष के साथ चुका दी गई हो और लोनदाता द्वारा लोन समाप्त कर दिया गया हो।

(p) "सरकारी प्राधिकरण" का अर्थ किसी भी अंतरराष्ट्रीय, अधिराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संघीय, राज्य, प्रांतीय, जिला, नगरपालिका, क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार, विदेशी या घरेलू, या उसके किसी भी राजनीतिक उपविभाग और किसी भी संस्था, विभाग, आयोग, ब्यूरो, एजेंसी, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यायालय या अन्य समान या अर्द्ध-सरकारी निकाय से है, जो किसी सरकार या उसके राजनीतिक उपविभाग कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, विनियामक या प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करता हो और संबंधित विषय के संबंध में अधिकार क्षेत्र रखता हो।

(q) "आईसीएफ समूह" का अर्थ आईसीएफ और उसके सहबद्ध और संबद्ध संस्थाओं से है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(r) “केएफएस” का अर्थ लोनदाता द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत प्रमुख तथ्यात्मक विवरण से है।

(s) “लोन टू वैल्यू रेशियो” या “एलटीवी” का अर्थ बकाया राशि और संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुपात से है, जैसा कि आईसीएफ अपने पूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित करता है।

(t) “बकाया राशि” का अर्थ लोन की बकाया मूलधन राशि, ब्याज दर पर देय राशि, ईएमआई/ ईक्यूआई/ ईएचआई, पीईएमआईआई, दंडात्मक शुल्क, शुल्क, लागत, प्रभार, व्यय और वित्तीय दस्तावेजों के तहत और/ या लोन के संबंध में उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को देय अन्य सभी राशियों (जिसकी तर्कसंगतता को उधारकर्ता द्वारा यहां स्वीकार किया गया है) और लोन के संबंध में या उसके रिकवरी या प्राप्ति से संबंधित या आनुषंगिक रूप से देय किसी भी अन्य राशि से है।

(u) “दंडात्मक शुल्क” का अर्थ लोनदाता द्वारा लगाए गए उन शुल्कों से है, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में अधिक विशेष रूप से निर्दिष्ट है।

(v) “पूर्व-समान मासिक किश्त ब्याज” या “पीईएमआईआई” का अर्थ अनुसूची में दर्ज ब्याज दर पर देय राशि से है, जो लोन के वितरण की तिथि/ संबंधित तिथियों से ईएमआई/ ईक्यूआई/ ईएचआई के शुरू की तिथि तक मासिक आधार पर देय होगी।

(w) “पूर्वभुगतान” का अर्थ कूलिंग अवधि की समाप्ति के बाद लोनदाता द्वारा उस संबंध में निर्धारित और उस समय प्रभावी नियम और शर्तों के अनुसार लोन और अन्य देयों का समयपूर्व भुगतान है।

(x) "संपत्ति" का अर्थ अचल संपत्ति है, जैसा कि अनुसूची में दर्ज है, जो उधारकर्ता के स्वामित्व में है और इसमें कोई भी अचल संपत्ति शामिल मानी जाएगी, जिसकी सुरक्षा पर आईसीएफ ने लोन और/या संपत्ति के किसी भी हिस्से पर अग्रिम देने के लिए सहमति दी है।

(y) “उद्देश्य” का अर्थ उस उद्देश्य से है जिसके लिए उधारकर्ता द्वारा लोन लिया गया है, जिसका विशेष उल्लेख अनुसूची और स्वीकृति पत्र में किया गया है।

(z) “ब्याज दर” का अर्थ लोन पर देय ब्याज की दर से है, जैसा कि खंड 5 और अनुसूची में दर्ज है।

(aa) “आरबीआई” का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक से है।

(bb) “भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश” का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश, विनियम, परिपत्र और संबंधित संप्रेषण से है, जिनमें डिजिटल लोन दिशानिर्देश शामिल हैं लेकिन केवल उन्हीं तक सीमित नहीं।

(cc) “पुनर्भुगतान चेक” का अर्थ उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ के पक्ष में बकाया राशि या उसके किसी भाग पुनर्भुगतान हेतु आईसीएफ को स्वीकार्य रूप और विषयवस्तु में दिए गए चेक से है।

(dd) “पुनर्भुगतान अनुसूची” का अर्थ पुनर्भुगतान की अनुसूची से है, जैसा कि अनुसूची में अधिक विशेष रूप से दर्ज है।

(ee) “स्वीकृति पत्र” का अर्थ अनुसूची में दर्ज स्वीकृति पत्र से है, जो आईसीएफ द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत है।

(ff) “अनुसूची” का अर्थ इससे संलग्न और इस अनुबंध का अभिन्न अंग बनने वाली अनुसूची से है।

(gg) “सुरक्षा” का अर्थ नीचे खंड 8 में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा।;

(hh) “सुरक्षा दस्तावेज” का अर्थ उन दस्तावेजों से है जो वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के किसी दायित्व की सुरक्षा हेतु आईसीएफ के पक्ष में सुरक्षा हित या जमानत या गारंटी का सृजन, अभिलेखन या प्रमाणित करते हैं।

(ii) “सुरक्षा हित” में मॉरगेज, प्रभार, गिरवी, लियन, हाइपोथिकेशन, भार, सुरक्षा, असाइनमेंट या किसी भी प्रकार की वरीयता व्यवस्था शामिल है, जिनमें उपरोक्त में से किसी के समान प्रभाव देने वाला कोई भी अनुबंध और किसी भी बीमा पॉलिसी के तहत हानि के लिए प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का नामांकन या कोई समान व्यवस्था शामिल है, जो किसी व्यक्ति के किसी दायित्व को सुरक्षित करती है, और इसमें जमानत और गारंटी और समान प्रभाव वाले अन्य किसी भी अनुबंध या व्यवस्था शामिल हैं।

(jj) “स्थायी निर्देश” का अर्थ उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को दिए गए लिखित निर्देशों से है, जिनके माध्यम से राशि के भुगतान की सुविधा हेतु लोनदाता के पास रखे गए उधारकर्ता के खाते से ईएमआई/ ईक्यूआई/ ईएचआई डेबिट किया जाता है, जैसा कि यहां अनुसूची में अधिक विशेष रूप से दर्ज है।

(kk) “वेबसाइट” का अर्थ है आईसीएफ की वेबसाइट, जो वर्तमान में www.indostarcapital.com है।

1.2. व्याख्या

इस अनुबंध में, जब तक विपरीत अर्थ न हो:

(i) एकवचन वाले शब्दों में बहुवचन और बहुवचन वाले शब्दों में एकवचन शामिल होगा और किसी भी लिंग को दर्शाने वाला शब्द सभी अन्य लिंगों को सम्मिलित माने जाएगा;

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(ii) "सम्मिलित" या "जिसमें शामिल है" शब्दों की व्याख्या बिना किसी सीमा के की जाएगी;

(iii) "संशोधन" में परिशिष्ट, परिवर्तन, टिप्पणी, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल होगा और "संशोधित" की व्याख्या इसके अनुसार की जाएगी;

(iv) "प्राधिकरण" में प्राधिकरण, सहमति, अनुमति, स्वीकृति, अनुज्ञा, संकल्प, लाइसेंस, छूट, दाखिला और पंजीकरण शामिल हैं;

(v) "व्यक्ति" में व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान, ट्रस्टी, हिंदू अविभाजित परिवार, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति, निगमित निकाय और अन्य कोई भी संघ या निकाय (चाहे निगमित हो या नहीं हो) शामिल है;

(vi) इस प्रश्न पर कि क्या कोई ऐसी घटना/परिस्थिति घटित हुई है, जो डिफॉल्ट हो सकती है, वहां लोनदाता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा और अगर कोई शर्त और/या ऐसी शर्त है जो व्याख्या के अधीन है तो आईसीएफ द्वारा लागू की गई व्याख्या अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी;

(vii) किसी भी विषय के महत्व या तर्कसंगतता के संबंध में आईसीएफ और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उक्त विषय के संबंध में आईसीएफ की राय अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी;

(viii) यहां की अनुसूचियां इस अनुबंध का अभिन्न अंग मानी जाएंगी मानो उनके प्रावधान यहां पूर्ण रूप से दर्ज हों।

2. लोन

उधारकर्ता, लोनदाता से लोन लेने पर सहमत है और लोनदाता इस अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दर्ज नियम और शर्तों पर उद्देश्य के लिए लोन प्रदान करने पर सहमत है।

3. स्वीकृतियां

उधारकर्ता इसके द्वारा यह स्वीकार करता है, सहमति देता है, वादा करता है, वचन देता है और पुष्टि करता है कि:

(a) लोन का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें कोई अवैध, गैरकानूनी, सट्टात्मक, गलत या समाज-विरोधी उद्देश्य शामिल है। अगर राशि का उपयोग उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो लोनदाता को लोन वापस मांगने का अधिकार होगा;

(b) लोन के संबंध में लोनदाता और उधारकर्ता के बीच किया गया यह अनुबंध एक शुद्ध वित्तपोषण व्यवस्था है।

(c) उधारकर्ता वितरण के बाद लोन को कैंसल करने या लोन के वितरण को स्वीकार करने से इंकार करने का अधिकारी नहीं होगा, सिवाय कूलिंग अवधि के दौरान या आईसीएफ की स्वीकृति से। यदि लोन कूलिंग अवधि समाप्त होने के बाद लोनदाता की स्वीकृति से कैंसल किया जाता है, तो उधारकर्ता अनुसूची के अनुसार कैंसलेशन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।

(d) अगर उधारकर्ता बाद में किसी भी कारण से लोन के वितरण को अस्वीकार करता है/इससे इंकार करता है, तो ऐसी स्थिति में उधारकर्ता आईसीएफ द्वारा लोन के वितरण की तिथि से लेकर उधारकर्ता के लिखित अनुरोध पर आईसीएफ द्वारा लोन कैंसल किए जाने की तिथि तक ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उधारकर्ता सहमत और पुष्टि करता है कि उपरोक्त प्रावधान वित्तीय दस्तावेजों के तहत आईसीएफ को उपलब्ध अन्य किसी भी उपाय के अतिरिक्त हैं और उनके प्रतिकूल नहीं है, जिनमें इस अनुबंध की अनुसूची में निर्दिष्ट लोन कैंसलेशन या पूर्वसमापन शुल्क लगाने का अधिकार शामिल है, लेकिन केवल उन्हीं तक सीमित नहीं।

(e) लोनदाता और उधारकर्ता के बीच लोनदाता और उधारकर्ता का संबंध इस अनुबंध की तिथि से शुरू होगा और तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक इस अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशियां पूर्ण रूप से लोनदाता को अदा और प्राप्त नहीं हो जातीं।

(f) आईसीएफ अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय लोन के तहत अवितरित राशि को कैंसल करने और/ या बिना पूर्व सूचना के लोन वापस लेने का अधिकार रखता है।

4. वितरण की शर्तें

(a) लोन आईसीएफ द्वारा उद्देश्य के लिए किसी थर्ड पार्टी/ विक्रेता/ उधारकर्ता के मौजूदा वित्तदाता को या सीधे उधारकर्ता के खाते में (जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है) एक या अधिक किश्तों में, उद्देश्य और उधारकर्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वितरित किया जा सकता है। इस संबंध में आईसीएफ का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगा।

(b) अगर लोन का उद्देश्य संपत्ति में सुधार है, तो वितरण केवल तब किया जाएगा जब संपत्ति में सुधार कार्य शुरू हो चुका हो और उसका आईसीएफ को स्वीकार्य

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

प्रमाण उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(c) लोन केवल उपलब्ध अवधि के दौरान ही वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा। जब तक लोनदाता अन्यथा सहमत न हो, उपलब्ध अवधि की समाप्ति पर उधारकर्ता का लोन लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और उस तिथि तक वितरित राशि को लोनदाता के विवेकाधिकार से इस अनुबंध के उद्देश्य हेतु लोन राशि माना जाएगा। अगर संपूर्ण लोन राशि उपलब्ध अवधि के दौरान वितरित नहीं की जाती है, तो पुनर्भुगतान अनुसूची को लोनदाता द्वारा उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।

(d) इस अनुबंध के तहत लोनदाता द्वारा किए जाने वाले सभी वितरण चेक, समुचित रूप से क्रॉस्ड, खाता धारक के नाम, या मांग पत्र या बैंकिंग प्रणाली में स्वीकृत अन्य किसी माध्यम द्वारा लोनदाता के एकमात्र विवेकाधिकार से किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान/ वितरण विधि शामिल है। उधारकर्ता प्रत्येक वितरित राशि की प्राप्ति को लोनदाता द्वारा आवश्यक प्रारूप में स्वीकार करेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(e) उधारकर्ता सहमति देता है कि जिस तिथि को लोनदाता द्वारा लोन वितरित किया गया है, वही वितरण की तिथि और उधारकर्ता द्वारा लोन की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी, चाहे कलेक्शन या प्राप्ति में कोई विलंब हुआ हो, अगर कोई हो।

(f) उधारकर्ता अनुसूची में निर्दिष्ट अग्रिम शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और/ या मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क का भुगतान करने पर सहमत है। वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को यह अधिकृत किया जाता है कि वह इस अनुबंध के तहत अग्रिम शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और/या मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क को लोन राशि में से काटकर शेष राशि का वितरण करे। उधारकर्ता इस प्रकार पुष्टि करता है कि ऐसे अग्रिम शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और/या मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क की कटौती के बावजूद, उधारकर्ता की लोनदाता को पुनर्भुगतान करने की बाध्यता पूरे लोन राशि के साथ-साथ लागू ब्याज दर पर देय ब्याज, दंड शुल्क (*अगर कोई हो*), और इस अनुबंध के अनुसार देय अन्य शुल्क, फीस और खर्चों की होगी, जैसा कि इस अनुसूची में और विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

(g) बीमा प्रीमियम वित्तपोषण:

(i) उधारकर्ता इस प्रकार स्वीकार करता है कि इंडोस्टार के पास जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के साथ डील करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस है (ऐसी बीमा कंपनियों की विस्तृत सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है) और वह इंडोस्टार (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में) के संबद्ध बीमा कंपनियों में से किसी एक के माध्यम से उधारकर्ता द्वारा खरीदी जाने वाली बीमा पॉलिसी की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, उधारकर्ता समझते हैं कि उनके पास स्वयं से या किसी अन्य स्रोत या बीमा एजेंट के माध्यम से बीमा प्राप्त करने का विकल्प है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, उधारकर्ता के अनुरोध पर, इंडोस्टार (अपनी कॉर्पोरेट एजेंट की क्षमता में) उन बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है जो इंडोस्टार (अपनी कॉर्पोरेट एजेंट की क्षमता में) के ज्ञान में हैं। उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उनके लिए ऐसे किसी भी बीमा उत्पाद का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं है और उधारकर्ता अपने पूर्ण विवेक और स्वतंत्र निर्णय पर किसी भी बीमा उत्पाद (जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति के लिए बीमा, आदि) का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। उधारकर्ता किसी भी ऐसे बीमा उत्पाद का लाभ सीधे बीमा कंपनी से उन नियमों और शर्तों के अनुसार और ऐसी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं के अनुपालन में ले सकते हैं। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि आईसीएफ किसी भी बीमा उत्पाद के लिए, जिसे उधारकर्ता ने लिया है, किसी भी प्रकार से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार और पुष्टि करता है कि इंडोस्टार (अपनी कॉर्पोरेट एजेंट की क्षमता में) केवल बीमाकर्ता के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंट/बीमा के लिए सुविधा प्रदाता (जैसा भी लागू हो) और प्रीमियम भुगतान के रूप में कार्य करेगा, और बीमा अनुबंध उधारकर्ता और बीमाकर्ता के बीच होगा और उधारकर्ता द्वारा संबंधित बीमाकर्ता के साथ बीमा का एक अलग अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। उधारकर्ता आगे स्वीकार और पुष्टि करता है कि बीमाकर्ता पॉलिसियां जारी करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।

(iii) यदि बीमा इंडोस्टार से जुडे किसी बीमा कंपनी (कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर) से खरीदा जाता है:

(A) उधारकर्ताओं द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि जिस बीमा को वे खरीदने का प्रस्ताव करते हैं, उससे संबंधित आवश्यक जानकारी और नियम एवं शर्तें उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, या जिस बीमा को वे खरीदने का प्रस्ताव करते हैं उससे संबंधित आवश्यक जानकारी और नियम एवं शर्तें इंडोस्टार के प्रतिनिधि (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में) द्वारा उधारकर्ताओं को उनकी समझ में आने वाली स्थानीय भाषा में समझाई गई हैं, और उधारकर्ताओं ने ऐसी जानकारी और नियम एवं शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। इसके अलावा, उधारकर्ता स्वीकार करता है कि वह इस बात से भी अवगत हैं कि वह बीमा के संबंध में अतिरिक्त विवरण/जानकारी (यदि कोई हो) बीमाकर्ता की वेबसाइट या उधारकर्ता को उपलब्ध कराए गए ब्रोशर से प्राप्त कर सकते हैं;

(B) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने इंडोस्टार (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में) और बीमा कंपनी के संपर्क विवरण जैसे संपर्क नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लिए हैं, ताकि अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने या दावा दायर करने के लिए उनसे संपर्क किया जा सके;

(C) उधारकर्ता इसके द्वारा इंडोस्टार को किसी भी तरह की सभी देनदारियों, दायित्वों, नुकसानों, दंडों, कार्रवाइयों, फैसलों, मुकदमों, लागतों, खर्चों या किसी भी तरह के भुगतानों से मुआवजा देने के लिए सहमत होते हैं, जो उधारकर्ता द्वारा खंड 4(g) के तहत बताई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए इंडोस्टार पर लगाए जा सकते हैं, उसके द्वारा उठाए जा सकते हैं या उसके खिलाफ लगाए जा सकते हैं।

(iv) उधारकर्ता के अनुरोध पर लोनदाता, उधारकर्ता की अपनी इच्छा से उसकी पसंद की किसी भी बीमा कंपनी से ली गई बीमा पॉलिसी (जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति पर बीमा आदि) का प्रीमियम भी वित्तपोषित कर सकता है, ऐसी स्थिति में लोनदाता द्वारा वित्तपोषित की गई राशि को लोन का हिस्सा माना जाएगा और वह इस अनुबंध की सभी नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जिनमें ब्याज दर के अनुसार ब्याज और प्रतिभूति शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। उधारकर्ता इसके द्वारा ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों में लोनदाता को 'नुकसान के लिए प्राप्तकर्ता' के रूप में नामित करने के लिए सहमत होता है और सहमत होता है कि लोनदाता का ऐसी बीमा की किसी भी आय पर पहला दावा और अधिकार होगा, जिसमें दावा सेटलमेंट की स्थिति भी शामिल है। अगर उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित बीमा के संबंध में लोनदाता कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो उधारकर्ताओं द्वारा लोनदाता को उसकी/उनकी चुनी हुई बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम का भुगतान सीधे करने की सहमति दी जाती है, और लोनदाता बीमा प्रीमियम की

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

राशि को उचित समयावधि के भीतर बीमा प्रदाता को प्रेषित करने के लिए सभी युक्तिसंगत कदम उठाएगा। हालांकि, इस घटना में कि प्रीमियम राशि का भुगतान लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को किया जाता है, उधारकर्ता इसके द्वारा बीमा प्राप्त करने के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान की दिशा में संबंधित बीमा कंपनी को ही ऐसी राशि का उपयोग करने का वचन देता है।

(v) अगर बीमा प्रीमियम का वित्तपोषण लोनदाता द्वारा नहीं किया जाता है और/या किसी भी कारण से बीमा प्रदाता द्वारा उसे स्वीकृत नहीं किया जाता है, या बीमा प्रदाता द्वारा कम बीमित राशि के साथ बीमा स्वीकृत किया जाता है, और बीमा प्रदाता द्वारा बीमा प्रीमियम की पूरी या आंशिक राशि वापस की जाती है, तो उधारकर्ता द्वारा यह सहमति दी जाती है कि ऐसी राशि को उधारकर्ता के लोन खाते में जमा किया जाएगा और इस अनुबंध के तहत बकाया देय राशियों के भुगतान/चुकौती में समायोजित किया जाएगा।

(vi) इस घटना में कि बीमा प्रीमियम की राशि में कोई वृद्धि होती है या बीमा प्रदाता द्वारा मांगी गई बीमा प्रीमियम की वास्तविक राशि लोनदाता द्वारा बीमा प्रीमियम की ओर स्वीकृत/प्रदान की गई राशि से अधिक है, उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि अंतर राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से बीमा प्रदाता को किया जाएगा।

(vii) उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि वह अवगत है कि यदि बीमा प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद लेकिन बीमा पॉलिसी जारी होने से पहले उनकी आयु बदल जाती है, तो बीमाकर्ता नई आयु पर लागू प्रीमियम लागू करेगा या उसके अनुसार बीमा की शर्तों को बदल देगा।

5. वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर

5.1. उधारकर्ता समय-समय पर लोन और संबंधित सभी बकाया राशि पर मासिक चक्रों पर चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा। इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि पर लोन की ब्याज दर अनुसूची में निर्दिष्ट है और उधारकर्ता को लोन वितरण की तिथि से इसे भुगतान करना होगा।

5.2. अनुसूची में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर लोन अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी। हालांकि, लोनदाता अपनी विवेकाधिकार से लोन अवधि के दौरान वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर को ऊपर या नीचे संशोधित कर सकता है, यदि निम्न घटनाएं घटित होती हैं और उधारकर्ता को सूचित किया जाएगाः

(i) आरबीआई संपत्ति पर मानक प्रावधान में संशोधन करने पर; और/या

(ii) आरबीआई द्वारा संपत्तियों के लिए जोखिम भार बढ़ाने पर; और/या

(iii) केवल लोनदाता के विवेकानुसार, उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता में गिरावट होने पर; और/या

(iv) नियामक प्राधिकरणों/आरबीआई के बाहरी प्रचलित निर्देशों में बदलाव होने पर।

5.3. वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर में बदलाव के बारे में उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। लोनदाता सुनिश्चित करेगा कि वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर में ऐसा परिवर्तन केवल भावी प्रभाव के लिए किया जाए।

5.4. ब्याज दर पर ब्याज, लोनदाता द्वारा लोन वितरण की तिथि से लागू होगी और दैनिक आधार पर गणना की जाएगी और अगली पूर्ण रुपये में पूर्णांकित की जाएगी, दैनिक घटते शेष पर आधारित होगी। ब्याज दर पर ब्याज, 360 दिनों के वर्ष और वास्तविक दिनों के आधार पर गणना की जाएगी। हालांकि, अगर उधारकर्ता लोन को पूर्ण रूप से पूर्व-समापन करना चाहता है, तो ब्याज दर पर ब्याज की गणना पूर्व-समापन की तिथि तक की जाएगी।

5.5. जोखिम के स्तर और ब्याज दर लगाने का तर्क लोनदाता की ब्याज दर पॉलिसी में निर्दिष्ट है (जो वेबसाइट पर उपलब्ध है) और उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने पॉलिसी पढ़ी है और ब्याज दर लगाने का तर्क समझा है।

5.6. उधारकर्ता अनुबंध में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार सभी लागू लागतों और खर्चों का तत्काल भुगतान करेगा, जिसमें सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत संपत्ति की जांच/निरीक्षण शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क, स्टाम्पिंग शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

5.7. इस अनुबंध के तहत उधार लेना उधारकर्ता और लोनदाता के बीच एक व्यावसायिक लेन-देन है और उधारकर्ता ब्याज अधिनियम, 1918 या ब्याज लेने से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत किसी भी सुरक्षा का परित्याग करता है।

5.8. यहां लोनदाता को उपलब्ध अन्य सभी अधिकारों, ब्याज और उपायों पर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना, उधारकर्ताओं द्वारा देय सभी राशियां संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ताओं के लोन खाते में काट ली जाएगी/डेबिट की जाएंगी और उन्हें लोन के तहत बकाया राशि का हिस्सा माना जाएगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

6. प्रस्तुतिकरण और वारंटियां

उधारकर्ता आईसीएफ को निरंतर रूप से निम्न के लिए प्रतिनिधित्व, वारंटी और घोषणा करता है:

(a) अगर व्यक्तिगत हो, तो उधारकर्ता भारतीय का सामान्य निवासी नागरिक हैं और और इस अनुबंध के तहत लोन अवधि के दौरान ऐसा ही रहेंगे।

(b) उधारकर्ता भारत के कानूनों के तहत कानूनी और उचित रूप से स्थापित है और उसके पास सभी शक्तियां, अनुमतियां, स्वीकृतियां और सहमति हैं और उसने सभी शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया है ताकि (a) अपने संपत्ति का स्वामित्व रख सके और अपने व्यवसाय को जिस प्रकार संचालित किया जा रहा है उसी प्रकार जारी रख सके; (b) संबंधित वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपनी जिम्मेदारियों में प्रवेश कर सके, उनका पालन कर सके और पूरा कर सके, और ऐसी सभी शक्तियां, अनुमतियां, स्वीकृतियां और सहमति वैध, सक्रिय और पूरी तरह प्रभावी हैं; और (c) भारत के न्यायालयों में वित्तीय दस्तावेजों और उनके तहत विचारित लेनदेन की वैधता, प्रवर्तन क्षमता और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता सुनिश्चित कर सके।

(c) इस अनुबंध का निष्पादन किसी भी कानून, उधारकर्ता के संवैधानिक दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज के साथ के विरोध में नहीं है, जो उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी है।

(d) उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ओर से उधार लेने की शक्तियों की अनुपस्थिति या दुर्बलता या इसके प्रयोग में किसी भी अनियमितता से इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता के खिलाफ लोनदाता के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे;

(e) उधारकर्ता किसी भी कानून, अधिनियम, न्यायालयीन निर्णय, डिक्री, आदेश, अनुबंध या अन्य किसी भी प्रावधान के तहत इस अनुबंध के निष्पादन और इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित या रोके गए नहीं हैं;

(f) प्रत्येक वित्तीय दस्तावेज में उधारकर्ता द्वारा ग्रहण की गई जिम्मेदारियां विधिसम्मत, वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य दायित्व हैं, और उधारकर्ता की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति विधिवत अधिकृत हैं।

(g) प्रत्येक वित्तीय दस्तावेज (जिसमें उधारकर्ता एक पक्ष है) में प्रवेश करना, उसके अधिकारों का प्रयोग करना और उसकी जिम्मेदारियों का पालन करना निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए निजी और वाणिज्यिक कार्य होंगे; और उधारकर्ता किसी भी वित्तीय दस्तावेज के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, जब्ती या अन्य कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

(h) उधारकर्ता या उसकी संपत्तियों सहित संपत्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य सक्षम सरकारी प्राधिकरण में कोई मुकदमा, मामला, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही लंबित या धमकीपूर्ण नहीं है और उधारकर्ता को किसी भी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा गया है।

(i) उधारकर्ता या उसके द्वारा आईसीएफ को दी गई सभी जानकारी उस दिन के अनुसार सही, निष्पक्ष, सटीक और पूर्ण हैं जब इसे प्रदान किया गया था और आईसीएफ को लोन प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई तथ्य या जानकारी छुपाई या छोड़ दी गई नहीं है और ऐसी सभी जानकारी और तथ्य इस अनुबंध की तिथि तक अपरिवर्तित हैं।

(j) अगर संपत्ति के मालिक उधारकर्ता नहीं हैं, तो वे लोन के सह-आवेदक हैं और उक्त मालिक की आयु, निवास, आय का दस्तावेजी प्रमाण को आईसीएफ की संतुष्टि के अनुसार प्रदान किया गया है।

(k) उधारकर्ता के नाम सहित उनके निदेशक, प्रमोटर, साझेदार, मालिक, ट्रस्टी या सदस्य (जहां लागू हो) का नाम आरबीआई या किसी भी बैंक और वित्तीय संस्था द्वारा प्रसारित किसी भी डिफॉल्टर सूची में नहीं है और उधारकर्ता और उनके निदेशक, प्रमोटर, साझेदार, मालिक, ट्रस्टी या सदस्य (जहां लागू हो) के नाम आरबीआई/एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि द्वारा जारी चेतावनी सूची में नहीं हैं। अगर उधारकर्ता के निदेशक, प्रमोटर, साझेदार, मालिक, ट्रस्टी या सदस्य (जहां लागू हो) के नाम किसी ऐसी सूची में शामिल किए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति/संस्था को शीघ्र और प्रभावी कदम उठाकर उस व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल से हटाना होगा और उधारकर्ता के प्रबंधन की जिम्मेदारी से मुक्त करना होगा। उधारकर्ता अपने बोर्ड में या उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, अपने प्रमोटर/साझेदार/सदस्य/विश्वासपात्र (जैसा लागू हो) की क्षमता में, ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जिसे जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया हो या जिसका नाम जानबूझकर डिफॉल्टर की सूची में शामिल हो या जो किसी अन्य कंपनी के बोर्ड का निदेशक हो या किसी कॉर्पोरेट संस्था के व्यवसाय में शामिल हो, जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया हो।

(l) उधारकर्ता किसी बैंकिंग कंपनी (लोनदाता सहित) के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या निदेशक का रिश्तेदार (जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) या लोनदाता के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार (जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) नहीं है या बैंकिंग कंपनी (लोनदाता सहित) के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या निदेशक या लोनदाता के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार (जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) का कोई रिश्तेदार (जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है) पर्याप्त हित नहीं रखता है या उधारकर्ता के निदेशक/भागीदार/प्रबंधक/कर्मचारी/सलाहकार/गारंटर के रूप में इच्छुक नहीं है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(m) उधारकर्ता, लोनदाता सहित किसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक या निदेशक का निर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं है या उधारकर्ता का कोई भी निदेशक, लोनदाता सहित किसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक या निदेशक का निर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं है।

(n) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उधारकर्ता और उनके अधिकृत अधिकारियों (अगर लागू हो) का मोबाइल नंबर, जैसा कि लोनदाता के साथ पंजीकृत है, उनके संबंधित आधार पर पंजीकृत नंबर के समान है और उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि बिना लोनदाता की लिखित सहमति के वह अपने आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर (जैसा कि आधार पर पंजीकृत है) में कोई परिवर्तन या अपडेट नहीं करेगा।

(o) उधारकर्ता ने आईसीएफ को संपत्ति से संबंधित सभी तथ्य प्रकट किए हैं और आईसीएफ को संपत्ति से संबंधित सभी टाइटल डीड/दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, जैसा कि लागू हो। संपत्ति और वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज सत्य और वास्तविक हैं। आईसीएफ किसी भी समय ऐसे किसी भी प्रतियों की मूल प्रति के सत्यापन की मांग कर सकता है या या इसकी जरूरत बता सकता है। आईसीएफ के पास मौजूद किसी भी प्रति को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या दी गई मानी जाएगी।

(p) उधारकर्ता के पास संपत्ति का पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य टाइटल है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह और बंधन नहीं है और कोई अन्य सुरक्षा अधिकार, थर्ड पार्टी के अधिकार, लंबित मुकदमे, किसी भी रास्ते, प्रकाश, पानी या अन्य रास्ते या समान अधिकार संपत्ति पर या उसके किसी हिस्से पर नहीं हैं, सिवाय लोनदाता के पक्ष में बनाए गए/ बनाए जाने वाले सुरक्षा अधिकार के।

(q) उधारकर्ता किसी भी दस्तावेज, निर्णय, मुकदमा, कार्यवाही या कानूनी प्रक्रिया या अन्य शुल्क के बारे में, या संपत्ति के टाइटल को प्रभावित करने वाली किसी भी छिपी या स्पष्ट दोष के बारे में या संपत्ति में किसी दोष के बारे में से अवगत नहीं है, जो आईसीएफ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(r) संपत्ति किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार की योजना, सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की योजनाओं में शामिल नहीं है और न ही प्रभावित है, और न ही किसी सड़क के संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित है, जो किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार की योजना, किसी निगम, नगरपालिका समिति, ग्राम पंचायत या किसी अन्य वैधानिक निकाय आदि के तहत किया जा रहा हो।

(s) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और मानता है कि वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर और उसकी गणना की विधि, अन्य शुल्क, लागतें और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय सभी अन्य राशियां उचित हैं, और उधारकर्ता ने प्रत्येक शर्त का अर्थ, वित्तीय प्रभाव, देय राशि और इस अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारियां और दायित्व समझ लिए हैं।

(t) उधारकर्ता ने सभी सार्वजनिक दायित्व जैसे आयकर, संपत्ति कर और अन्य सभी कर और राजस्व का भुगतान किया है और भविष्य में भी करेगा, और वर्तमान में ऐसा कोई भी कर और राजस्व में कुछ बकाया नहीं है, जो संपत्ति से संबंधित सहित है और जो भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय हैं।

(u) उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा न करना, जिसे उधारकर्ता जानता हो, अब या भविष्य में, वह लोन आवेदन को अमान्य कर सकता है, और आईसीएफ को अधिकार होगा कि वह लोन के संचालन पर प्रतिबंध लगाए, उसे बंद करे, या किसी नियामक और/या किसी सरकारी प्राधिकरण/आरबीआई को रिपोर्ट करे, जैसा भी मामला हो, या आईसीएफ द्वारा सही समझी जाने वाली कोई और कार्रवाई करने का अधिकार होगा, अगर उधारकर्ता आईसीएफ द्वारा दिए गए तय समय के अंदर कमी को ठीक नहीं करता है।

(v) लोनदाता के पास उधारकर्ता के सभी खातों पर लियन लगाने का अधिकार है, जिसमें वे अन्य खाते भी शामिल हैं जो भविष्य में खोले जा सकते हैं या जो उधारकर्ता से संबंधित पाए जा सकते हैं।

(w) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि वह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं है जो लोनदाता की क्रेडिट नीति की अपवाद सूची में हो, और वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो देश के सामाजिक और आर्थिक वातावरण को खतरे में डाल सके।

(x) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को जमा किए गए पुनर्भुगतान चेक मुख्य रूप से लोन और/या ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई और/या पीईएमआईआई के समय पर भुगतान के उद्देश्य से हैं, जो उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को दिया जाना है। अगर उधारकर्ता डिफॉल्ट करता है, तो उधारकर्ता बिना किसी आपत्ति के लोनदाता को लोन रिकवरी के लिए चेक जमा करने की अनुमति देता है।

(y) उधारकर्ता प्रमाणित करता है कि उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को प्रदान की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं गया है जो खाता मूल्यांकन/श्रेणीकरण या किसी और तरह से उसे प्रभावित कर सकती हो।

(z) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि वह/उसके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार लोन आवेदन की तिथि पर राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं; किसी भी स्थिति में बदलाव के बारे में तुरंत लोनदाता को सूचित किया जाएगा।

(aa) उधारकर्ता को उसके किसी भी मौजूदा लेनदार द्वारा या किसी ऐसे अन्य नाम / शब्द द्वारा विशेष उल्लेख खाते ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल या क्रेडिट योग्यता में गिरावट को दर्शाता है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(bb) लागू कानून और उधारकर्ता द्वारा इस अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सहमति प्राप्त करने के अधीन, उधारकर्ता के पास यह कानूनी अधिकार, शक्ति और अधिकरण है कि वह इस अनुबंध, वित्तीय दस्तावेजों और उनसे संबंधित या उनके अनुसार निष्पादित किए जाने वाले सभी अन्य दस्तावेजों और साधनों में प्रवेश करे, उन्हें प्रस्तुत करे और उनका पालन करे, और जब ये दस्तावेज निष्पादित हो जाएंगे, तो ये वैध और बाध्यकारी दायित्व बनेंगे और उनके संबंधित शर्तों के अनुसार उधारकर्ता के खिलाफ लागू होंगे।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(cc) संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज, जिन्हें उधारकर्ता ने बनाया है या उधारकर्ता की ओर से बनाया गया है और जो लोन का विषय हैं, लोन की अवधि के दौरान वैध और प्रभावी हैं। इस अनुबंध की शर्तों के अधीन, लोन की अवधि के दौरान संपत्ति का वैधानिक और लाभकारी स्वामित्व उधारकर्ताओं के नाम पर बना रहेगा।

(dd) किसी भी उधारकर्ताओं और/या उसकी संपत्तियों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण या बोर्ड, वैधानिक/नियामक या अन्य निकाय/प्राधिकरण या मध्यस्थता के समक्ष न तो कोई कार्रवाई, मुकदमा या कार्यवाही (जिसमें समापन, दिवालियापन कार्यवाही, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कार्यवाही शामिल है) लंबित है या इसकी धमकी दी गई है और न ही किसी उधारकर्ताओं और/या उसकी संपत्तियों के विरुद्ध किसी प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल दावा/जांच, अधिग्रहण, अधिग्रहण, अधिसूचना, निर्देश या आदेश जारी/पारित किया गया है या किया गया है या किसी भी उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया है जो प्रत्येक उधारकर्ताओं की सुरक्षा बनाने और/या इस अनुबंध, वित्तीय दस्तावेजों में प्रवेश करने और उन्हें निष्पादित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

(ee) अगर कोई उधारकर्ता एक हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) है, तो प्रत्येक वित्तीय दस्तावेज का विषय, उसके तहत या इसके अनुसार दायित्वों में प्रवेश करना, इस अनुबंध के तहत लोन लेने और इसके उद्देश्य सहित, और संपत्ति पर सुरक्षा अधिकार बनाने का कार्य, एचयूएफ की संपत्ति की कानूनी आवश्यकता और/या लाभ के लिए है।

(ff) अगर कोई उधारकर्ता एचयूएफ है, तो या तो एचयूएफ के सभी वयस्क सदस्यों/सह-दायित्वों ने इस अनुबंध और वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें निष्पादित किया है और वितरित किया है या कर्ता को एचयूएफ के सभी वयस्क सदस्यों से (एचयूएफ की ओर से और व्यक्तिगत क्षमता में उनकी ओर से) इस अनुबंध सहित वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, उन्हें निष्पादित करने और वितरित करने और इसके तहत दर्ज दायित्वों को निभाने का पूरा अधिकार है और कर्ता ने उसके अनुसार एचयूएफ की ओर से और साथ ही कर्ता और एचयूएफ के प्रत्येक सदस्य/सह-दायित्वों की ओर से उनकी व्यक्तिगत क्षमता में वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें निष्पादित किया है और वितरित किया है।

(gg) अगर कोई उधारकर्ता एचयूएफ है, तो कर्ता और एचयूएफ के अन्य प्रत्येक सदस्य, एचयूएफ के अतिरिक्त, व्यक्तिगत रूप से और पूर्ण रूप से, संयुक्त और अलग-अलग आधार पर, लोनदाता के प्रति बकाया राशि और वित्तीय दस्तावेजों के तहत संबंधित उधारकर्ता के दायित्वों के पालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(hh) प्रत्येक उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि उसके द्वारा सभी टैक्स का पूर्ण, विधिवत, समय पर और ठीक से भुगतान किया गया है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी एक्ट") के तहत टैक्स भी शामिल हैं और किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध या उसके संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, और आईटी अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पूरा होने के परिणामस्वरूप टैक्स दाता के रूप में उसके द्वारा देय किसी भी टैक्स या किसी अन्य राशि के संबंध में कोई दावा नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, चाहे वह मौजूदा हो, अतीत में हो या भविष्य में हो; और किसी भी उधारकर्ता को किसी भी प्राधिकारी द्वारा आईटी अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पूरा होने के परिणामस्वरूप या अन्यथा या उससे संबंधित किसी भी दावे के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रत्येक उधारकर्ता पुष्टि करता है कि लोनदाता के पक्ष में/लाभ के लिए किसी भी सुरक्षा के निर्माण के लिए, संबंधित टैक्स प्राधिकरण/उसके अधीनस्थ प्राधिकरण से आईटी अधिनियम का खंड 281 के तहत कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है, और ऐसी मंजूरी के बिना सुरक्षा का निर्माण किसी भी टैक्स प्राधिकरण/प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति शून्य या अमान्य नहीं होगा; और अगर ऐसी मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक हो, तो संबंधित उधारकर्ता इसे सुरक्षा बनाने से पहले प्राप्त करेगा।

(ii) उधारकर्ता पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि वे अंग्रेजी भाषा को समझते हैं और अंग्रेजी में पढ़ और लिख सकते हैं। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उन्होंने इस अनुबंध में दर्ज शर्तें पढ़ी और समझी हैं और वे इस अनुबंध को अंग्रेजी में निष्पादित करने पर वर्तमान या भविष्य में कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

उधारकर्ता पुष्टि करता है कि यहां दी गई प्रतिनिधित्व और वारंटी को इस अनुबंध की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन दोहराया गया माना जाएगा।

7. पूर्व शर्तें

आईसीएफ लोन के तहत किसी भी वितरण को निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के अधीन करेगा। उधारकर्ता इस अनुबंध की तारीख से पहले या लोनदाता द्वारा बढ़ाई गई किसी तारीख के भीतर नीचे दर्ज शर्तों का पालन करेगा। ऐसी तारीख तक पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप लोनदाता लोन वितरित करने से इनकार कर सकता है और यदि किसी कारण या असाधारण परिस्थितियों में, पहले से वितरित किया गया है, तो लोनदाता द्वारा वापस लिया जाएगा। उधारकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्व शर्तें निम्न हैं:

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(a) उधारकर्ता आईसीएफ की क्रेडिट योग्यता की आवश्यकता को पूरा करेगा। आईसीएफ को ऐसे जांच-पड़ताल करने का अधिकार होगा जैसा कि आईसीएफ उचित समझे और इसके अतिरिक्त, आईसीएफ को उधारकर्ता से ऐसे प्रमाणपत्र/जानकारी मांगने का अधिकार होगा जैसा कि आईसीएफ को आवश्यक हो, और उधारकर्ता इसे आईसीएफ को प्रदान करने के लिए सहमति देता है।

(b) कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए।

(c) कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं हुई हों जो उधारकर्ता के वित्तीय दस्तावेजों के तहत उसके दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें।

(d) उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी और यहां और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दर्ज सभी प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणाएं, स्वीकारोक्तियां सत्य, सही और सटीक हैं और संबंधित दस्तावेज प्रमाण लोनदाता को प्रदान किए गए हैं।

(e) उधारकर्ता ने नीचे दर्ज खंड 8 के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमति दी होगी और ऐसी सुरक्षा लोनदाता की संतुष्टि के अनुसार बनाई होगी।

(f) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय दस्तावेजों का निष्पादन, मांग-पत्र और सुरक्षा दस्तावेजों का निष्पादन और ऐसी सुरक्षा अधिकारों का निर्माण और पूर्णता, जैसे कि संपत्ति पर प्रथम विशेष मॉरगेज का निर्माण, आईसीएफ की स्वीकृति के अनुसार किया जाएगा। जहां उधारकर्ता को सुरक्षा निर्माण के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति से सहमति की आवश्यकता हो, वहां उधारकर्ता ने वित्तीय दस्तावेजों के निष्पादन और लोन प्राप्त करने से पहले सभी आवश्यक सहमतियां प्राप्त कर ली होंगी।

(g) उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान चेक और/या अन्य पुनर्भुगतान उपकरण आईसीएफ को जारी और प्रस्तुत किए होंगे, जो सभी बकाया राशि प्राप्त होने के बाद आईसीएफ द्वारा उधारकर्ता को लौटाए जा सकते हैं या नष्ट किए जा सकते हैं।

(h) उधारकर्ता आईसीएफ को संपत्ति का मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेज प्रदान करेगा।

(i) लोन के किसी भी वितरण से पहले और वितरण की पूर्व शर्त के रूप में, आईसीएफ संपत्ति की टाइटल खोज करवा सकता है, जिसकी लागत उधारकर्ता वहन करेगा, और उधारकर्ता संपत्ति से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज आईसीएफ को प्रस्तुत करेगा।

(j) उधारकर्ता वित्तीय दस्तावेजों के तहत सभी लागू नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

(k) आईसीएफ को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में, उधारकर्ता के पास लोन लेने, वित्तीय दस्तावेज निष्पादित करने और संपत्ति और अन्य संपत्तियों पर सुरक्षा अधिकार बनाने की शक्ति होने का प्रमाण प्रदान किया जाएगा।

(l) अगर उधारकर्ता का बैंक और वित्तीय संस्थाओं से कुल जोखिम 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो उधारकर्ता ने कानूनी इकाई पहचान कोड प्राप्त करके लोनदाता को सौंपा है।

(m) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि (i) संपत्ति से संबंधित टाइटल खोज रिपोर्ट और तकनीकी रिपोर्ट स्पष्ट हों और उधारकर्ता की संपत्ति पर वैध, स्पष्ट और विपणन योग्य टाइटल दर्शाए गए हों; (ii) सभी सत्यापन रिपोर्ट सकारात्मक हों; (iii) आईसीएफ के अधिकारी द्वारा संपत्ति का निरीक्षण आईसीएफ को संतोषजनक हो; और (iv) संपत्ति पर उधारकर्ता के टाइटल का पूरा दस्तावेज चेन आईसीएफ को प्रदान किया जाए।

(n) अगर आवश्यक हो, तो उधारकर्ता बैंक गारंटी का प्रबंध करेगा और/या लोन राशि के लिए लोनदाता के पक्ष में मांग-पत्र निष्पादित करेगा।

(o) उधारकर्ता और/या वह व्यक्ति जिसे लोनदाता आवश्यक समझे, ने ऐसे अन्य दस्तावेज या लेखन निष्पादित किए होंगे जो लोनदाता द्वारा आवश्यक हों, और ऐसे अन्य कार्य किए होंगे और अन्य दस्तावेज निष्पादित किए होंगे जो लोनदाता द्वारा आवश्यक हों।

8. प्रतिभूति

8.1. लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को इस लोन सुविधा प्रदान करने पर सहमति देने के विचार में, यहां दर्ज शर्तों और नियमों के अधीन, उधारकर्ता यह सहमति देता है कि वह लोनदाता के पक्ष में निम्नलिखित सुरक्षा स्थापित करेगा, ताकि बकाया राशि सुरक्षित रहें, जिसमें लोन, ब्याज दर के अनुसार देय राशि और दंडात्मक शुल्क (*अगर कोई हो*) ("सुरक्षा") शामिल हैं:

(i) संपत्ति पर प्रथम श्रेणी का अनन्य बंधक और परिसंपत्तियों पर ऐसा सुरक्षा हित जैसा कि अनुसूची में उल्लेखित है;

(ii) लोनदाता के पक्ष में मांग-पत्र; और

(iii) अन्य संपत्तियों पर सुरक्षा अधिकार, जैसा कि आईसीएफ समय-समय पर आवश्यक समझे।

8.2. उधारकर्ता इससे भी सहमत और प्रतिबद्ध है कि आवश्यकतानुसार ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित करेगा और/या प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण करेगा, ताकि लोनदाता का संपत्ति और अन्य सुरक्षित संपत्तियों पर अधिकार पूर्ण हो सके।

8.3. अगर उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा अपर्याप्त/गलत मूल्य की पाई जाती है, तो उधारकर्ता आईसीएफ की आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसा लागू हो अन्यथा आईसीएफ लोन की रिकवरी शेष भुगतान को तुरंत वापस ले सकता है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

8.4. अगर उधारकर्ता एक कंपनी है, तो उधारकर्ता सहमत और प्रतिबद्ध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा में लोनदाता के पक्ष में सुरक्षा के निर्माण के लिए आरओसी के पास निर्धारित फॉर्म दाखिल करेगा।

8.5. जहां लागू हो और/या लोनदाता द्वारा आवश्यक हो, उधारकर्ता संबंधित सुरक्षा दस्तावेज संबंधित सब-रजिस्टार (एसआरओ) के साथ पंजीकृत करेगा या संपत्ति पर सुरक्षा अधिकार निर्माण की सूचना संबंधित एसआरओ को देगा।

8.6. अगर उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत सुरक्षा अधिकार को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उधारकर्ता संबंधित प्राधिकरण को लागू दंड शुल्क का भुगतान करेगा और लोनदाता के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा अधिकार को पूर्ण करेगा, अन्यथा आईसीएफ को लोन तुरंत वापस लेने का अधिकार होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

9. निरंतर प्रतिभूति

संपत्ति पर बनाए गए सभी सुरक्षा हित अन्य किसी भी सुरक्षा के अतिरिक्त होंगे और उनको प्रभावित नहीं करेंगे, जो आईसीएफ किसी भी समय बकाया राशियों के संबंध में रख सकता है। यह आईसीएफ के लिए लगातार सुरक्षा बनी रहेगी और यह उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता को मध्यवर्ती भुगतान या किसी खाता सेटलमेंट से मुक्त/रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक कि आईसीएफ द्वारा दिए गए सभी लोन/सुविधाओं के तहत लोन और अन्य सभी बकाया राशि पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती और आईसीएफ सुरक्षा हित के संबंध में उधारकर्ता को लिखित रूप में रिलीज/मुक्ति प्रदान नहीं करता।

10. पुनर्भुगतान, पूर्व भुगतान, समान मासिक किश्तें/समान त्रैमासिक किश्तें/समान अर्धवार्षिक किश्तें और ब्याज

10.1. उधारकर्ता इसके द्वारा यह समझता है, मानता है, पुष्टि करता है, भरोसा दिलाता है और सहमत है कि:

(a) यह लोन, ब्याज दर के अनुसार, उधारकर्ता द्वारा चुकाया जाएगा और लोन अवधि के अनुसार पुनर्भुगतान कार्यक्रम में दर्ज रूप में ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई और/या पीईएमआईआई के माध्यम से किश्तों में वितरित किया जाएगा, जैसा कि इस अनुसूची में निर्दिष्ट है, जिसमें समय अनुबंध का अहम हिस्सा है। एक से अधिक उधारकर्ता होने की स्थिति में, लोन और बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्येक उधारकर्ता की देयता संयुक्त और अलग-अलग होगी। वित्तीय दस्तावेजों के तहत सभी भुगतान (जिसमें ब्याज दर पर ब्याज और अन्य शुल्क और राशियां शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिसमें दंडात्मक शुल्क (*अगर कोई हो*) शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) वे उधारकर्ता द्वारा उसके स्वयं के बैंक खाते से आईसीएफ को बिना किसी आपत्ति, विरोध, विलंब या चूक के और किसी समायोजन, कटौती या प्रतिदावा का दावा किए बिना भुगतान किए जाएंगे।

(b) अगर इस अनुबंध के अनुसार वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर में संशोधन किया जाता है, तो वित्तीय दस्तावेजों में निहित किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि आईसीएफ को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार से, वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर में परिवर्तन को समायोजित करने हेतु, ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की राशि को बढ़ाने/घटाने और/या लोन की अवधि को बढ़ाने/घटाने का अधिकार होगा। बशर्ते कि लोन की मूल अवधि को बढ़ाने के मामले में, यह सिर्फ मंजूर अवधि तक ही किया जाएगा अगर ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की राशि में कोई संशोधन किया जाता है, तो ऐसी परिवर्तन केवल भविष्य की किश्तों पर ही लागू होगा।

(c) उपरोक्त उप-खंड के अनुसार अगर ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की राशि में कोई परिवर्तन होता है, तो उधारकर्ता इस बात से सहमत है और यह आश्वासन देता है कि वह तत्काल आईसीएफ के पक्ष में नए पुनर्भुगतान साधन जारी करेगा।

(d) आईसीएफ उधारकर्ता को नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के संबंध में सूचना देगा, जिसमें वितरण अनुसूची, वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर की जानकारी शामिल हैं। आईसीएफ ऐसे परिवर्तनों की सूचना स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में देगा।

(e) जहां लोन का वितरण एकल किश्त में किया जाता है, वहां लोन का पुनर्भुगतान पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। जहां लोन का वितरण एक से अधिक किश्तों में करना है, वहां उधारकर्ता ने लोनदाता के साथ पारस्परिक सहमति से नीचे दर्ज विकल्पों में से एक विकल्प चुना है, और लोन का पुनर्भुगतान समय-समय पर लोनदाता द्वारा प्रदान की गई पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

i. <u>पूर्ण लोन (सभी किश्तों) के वितरण के बाद किश्त शुरू होगी, तब तक केवल पीईएमआईआई लागू होगा:</u> इस विकल्प के तहत, अगर लोन का वितरण एक से अधिक किश्तों में किया जाता है, तो ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई देय होगी, जब लोन पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है (सभी किश्तें) या अगर आगे का वितरण लोनदाता द्वारा कैंसल कर दिया गया हो। तब तक, पीईएमआईआई का भुगतान उधारकर्ता द्वारा इस अनुबंध में प्रदान की गई विधि से किया जाएगा।

ii. <u>वितरित लोन राशि के लिए किश्त:</u> इस विकल्प के तहत, ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई लोनदाता द्वारा प्रथम वितरण किए जाने की तिथि से शुरू होगी और उधारकर्ता द्वारा देय होगी। ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की गणना लोनदाता द्वारा संपूर्ण अवधि के लिए किए गए वास्तविक वितरण के आधार पर की जाएगी। इसके बाद , प्रत्येक आगामी वितरण के बाद, ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की पुनर्गणना लोनदाता द्वारा इसके अनुसार की जाएगी ताकि प्रथम वितरण के बाद किए गए वितरणों को सम्मिलित किया जा सके। पुनर्भुगतान अनुसूची को इसके अनुसार लोनदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(f) वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता की ओर से चूक की स्थिति उत्पन्न होने पर, लोनदाता को इस अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार, इस संलग्न अनुसूची में दर्ज दंडात्मक शुल्क लगाने का अधिकार अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार से होगा।

(g) उधारकर्ता द्वारा किए गए लिखित वितरण अनुरोध के अनुसरण में, उधारकर्ता यह समझता है कि लोनदाता द्वारा लोन के वितरण की तिथि से लोन पर ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता उत्तरदायी होगा।

(h) उधारकर्ता ने लोनदाता द्वारा वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर निर्धारित करने की पद्धति, साथ ही ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की गणना की प्रक्रिया और ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई को मूलधन और ब्याज में विभाजित करने के तरीके को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उससे सहमति व्यक्त की है। उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि लोनदाता ने इसके लिए युक्तिसंगत और उपयुक्त आधार अपनाया है और उधारकर्ता उसी का पालन करने के लिए सहमत हैं।

(i) इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता आईसीएफ को, जैसा भी मामला हो, ब्याज-कर और कोई अन्य कर या अन्य शुल्क का भुगतान करेगा और/या प्रतिपूर्ति करेगा जो इन प्रस्तुतियों के तहत ब्याज भुगतान पर या उसके संबंध में लगाया जा सकता है।

(j) उधारकर्ता ने अपने स्वयं के बैंक खाते से आईसीएफ के पक्ष में पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस मैंडेट/स्थायी निर्देश ("पुनर्भुगतान साधन") जारी किए हैं, जो इस दस्तावेज में निर्धारित अनुसार लोन के संबंध में आईसीएफ को देय सभी राशियों, जिनमें ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई और/या पीईएमआईआई शामिल हैं, को कवर करते हैं और प्रत्येक ऐसे पुनर्भुगतान साधन पर वह तिथि अंकित है, जिस दिन ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/पीईएमआईआई देय होती है। उधारकर्ता इसके द्वारा बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से यह वचन देता है कि इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पुनर्भुगतान साधन वित्तीय दस्तावेजों के निष्पादन के समय या उससे पूर्व दिए गए हैं, उधारकर्ता द्वारा दिए गए पुनर्भुगतान साधन ऐसे लिखत की संबंधित तिथियों से वैध होंगे और किसी भी समय उधारकर्ता किसी भी कारण से उन्हें अवैध होने का दावा नहीं करेगा। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि वह उस खाते में, जिस पर ऐसे पुनर्भुगतान साधन प्रदान किए गए हैं, राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और उधारकर्ता किसी भी समय अपना खाता बंद नहीं करेगा और/या आईसीएफ को ऐसे किसी पुनर्भुगतान साधन को भुनाने के लिए प्रस्तुत न करने का निर्देश देते हुए कोई नोटिस जारी नहीं करेगा या अपने बैंक को ऐसे किसी पुनर्भुगतान उपकरण पर भुगतान रोकने का निर्देश नहीं देगा। अगर उधारकर्ता उपरोक्त का पालन नहीं करता है, तो भी आईसीएफ पुनर्भुगतान साधन प्रस्तुत करने और/या आईसीएफ को भुगतान हेतु दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने का अधिकार रखेगा, और ऐसे पुनर्भुगतान साधन के डिफॉल्ट और/या आईसीएफ को दिए गए निर्देश के पालन न होने की स्थिति में, इसे चूक की घटना माना जाएगा। उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि लोन आईसीएफ द्वारा अन्य *बातों के* साथ-साथ उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ के पक्ष में जारी किए गए पुनर्भुगतान साधन के आधार पर उपलब्ध कराया गया है, जो उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को देय ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई के पुनर्भुगतान हेतु हैं, और पुनर्भुगतान साधन का विवरण इस संलग्न अनुसूची में अधिक पूर्ण रूप से दर्ज है।

(k) यह सहमति की जाती है कि पुनर्भुगतान चेक प्राप्त करने से आईसीएफ किसी भी चूक की स्थिति में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं होगा और पुनर्भुगतान साधन का जारी करना वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के किसी भी दायित्व को समाप्त नहीं करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के पुनर्भुगतान साधन का सम्मान करने का दायित्व शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इसके अनुसार, पुनर्भुगतान साधन/साधनों के जारी किए जाने मात्र से उधारकर्ता को यह बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा कि पुनर्भुगतान साधन के चूक की स्थिति में आईसीएफ को भुगतान प्राप्त करने के लिए उन साधनों का उपयोग करना चाहिए था या वह ऐसा कर सकता था।

(l) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि किसी भी कारण से किसी भी पुनर्भुगतान साधन का डिफॉल्ट या बिना भुगतान लौटाया जाना, जैसा भी लागू हो, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के खंड 138 या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के खंड 25, जैसा भी मामला हो, के तहत उधारकर्ता और उसके हस्ताक्षरकर्ताओं (अगर लागू हो) द्वारा अपराध करना माना जाएगा।

(m) उधारकर्ता आईसीएफ की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपना नाम परिवर्तित नहीं करेगा और न ही उस खाते को परिवर्तित करेगा या बंद करेगा, जिस पर पुनर्भुगतान साधन प्रदान किए गए हैं।

(n) किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद उधारकर्ता को किसी भी ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई या पीईएमआईआई या अन्य बकाया राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और आईसीएफ संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता के बैंक में पुनर्भुगतान साधन प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।

(o) यहां निहित किसी भी बात के बावजूद, आईसीएफ को अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, उधारकर्ता द्वारा किसी भी बकाया राशि के विरुद्ध किए गए किसी अग्रिम ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई और/या प्रतिभूति जमा/उत्पत्ति भुगतान को ऐसे तरीके से और ऐसे समय पर समायोजित करने का अधिकार होगा जैसा वह निर्धारित करे।

(p) आईसीएफ को पीईएमआईआई या किसी अन्य देयों को लोन की अवितरित राशि के विरुद्ध समायोजित करने का अधिकार होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(q) वित्तीय दस्तावेजों में निहित किसी भी बात के बावजूद, बकाया राशि आईसीएफ की मांग पर उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को देय और भुगतान योग्य होगी। आईसीएफ किसी भी समय अपने एकमात्र विवेकाधिकार से और बिना कोई कारण बताए उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है और इसके बाद उधारकर्ता बिना किसी विलंब या आपत्ति के संपूर्ण बकाया राशि का तत्काल आईसीएफ को भुगतान करेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(r) पीईएमआईआई और ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई का भुगतान उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को उस रूप, सार और तरीके में किया जाएगा जो आईसीएफ को स्वीकार्य हो। उधारकर्ता ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई के शुरू होने तक मासिक आधार पर पीईएमआईआई का भुगतान करता रहेगा।

(s) उधारकर्ता दंडात्मक शुल्क (अगर कोई हो) और केएफएस और इस संलग्न अनुसूची में दर्ज अन्य शुल्क और प्रभारों का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि ऐसे अग्रिम शुल्कों की कटौती के बावजूद, लोनदाता को पुनर्भुगतान करने के उधारकर्ता के दायित्व में संपूर्ण लोन राशि के साथ ब्याज दर पर ब्याज और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय अन्य प्रभारों, शुल्कों और व्यय शामिल होगा।

(t) इस अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी भुगतान:

i) किसी भी कर (एक "कर कटौती") के लिए बिना किसी कटौती या रोक के भुगतान किए जाएंगे जब तक कि कानून द्वारा कर कटौती की आवश्यकता न हो; और

ii) किसी भी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, मूल्य वर्धित कर या इसी प्रकार के किसी कर ("अप्रत्यक्ष कर") से अलग हैं। यदि कोई अप्रत्यक्ष कर देय हो, तो उधारकर्ता को संबंधित भुगतान के प्राप्तकर्ता को अप्रत्यक्ष कर की राशि के बराबर राशि भी उसी समय चुकानी होगी।

10.2 पूर्वभुगतान

(a) उधारकर्ता, कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान अपने विवेक से लोन की राशि चुकाने का हकदार होगा। इसके लिए उसे लोन की राशि के साथ-साथ दिनों की संख्या के हिसाब से ब्याज दर पर ब्याज और ऐसे भुगतान/चुकाने की तारीख तक उधारकर्ता को बाकी सभी बकाया राशि चुकानी होगी।

(b) पूर्व पूर्ण भुगतान

कूलिंग अवधि की समाप्ति पर, उधारकर्ता के अनुरोध पर, आईसीएफ अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, इस अनुसूची में दर्ज लोन के लिए लागू पूर्व भुगतान शुल्क के भुगतान और आईसीएफ द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन, पूर्ण पूर्व भुगतान स्वीकार कर सकता है और लोन को बंद कर सकता है। पूर्व भुगतान लोनदाता द्वारा बकाया राशि की रिकवरी होने पर प्रभावी होगा, साथ ही उससे संबंधित लोनदाता को देय अन्य राशियों की प्राप्ति पर प्रभावी होगा, जिनमें पूर्व भुगतान शुल्क/समापन शुल्क शामिल हैं।

(c) आंशिक पूर्व भुगतान

(i) कूलिंग अवधि की समाप्ति पर, उधारकर्ता के अनुरोध पर, आईसीएफ, इस अनुसूची में दर्ज लोन के आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क के भुगतान और आईसीएफ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन, एक अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में अधिकतम बार, लोन का आंशिक पूर्व भुगतान स्वीकार कर सकता है. जैसा कि इस अनुसूची में दर्ज है।

(ii) उधारकर्ता सहमत है कि आईसीएफ समय-समय पर पूर्व भुगतान और/या ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई के तुरंत भुगतान के कारण देय न्यूनतम राशि निर्धारित कर सकता है। पूर्व भुगतान लोनदाता द्वारा पूर्व भुगतान हेतु सहमत लोन राशि की रिकवरी होने पर प्रभावी होगा, साथ ही उससे संबंधित लोनदाता को देय अन्य राशियों की प्राप्ति पर होगा।

(iii) यहां दर्ज अनुसार उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान के आधार पर, या तो लोन की अवधि आंशिक पूर्व भुगतान की सीमा तक कम की जाएगी या पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति से लोन की अवधि को यथावत रखते हुए मासिक किश्त की राशि कम की जाएगी। उधारकर्ता संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करने के लिए सहमत है।

(d) कूलिंग अवधि की समाप्ति से 12 (बारह) महीनों की अवधि तक लोन का कोई पूर्व भुगतान अनुमत नहीं होगा। हालांकि, उधारकर्ता के अनुरोध पर, लोनदाता अपने एकमात्र विवेकाधिकार से उपरोक्त 12 (बारह) महीनों की अवधि के भीतर लोन के पूर्व भुगतान की अनुमति दे सकता है। ऐसे पूर्व भुगतान पर इस अनुसूची में दर्ज पूर्व भुगतान शुल्क/समापन शुल्क/आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क लागू होंगे।

(e) अगर लोनदाता द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उधारकर्ता लोन को बंद करने के अपने इरादे की सूचना (पूर्ण या आंशिक, जैसा भी मामला हो) देने हेतु 7 (सात) दिनों की पूर्व लिखित सूचना देगा और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर बकाया राशि/पूर्व भुगतान हेतु सहमत राशि (जैसा भी मामला हो) और उससे संबंधित लोनदाता को देय अन्य राशियों का भुगतान करेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

11. दंडात्मक शुल्क

11.1. वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय किसी भी बकाया राशि का नियत तिथियों पर नियमित और विधिवत भुगतान करने के उसके दायित्व के संबंध में उधारकर्ता को कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी। ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई, पीईएमआईआई और बकाया राशि का समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करना पूरी तरह से उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

11.2. उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, अगर उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत और/या लोन से संबंधित और/या किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज के तहत देय किसी भी राशि के भुगतान में विलंब/चूक करता है, तो उधारकर्ता इस अनुसूची में दर्ज दर और तरीके से दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी तर्कसंगतता को उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है। दंडात्मक शुल्क का भुगतान वित्तीय दस्तावेजों के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और/या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, इस खंड के तहत दंडात्मक शुल्क का लागू होना, उधारकर्ता द्वारा भुगतान में विलंब/चूक के लिए लोनदाता को चूक की घटना घोषित करने से नहीं रोकेगा और न ही चूक की घटना होने पर उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपायों के प्रयोग को प्रभावित करेगा।

11.3. दंडात्मक शुल्क विलंबित राशि पर देय होगा और उस अवधि के लिए होगा जो ऐसे भुगतान चूक की तिथि से शुरू होकर उस तिथि तक देय है, जिस पर उक्त भुगतान लोनदाता की संतुष्टि के अनुसार उसे प्राप्त नहीं हो जाता है।

11.4. उधारकर्ता सहमत है कि दंडात्मक शुल्क उपरोक्त खंड 11.2 में दर्ज घटनाओं के घटित होते ही तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएगा और उधारकर्ता इस अनुसूची में दर्ज अनुसार दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।

12. विनियोजन

12.1. आईसीएफ द्वारा अन्यथा सहमति न होने पर, वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय और उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी भुगतान का विनियोजन निम्न क्रम में किया जाएगा:

(a) सबसे पहले, लागत, शुल्क, खर्च, आकस्मिक शुल्क और अन्य राशि के लिए, जो लोनदाता द्वारा लोन की रिकवरी के संबंध में खर्च की गई हो और अनुसूची में निर्धारित हो;

(b) दूसरा, दंडात्मक शुल्क (*अगर कोई हो*) के लिए;

(c) इसके बाद, पूर्व भुगतान शुल्क और शुल्कों (*अगर कोई हो*) के लिए;

(d) इसके बाद, पीईएमआईआई/ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/लोन पर ब्याज दर पर ब्याज के लिए, अगर लोन रोल ओवर लोन है या इस प्रकार जारी है;

(e) इसके बाद, लोन के मूलधन के लिए।

12.2. उपरोक्त के बावजूद, आईसीएफ को किए गए किसी भी भुगतान का विनियोजन आईसीएफ अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके से कर सकता है।

13. अनुबंध और वचन

13.1. सकारात्मक वचनबद्धताएं:

उधारकर्ता आईसीएफ के साथ यह वचन देता है और यह वादा करता है कि उधारकर्ता:

(i) उद्देश्य की प्रगति के संबंध में नियमित अंतराल पर आईसीएफ को सूचित करेगा और किसी भी ऐसी घटना या परिस्थिति की शीघ्र सूचना देगा जो उद्देश्य के शुरू या पूर्णता में विलंब का कारण बन सकती है;

(ii) अगर संपत्ति का नवीनीकरण/सुधार करना है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का नवीनीकरण/सुधार वित्तीय दस्तावेजों में दर्शाए अनुसार और स्वीकृत योजना के अनुरूप संपत्ति पर पूर्ण किया जाए और उधारकर्ता संबंधित नगर निगम और/या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनीकरण/सुधार की अनुमति (अगर लागू हो) की प्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त कर आईसीएफ को प्रस्तुत करेगा और संपत्ति के नवीनीकरण/सुधार की प्रगति के संबंध में आईसीएफ को सूचित करता रहेगा। संपत्ति के नवीनीकरण/सुधार में विलंब का कारण बनने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति की सूचना आईसीएफ को तत्काल दी जाएगी;

(iii) अगर उधारकर्ता अनिवासी भारतीय ("एनआरआई") या भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में उक्त उधारकर्ता द्वारा संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को पट्टा/लीव एंड लाइसेंस पर देना/किरायेदारी के आधार पर तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसके लिए आईसीएफ की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त न हो। अगर संपत्ति को (अगर आईसीएफ द्वारा सहमति दी गई हो) ऐसे उधारकर्ता द्वारा उसके विदेशी देश में प्रवास के दौरान किसी भी व्यक्ति को पट्टा/लीव

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

एंड लाइसेंस पर देना/किरायेदारी के आधार पर दिया जाता है, तो उधारकर्ता यह वादा करता है कि ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किराया राशि का उपयोग लोन के पुनर्भुगतान हेतु करेगा, भले ही प्राप्त किराया मासिक किश्त से अधिक हो। ऐसी स्थिति में, जहां किराया राशि को लोन के पुनर्भुगतान की ओर विनियोजित किया जाता है, आईसीएफ अपने एकमात्र विवेकाधिकार से पोस्ट डेटेड चेकों को बदलने और मासिक किश्तों के पुनर्निर्धारण की अनुमति दे सकता है।

(iv) संपत्ति को अच्छी स्थिति और दशा में बनाए रखेगा और लोन की अवधि के दौरान उसमें आवश्यक सभी मरम्मत, परिवर्धन और सुधार करेगा और उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का मूल्य कम न हो;

(v) अगर उधारकर्ता एक व्यक्ति है, तो उधारकर्ता अपने रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल आईसीएफ को देगा। अगर उधारकर्ता एक व्यक्ति नहीं है, तो उधारकर्ता अपने कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के स्थान, नाम, मुख्य व्यावसायिक गतिविधि में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल आईसीएफ को देगा। अगर उधारकर्ता स्व-रोजगार वाला है, तो उधारकर्ता यह वादा करता है कि वह अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के संबंध में नियमित रूप से आईसीएफ को सूचित करता रहेगा, चाहे आईसीएफ द्वारा इसकी मांग की गई हो या नहीं या उसे इसके संबंध में सूचित किया गया हो या नहीं। अगर उधारकर्ता एक कंपनी, साझेदारी, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार या एकल स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान है, तो उधारकर्ता समय-समय पर आईसीएफ को ऐसी जानकारी और/या दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, चाहे आईसीएफ द्वारा इसकी मांग की गई हो या नहीं या उसे इसके संबंध में सूचित किया गया हो या नहीं;

(vi) संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी नियमों और शर्तों और संबंधित सहकारी समिति, संघ, कंपनी या किसी अन्य सक्षम सरकारी प्राधिकरण के सभी नियमों, विनियमों, उपविधियों आदि का विधिवत और समय पर पालन करेगा, और संपत्ति के रखरखाव हेतु देय रखरखाव शुल्क और अन्य प्रभारों का भुगतान करेगा, साथ ही संपत्ति और/या उसके उपयोग के संबंध में देय अन्य सभी देयों का भुगतान करेगा और नगरपालिका कानूनों और विनियमों के अनुसार सभी कर, नगरपालिका कर, भूमि किराया और अन्य नगरपालिका और स्थानीय प्रभारों का भुगतान करेगा;

(vii) आईसीएफ से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने के संबंध में समय-समय पर लागू आईसीएफ के नियमों, विनियमों और नीतियों से स्वयं को अवगत रखेगा;

(viii) लोनदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/नीतियों का पालन करेगा और उनसे बाध्य रहेगा;

(ix) यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति को आग, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात और आईसीएफ द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य जोखिमों, प्राकृतिक आपदाओं या खतरों के विरुद्ध, प्रथम वितरण की तिथि से 10 (दस) दिनों की अवधि के भीतर, आईसीएफ द्वारा आवश्यक मूल्य के लिए, बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत आईसीएफ को "हानि के लिए प्राप्तकर्ता" के रूप में नामित करते हुए बीमित किया जाए और यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा पॉलिसी/पॉलिसियां वैध, लागू और प्रभावी रहें, जिसके लिए ऐसी बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों के निर्गमन की शर्तों का पालन करेगा, जिसमें प्रीमियम का समय पर भुगतान शामिल है, और समय-समय पर और जब भी आईसीएफ द्वारा अपेक्षित हो, उसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा;

(x) आग, भूकंप, बाढ़, तूफान, अंधड़ या टाइफून या दुर्भावनापूर्ण क्षति या दैवीय घटना सहित किसी भी कारण से संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के बारे में तत्काल आईसीएफ को सूचित करें;

(xi) निरीक्षण के उद्देश्य से आईसीएफ द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को संपत्ति तक निर्बाध पहुंच की अनुमति देगा;

(xii) निम्न के बारे में तत्काल आईसीएफ को सूचित करेगा:

a) उधारकर्ता और किसी थर्ड पार्टी या किसी सरकारी प्राधिकरण के बीच संपत्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद;
b) संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के विरुद्ध लगाया गया कोई भी कुर्की या निष्पादन;
c) ऐसी कोई भी परिस्थिति जो उधारकर्ता की वित्तीय दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हो;
d) उधारकर्ता के पते में परिवर्तन;

(xiii) उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, चीजों, अनुबंध, दस्तावेजों, लेखों, कागजात, क्षतिपूर्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी , उपकरणों आदि को पूरा करेगा, निष्पादित करेगा और सम्पन्न करेगा, जिन्हें आईसीएफ सुरक्षा हित की पूर्णता के लिए या वित्तीय दस्तावेजों के आशय को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे;

(xiv) आईसीएफ के पक्ष में संपत्ति पर सुरक्षा हित/प्रथम और अनन्य मॉरगेज को ऐसे रूप, सार और तरीके से बनाएगा, जैसा आईसीएफ द्वारा आवश्यक हो;

(xv) समयबद्ध तरीके से और उधारकर्ता की लागत पर, आईसीएफ के पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित को ऐसे रूप और तरीके से पंजीकृत और/या दाखिल करेगा, जो आईसीएफ को स्वीकार्य हो, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री और ऐसे अन्य सरकारी प्राधिकरण/रजिस्टार के पास करेगा, जैसा कानून द्वारा या आईसीएफ द्वारा आवश्यक हो और आईसीएफ की संतुष्टि के अनुसार ऐसे पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करेगा;

(xvi) संपत्ति से संबंधित सभी मूल स्वामित्व विलेख आईसीएफ के पास जमा करेगा;

(xvii) ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/पीईएमआईआई और सभी बकाया राशियों का आईसीएफ को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान के लिए जारी किए गए पुनर्भुगतान उपकरण प्रस्तुतीकरण पर भुनाए जाएं। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके बैंक खाते से

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/पीईएमआईआई की राशि डेबिट हो गई है और अगर उसके खाते से राशि डेबिट नहीं की गई है, तो उधारकर्ता को इस संबंध में ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की देय तिथि से 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर आईसीएफ को सूचित करना होगा;

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(xviii) आईसीएफ को समय-समय पर उधारकर्ता, उसके रोजगार, व्यापार, व्यवसाय और/या पेशे और/या संपत्ति के संबंध में ऐसी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेगा, जो आईसीएफ द्वारा आवश्यक हों;

(xix) वित्त पोषण और/या संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने, कार्य करने या कार्य न करने से पहले उचित देखभाल और सावधानी बरतेगा (जिसमें आवश्यक होने पर टैक्स/कानूनी/लेखांकन/वित्तीय/अन्य पेशेवरों की सलाह लेना शामिल है);

(xx) अगर उधारकर्ता एक कंपनी है, तो प्रभार सृजन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास उचित फॉर्म में आईसीएफ के पक्ष में बनाए गए प्रभार को पंजीकृत करेगा;

(xxi) यह सुनिश्चित करेगा कि आईसीएफ के पक्ष में संपत्ति पर बनाया गया सुरक्षा हित लोनदाता की संतुष्टि के अनुसार सीईआरएसएआई के पास पंजीकृत है और आईसीएफ की संतुष्टि के अनुसार ऐसे पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करेगा;

(xxii) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्य लोन सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ/आईसीएफ समूह को प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा, वित्तीय दस्तावेजों के तहत चूक होने पर आईसीएफ के लिए उपलब्ध होगी और इसके विपरीत भी उपलब्ध होगी;

(xxiii) आईसीएफ को उतनी संख्या में पोस्ट-डेटेड चेक प्रस्तुत करेगा जितने आईसीएफ द्वारा आवश्यक हों;

(xxiv) निम्न में किसी भी परिवर्तन/बदलाव की स्थिति में आईसीएफ की आवश्यकतानुसार तत्काल नए पुनर्भुगतान उपकरण जारी करेगा: (i) ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई या पीईएमआईआई के भुगतान की तिथि; (ii) मूलधन की राशि, ब्याज दर पर देय धन, ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई या पीईएमआईआई; या (iii) उनकी संख्या;

(xxv) उधारकर्ता मॉरगेज दस्तावेजों को संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करेगा या संपत्ति पर बनाए गए/बनाए जाने वाले मॉरगेज के संबंध में सूचना का नोटिस या अन्य विवरण संबंधित रजिस्ट्रार (जैसा लागू हो) और लागू कानूनों और लोनदाता द्वारा आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा;

(xxvi) लोन की पूरी राशि का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा और किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग किसी आपराधिक तत्व/मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा;

(xxvii) अगर लोनदाता द्वारा आवश्यक हो, तो उधारकर्ता लोनदाता को एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से लोनदाता द्वारा स्वीकार्य रूप और तरीके से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लोन का उपयोग केवल इस अनुबंध में बताए गए उद्देश्य के लिए किया गया है;

(xxviii) संपत्ति के कब्जे/भाग में बना रहेगा और तब तक उसके कब्जे का हिस्सा, आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं छोड़ेगा, जब तक कि वित्तीय दस्तावेजों के तहत बकाया राशि और अन्य देय राशि आईसीएफ द्वारा उसकी संतुष्टि के अनुसार रिकवर न कर ली जाए;

(xxix) यह सुनिश्चित करें कि बीमा पॉलिसी की प्रति और उसके बाद के नवीनीकरण प्रमाण पत्र लोनदाता के पास जमा किए जाएं;

(xxx) लोन प्राप्त करने के उद्देश्य से या अन्यथा उधारकर्ता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में किसी भी अपडेट के मामले में, उधारकर्ता दस्तावेजों के अपडेट के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर लोनदाता को ऐसे दस्तावेजों का अपडेट जमा करेगा;

(xxxi) लोन की निरंतरता के दौरान हर समय, स्वीकृति पत्र/वित्तीय दस्तावेजों में दर्शाए गए या समय-समय पर आईसीएफ द्वारा सूचित किए गए लोन टू वैल्यू रेशियो ("एलटीवी") को बनाए रखेगा;

(xxxii) अगर उधारकर्ता व्यक्ति के अलावा कोई इकाई है तो वह उन पर या उनके व्यवसाय/इकाई पर लागू सभी कानूनों का पालन करेगा;

(xxxiii) अगर उधारकर्ता एक गैर-लाभकारी संगठन है, तो उधारकर्ता अपना विवरण पंजीकृत करेगा या सुनिश्चित करेगा कि उसका विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत है;

(xxxiv) लोनदाता को तत्काल ऐसी जानकारी, दस्तावेज और डेटा प्रदान करेगा, जो किसी लागू कानून और/या आरबीआई निर्देश के संदर्भ में लोनदाता द्वारा आवश्यक हो;

(xxxv) उधारकर्ता अपने व्यवसाय के लिए उचित अकाउंट बुक रखने के लिए सहमत है और, जब भी आईसीएफ द्वारा आवश्यक हो, लोनदाता द्वारा ऑडिट करने के उद्देश्य से आईसीएफ और उसके किसी भी अधिकारी, एजेंट, सलाहकार, परामर्शदाता, ऑडिटर्स (बाहरी या आंतरिक) के निरीक्षण के लिए ऐसी अकाउंट बुक और उससे संबंधित और संपत्ति से संबंधित सभी वाउचर, कागज और दस्तावेज पेश करेगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता ऐसे निरीक्षण/ऑडिट को करने में उन्हें पूर्ण सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और इसका पूरा खर्च और व्यय उधारकर्ता का ही होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(xxxvi) जब भी लोनदाता द्वारा आवश्यक हो, लोनदाता को स्वीकार्य रूप और तरीके से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लोन का उपयोग केवल इस अनुबंध में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया गया है।

(xxxvii) यदि लागू हो, तो लोनदाता के अनुरोध पर, अपने ऑडिटर द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच करवाई जाएगी कि क्या उधारकर्ता द्वारा धन के उपयोग में कोई बदलाव या हेराफेरी (साइफनिंग) की गई थी। इस खंड में निहित किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता सहमत है कि लोनदाता अपने ऑडिटर को सीधे निर्देश दे सकता है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या उधारकर्ता द्वारा धन के उपयोग में बदलाव/हेराफेरी की कोई घटना हुई थी। उधारकर्ता सहमत है कि ऐसी जांच की लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

13.2. उधारकर्ता आगे निम्नानुसार सहमत, पुष्टि, वचन और प्रतिज्ञा करता है:

(i) कानून और वित्तीय दस्तावेजों के तहत आईसीएफ के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगर एलटीवी स्वीकृति पत्र/वित्तीय दस्तावेजों में दर्शाए गए मूल्य से या उधारकर्ता को सूचित किए गए मूल्य से नीचे गिर जाता है, तो आईसीएफ उधारकर्ता से एलटीवी बहाल करने की मांग कर सकता है और उधारकर्ता ऐसी कमी होने पर तत्काल आईसीएफ को नकद भुगतान करके या आईसीएफ को स्वीकार्य अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करके अंतर को पूरा करेगा, जो कमी की राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक मूल्य की होगी;

(ii) उधारकर्ता सहमत है, स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि आईसीएफ के मानक आंतरिक लोन-से-सुरक्षा मूल्य मानदंड, वर्तमान मार्जिन मानक और आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं, समय-समय पर प्रचलित आईसीएफ की आंतरिक नीतियों के आधार पर आईसीएफ द्वारा अपने विवेक से हर समय निर्धारित की जाती हैं, और यह कि ऐसे आंतरिक मानदंड, मानक, आवश्यकताएं और/या प्रक्रियाएं उस स्थिति में लागू की जाएंगी जब इस अनुबंध/वित्तीय दस्तावेजों के नियम और शर्तें ऐसे संशोधित मानदंडों, मानकों, आवश्यकताओं और/या प्रक्रियाओं के साथ असंगत या प्रतिकूल हों, आईसीएफ उधारकर्ता को ऐसी असंगति के बारे में सूचित करेगा और उसके बाद इस अनुबंध/वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों को आईसीएफ और/या उधारकर्ता की ओर से किसी और कार्रवाई की आवश्यकता के बिना आवश्यक सीमा तक संशोधित या परिवर्तित माना जाएगा;

(iii) आईसीएफ द्वारा किया गया संपत्ति का मूल्यांकन ऐसी संपत्ति के मूल्य का निर्णायक प्रमाण होगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता बिना किसी आपत्ति या विरोध के आईसीएफ द्वारा किए गए ऐसे मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए सहमत है;

(iv) अगर उधारकर्ता उपरोक्त तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करके एलटीवी को बहाल करने में विफल रहता है, तो आईसीएफ उस संपत्ति को बेचने या भुनाने का हकदार होगा जिस पर लोन के संबंध में आईसीएफ का सुरक्षा हित है। बिक्रीभुनाने/ से प्राप्त राशि का उपयोग बकाया राशि को कम करने के लिए ऐसे क्रम में किया जाएगा जैसा आईसीएफ उचित समझे।

(v) आईसीएफ नुकसान को कम करने या संपत्ति या सुरक्षा हित को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य उधारकर्ता की ओर से करने के लिए अधिकृत है, हालांकि वह इसके लिए बाध्य नहीं है;

(vi) वित्तीय दस्तावेजों के तहत आईसीएफ के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज और अन्य राशियां संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता के लोन खाते में चार्ज/ की जाएंगी और उन्हें बकाया राशि का हिस्सा माना जाएगा। इस प्रकार के ब्याज और अन्य राशियां (दंड शुल्क (अगर कोई हो) को छोड़कर) पर वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार लोन पर लागू ब्याज दर पर ब्याज लगेगा, जब तक कि आईसीएफ द्वारा इसकी रिकवरी नहीं हो जाती;

(vii) आईसीएफ को यह अधिकार होगा कि वह अपने एकमात्र विवेक से उपयुक्त और/या आवश्यक समझे जाने पर किसी भी पुनर्भुगतान साधन/पुनर्भुगतान चेक/अन्य साधनों या दस्तावेजों में सभी आवश्यक विवरण भर सके और पुनर्भुगतान साधन/पुनर्भुगतान चेक पर किसी भी प्रकार से अनुमोदन (एंडोर्समेंट) कर सके।

(viii) अगर उधारकर्ता एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) है, तो उधारकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार लोन चुकाने के लिए सहमत है;

(ix) अगर उधारकर्ता एक ट्रस्ट है, तो लोन का उद्देश्य उधारकर्ता के ट्रस्ट होने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है;

(x) अगर उधारकर्ता एक अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) है, तो लोन का उद्देश्य उधारकर्ता के एचयूएफ होने के नाते उसकी संपत्ति के लाभ के लिए या कानूनी आवश्यकता के लिए है और लोन के संबंध में बकाया राशि का भुगतान/पुनर्भुगतान एक कानूनी आवश्यकता है;

(xi) अगर लोन का उद्देश्य उधारकर्ता के मौजूदा वित्तपोषक से लिए गए लोनों का पुनर्भुगतान है, तो उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता को सीधे ऐसे मौजूदा वित्तपोषक को लोन वितरित करने और उक्त वितरण के लिए रसीद प्राप्त करने/स्वीकार करने की अनुमति देता है। साथ ही संबंधित बैंक, और/या वित्तीय

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

संस्थान, और/या किसी अन्य व्यक्ति से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र/पत्र या नो ड्यूज सर्टिफिकेट, प्रभार/लियन/मॉरगेज की मुक्ति का प्रमाण पत्र, उधारकर्ता द्वारा मौजूदा वित्तपोषक के पास जमा किए गए मूल स्वामित्व विलेख और अन्य सभी दस्तावेजों/कागजातों आदि और उनकी प्रतियों को प्राप्त करने की अनुमति देता है जो उधारकर्ता द्वारा अपने मौजूदा वित्तपोषकों के पास जमा किए गए हैं।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

13.3. निषेधात्मक वचनबद्धताएं:

उधारकर्ता आगे आईसीएफ के साथ यह वचन देता है कि, आईसीएफ की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उधारकर्ता निम्न कार्य नहीं करेगा:

(i) संपत्ति या उसके किसी भाग में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा;

(ii) उधारकर्ता की संरचना या संवैधानिक दस्तावेजों (जैसा लागू हो), प्रबंधन, नियंत्रण, अंश पूंजी या वर्तमान स्वामित्व (जैसा लागू हो) में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही इसकी अनुमति देगा;

(iii) किसी अन्य इकाई के साथ किसी भी प्रकार का पुनर्गठन या व्यवस्था या विलय या समामेलन में प्रवेश नहीं करेगा और न ही किसी साझेदारी में प्रवेश करेगा;

(iv) संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा नहीं छोड़ेगा और न ही बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा, न समर्पित करेगा, न पट्टे पर देगा, न उप-पट्टे पर देगा, न किराये पर देगा, न लीव एंड लाइसेंस पर देगा, न छोड़ देगा, न सेटलमेंट करेगा, न भारित करेगा, न परित्यक्त करेगा या संपत्ति या न उसके किसी भाग पर कोई थर्ड पार्टी अधिकार या सुरक्षा हित सृजित करेगा या अन्यथा संपत्ति या उसके किसी भाग के साथ व्यवहार नहीं करेगा, जब तक कि आईसीएफ की पूर्व सहमति प्राप्त न हो और इस संबंध में आईसीएफ द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन न हो;

(v) संपत्ति या उसके किसी भाग को किसी पारिवारिक व्यवस्था या विभाजन के अधीन नहीं करेगा और न ही संपत्ति या उसके किसी भाग को हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में परिवर्तित करेगा;

(vi) किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी प्राधिकरण या स्थानीय या सरकारी निकाय के साथ संपत्ति या उसके किसी भाग का उपयोग, अधिभोग या सेटलमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगा;

(vii) संपत्ति या उसके किसी भाग का किसी अन्य संपत्ति के साथ समामेलित या विलय नहीं करेगा और न ही संपत्ति या उसके किसी भाग पर मार्गाधिकार, प्रकाश, जल या अन्य उपभोगाधिकार या समान अधिकार सृजित करेगा;

(viii) संपत्ति के अनुमत उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा;

(ix) किसी भी थर्ड पार्टी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई अन्य समान या अन्य विलेख निष्पादित नहीं करेगा, जिससे ऐसा थर्ड पार्टी संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार से व्यवहार करने में सक्षम हो;

(x) जब तक बकाया राशि पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाती, तब तक किसी भी स्रोत से उधार नहीं लेगा और न ही संपत्ति या उधारकर्ता की अन्य परिसंपत्तियों पर कोई भार सृजित करेगा;

(xi) किसी भी व्यक्ति के लिए गारंटर नहीं बनेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति के किसी लोन या दायित्व के पुनर्भुगतान की गारंटी देगा;

(xii) आईसीएफ को लोन और बकाया राशि का उसकी संतुष्टि के अनुसार पूर्ण पुनर्भुगतान किए बिना किसी अन्य लोन या वित्तीय दायित्व का पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान नहीं करेगा;

(xiii) संपत्ति की खरीद के लिए उधारकर्ता द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में किसी संशोधन या कैंसलेशन की अनुमति नहीं देगा;

(xiv) लोनदाता की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना संपत्ति या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार की कुर्की या जब्ती होने नहीं देगा और न ही ऐसी कोई बात होने देगा जिससे यहां सृजित सुरक्षा को क्षति या खतरा हो; या

(xv) संपत्ति का उपयोग किसी भी अनुचित या अवैध या आपराधिक या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए नहीं करेगा और न ही संपत्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए अपनाएगा या परिवर्तित करेगा जो अनुचित या अवैध या गैरकानूनी हो।

13.4. साझेदारी फर्म से उपक्रम (वचन)

अगर उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता निम्न के अनुसार निरंतर आधार पर पुष्टि और वादा करता है:

(i) उधारकर्ता के साझेदार आईसीएफ की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना साझेदारी फर्म को भंग या पुनर्गठित नहीं करेंगे। उधारकर्ता के किसी भी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में, आईसीएफ अपने विवेकाधिकार से जीवित और/या निरंतर साझेदार/साझेदारों के साथ व्यवहार करेगा, जिससे सेवानिवृत्त साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के विरुद्ध उनके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जैसा आईसीएफ उचित समझे, और सेवानिवृत्त साझेदार और/या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि ऐसे व्यवहार के संबंध में आईसीएफ के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेंगे।

(ii) इस अनुबंध में दर्ज साझेदार ही उधारकर्ता के लिए एकमात्र साझेदार हैं।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(iii) उधारकर्ता के सभी साझेदार वित्तीय दस्तावेजों के तहत दायित्वों के निर्वहन के लिए आईसीएफ के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं और रहेंगे।

(iv) वित्तीय दस्तावेजों और उनके तहत दर्ज लेनदेन के संबंध में उधारकर्ता के किसी एक या कुछ साझेदारों द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य और बातें और दिए/प्रदान किए गए दस्तावेज, पुष्टिकरण, अभिस्वीकृतियां उधारकर्ता के सभी साझेदारों पर बाध्यकारी होंगी।

(v) उधारकर्ता के साझेदार अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और उधारकर्ता के साझेदार के रूप में इसके द्वारा आईसीएफ को प्रतिपूरित करते हैं और करेंगे और हर समय आईसीएफ को किसी भी और सभी हानियों, क्षतियों, लागतों, प्रभारों, व्ययों, दावों, मांगों, वादों और कार्यवाहियों के विरुद्ध, जो भी प्रकृति की हों, जो आईसीएफ को वहन करनी पड़ें या भुगतनी पड़ें या जिनका सामना करना पड़े या जो बकाया राशि के संबंध में उधारकर्ता की किसी चूक के कारण आईसीएफ को वहन करनी पड़े या जो वित्तीय दस्तावेजों के तहत कल्पित लेनदेन के परिणामस्वरूप या उसके कारण या उससे उत्पन्न होकर आईसीएफ को भुगतनी पड़े, उसके लिए क्षतिपूर्ति करते रहेंगे और वे आईसीएफ के साथ किए गए सभी लेन-देन या वित्तीय दस्तावेजों के तहत उठाए गए दायित्वों के संबंध में खुद को व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी मानते हैं।

14. भुगतानचूक की घटनाएं

14.1. निम्न घटनाओं का घटित होना उधारकर्ता की ओर से चूक का कृत्य माना जाएगा (प्रत्येक को "चूक की घटना" और सामूहिक रूप से "चूक की घटनाएं" कहा जाएगा):

(a) वित्तीय दस्तावेजों के तहत और/या लोन के संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी, प्रस्तुतीकरण, आश्वासन या घोषणा असत्य, भ्रामक, गलत या अन्यथा त्रुटिपूर्ण हो या हो जाए।

(b) उधारकर्ता लोन/किसी अन्य वित्तीय दस्तावेज की किसी भी शर्त या नियम का पालन करने या अनुपालन करने में विफल रहता है।

(c) उधारकर्ता, लोन/बकाया राशि के तहत/संबंध में देय किसी भी राशि का भुगतान करने में देरी करता है/विफल रहता है, जिसमें ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई और/या पीईएमआईआई शामिल हैं, जो वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार नियत तिथि पर या आईसीएफ द्वारा मांगे जाने पर कोई भी पुनर्भुगतान उपकरण आईसीएफ को नहीं दिया जाता है या अगर किसी पुनर्भुगतान साधन में चूक हो जाता है।

(d) उधारकर्ता दिवालियापन, दिवालियापन कार्यवाही, विघटन का कोई कृत्य करता है, अपने किसी भी लेनदार को भुगतान निलंबित करता है, या उधारकर्ता द्वारा या उसके विरुद्ध दिवालियापन, समापन, दिवालियापन कार्यवाही या विघटन के लिए कोई याचिका दायर की जाती है।

(e) अगर उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है, तो उसके किसी भी साझेदार द्वारा दिवालियापन, दिवालियापन कार्यवाही, विघटन का कोई कृत्य किया जाता है, अपने किसी भी लेनदार को भुगतान निलंबित किया जाता है, या ऐसे साझेदार के विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालियापन, समापन, दिवालियापन कार्यवाही या विघटन के लिए कोई याचिका दायर की जाती है।

(f) अगर उधारकर्ता एक कंपनी है, तो उधारकर्ता अपने लोन का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है या उधारकर्ता के समापन का प्रस्ताव पारित किया जाता है या उसके समापन के लिए कोई याचिका दायर की जाती है या उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति के लिए परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

(g) उधारकर्ता की संपूर्ण या किसी भी भाग की संपत्ति या उसकी किसी अन्य परिसंपत्ति पर किसी रिसीवर की नियुक्ति की जाती है, या कोई कुर्की, निष्पादन या जब्ती लागू की जाती है, लागू करने की कार्रवाई की जाती है, या ऐसी कार्रवाई की धमकी दी जाती है।

(h) संपत्ति या ऐसी किसी परिसंपत्ति का, जिस पर आईसीएफ के पक्ष में सुरक्षा हित सृजित किया गया है, मूल्य इस सीमा तक घट जाता है कि आईसीएफ की एकमात्र राय में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए या अतिरिक्त हित पर सुरक्षा हित सृजित करना चाहिए, और अगर ऐसी सुरक्षा हित आईसीएफ को स्वीकार्य समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है या अगर कोई सुरक्षा हित आईसीएफ के लाभ हेतु प्रभावी रहना बंद कर देता है या निष्फल हो जाता है या उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है।

(i) इस अनुबंध के खंड 13.3 (*निषेधात्मक वचनबद्धताएं*) में दर्ज किसी भी कृत्य को आईसीएफ की पूर्व लिखित सहमति के बिना किया जाता है।

(j) संपत्ति या उसके किसी भाग पर कुर्की या जब्ती की जाती है और/या संपत्ति के विरुद्ध उधारकर्ता से किसी देय राशि की रिकवरी के लिए कोई कार्यवाही शुरू की जाती है या की जाती है।

(k) उधारकर्ता आईसीएफ द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आईसीएफ द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(l) इस अनुबंध की नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा के सृजन और पूर्णता में विफलता।

(m) उधारकर्ता किसी भी चूक की घटना के घटित होने की सूचना आईसीएफ को देने में विफल रहता है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(n) अगर उधारकर्ता अपने लेनदारों के साथ अनुबंध करता है या अपनी किसी भी परिसंपत्ति या संपत्ति के विरुद्ध किसी कुर्की, जब्ती या अन्य प्रक्रिया की अनुमति देता है।

(o) अगर उधारकर्ता एक व्यक्ति है, तो उधारकर्ता की मृत्यु।

(p) उधारकर्ता आईसीएफ द्वारा जब भी अपेक्षित हो, लोन के लिए विस्तृत संपूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र/विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(q) अगर संपत्ति के संबंध में या उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी पक्ष द्वारा किसी कदाचार या किसी कानून या आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कोई वाद या कार्यवाही लंबित है या धमकी दी गई है, जिसमें कोई भी सरकारी प्राधिकरण शामिल है।

(r) अगर सुधार/नवीनीकरण (अगर लागू हो) और/या संपत्ति की वैधता के संबंध में सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अनुमति या प्राधिकरण किसी भी कारण से वापस ले लिया जाता है, कैंसल कर दिया जाता है या रोका जाता है।

(s) अगर उधारकर्ता या उधारकर्ता का कोई साझेदार या निदेशक घोषित व्यवसाय/पेशा करना बंद कर देता है और/या घोषित व्यवसाय/पेशा करने से (अस्थायी या स्थायी रूप से) अयोग्य या अपात्र हो जाता है और/या उस पेशेवर संघ का सदस्य रहना बंद कर देता है जिसका उधारकर्ता या उसका कोई साझेदार या निदेशक सदस्य है और/या उधारकर्ता के किसी साझेदार या निदेशक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है या की जाती है।

(t) जहां उधारकर्ता एक कर्मचारी है, उधारकर्ता अपने नियोक्ता से किसी लाभ प्रदान करने वाली किसी योजना का विकल्प चुनता है या कोई प्रस्ताव स्वीकार करता है या रोजगार से इस्तीफा देता है या सेवानिवृत्त होता है, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से उधारकर्ता की सेवा समाप्त की जाती है, या उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से अपने नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा या सेवानिवृत्ति ली जाती है।

(u) उधारकर्ता अपना व्यवसाय बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है।

(v) उधारकर्ता की देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं या उधारकर्ता घाटे में व्यवसाय चला रहा है।

(w) उधारकर्ता गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है।

(x) उधारकर्ता की आवासीय स्थिति 'निवासी' से बदलकर 'अनिवासी' (एनआरआई) हो जाती है।

(y) लोन या उसका कोई हिस्सा उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए उधारकर्ता ने आवेदन किया था और लोनदाता ने उसे स्वीकृत किया था।

(z) उधारकर्ता समय-समय पर संपत्ति के संबंध में कानून के तहत आवश्यक किसी भी टैक्स, शुल्क या अन्य करों या शुल्कों/खर्चों का भुगतान करने या किसी अन्य कानून, विनियम, औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहता है।

(aa) अगर उधारकर्ता या उसके किसी भी भागीदार या निदेशक या प्रवर्तक (जैसा भी मामला हो) का नाम ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड ("सिबिल") या किसी अन्य समान एजेंसी द्वारा जारी डिफॉल्टर सूची में शामिल किया जाता है।

(bb) उधारकर्ता को उसके मौजूदा लेनदारों में से किसी के द्वारा एसएमए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(cc) अगर नीचे दिए गए अनुसार क्रॉस डिफॉल्ट होता है:

i. डिफॉल्ट की कोई भी घटना या डिफॉल्ट की संभावित घटना (चाहे उसे जो भी नाम दिया गया हो) या अन्य समान स्थिति या घटना जो समय बीतने या नोटिस देने के साथ डिफॉल्ट बन सकती है: (A) किसी भी लोन से संबंधित; (B) (a) आईसीएफ और उधारकर्ता, या (b) आईसीएफ और उधारकर्ता के किसी भी संबद्ध/सहयोगी के बीच; या (c) उधारकर्ता और उसके किसी भी लोनदाता के बीच; या (d) उधारकर्ता के संबद्ध/सहयोगी और उनके किसी भी लोनदाता के बीच किया गया कोई अनुबंध; या (C) किसी अन्य लोन को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति पर कोई सुरक्षा हित प्रवर्तनीय हो जाता है।

ii. अगर कोई ऐसी घटना घटती है या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आईसीएफ की राय में आईसीएफ के हितों या वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की उधारकर्ता की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं या डाल सकती हैं।

iii. अगर उधारकर्ता द्वारा लोनदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी क्षमता में किए गए किसी अन्य अनुबंध के तहत अपनी देनदारियों को निभाने में कोई चूक की जाती है।

(dd) प्राकृतिक आपदाओं/अप्रत्याशित परिस्थितियों के होने पर, जिससे संपत्ति की कीमत कम हो जाती है (लोनदाता का निर्णय पूरी तरह से उनके विवेक पर होगा)।

(ee) अगर उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से किसी भी पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस मैंडेट के भुगतान को रोकने का निर्देश दिया जाता है या अगर उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को जारी किया गया कोई भी पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस बाउंस हो जाता है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(ff) लोनदाता की लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के गठन या प्रबंधन या संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के होने पर या उधारकर्ता के प्रबंधन द्वारा लोनदाता का विश्वास खो देने पर।

(gg) उधारकर्ता पर किसी भी अपराध के लिए किसी भी न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा आरोप लगाया जाता है या उसे दोषी ठहराया जाता है।

(hh) उधारकर्ता के निदेशकों, प्रवर्तकों, भागीदारों, मालिकों, ट्रस्टियों या सदस्यों (*जैसा लागू हो*) में से किसी को आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को उधारकर्ता संस्था से हटाया नहीं जाता है।

14.2. अगर कोई चूक या डिफॉल्ट की कोई घटना होती है, या कोई ऐसी घटना जो नोटिस या समय बीतने के बाद डिफॉल्ट बन जाएगी, तो उधारकर्ता तत्काल लोनदाता को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा और बताएगा कि ऐसी डिफॉल्ट की घटना हुई है।

15. चूक (डिफॉल्ट) के परिणाम और उपाय

15.1. डिफॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, लोनदाता निम्न कार्य कर सकता है:

(i) उधारकर्ता के प्रति लोन के तहत किसी भी बकाया प्रतिबद्धता को कैंसल कर सकता है;

(ii) यह घोषित कर सकता है कि पूरी बकाया राशि या उसका हिस्सा, और वित्तीय दस्तावेजों के तहत उपार्जित अन्य सभी राशियां तत्काल देय हैं, जिसके बाद वे तुरंत देय हो जाएंगी;

(iii) पूरी बकाया राशि को तत्काल देय घोषित करके लोन को वापस मांग सकता है;

(iv) सुरक्षा दस्तावेजों और/या अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तहत बनाई गई किसी भी या सभी सुरक्षा को लागू कर सकता है; और/या

(v) वित्तीय दस्तावेजों और/या लागू कानून के तहत लोनदाता के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार का उपयोग कर सकता है, जिसमें वे उपाय भी शामिल हैं जो लोन रिकवरी के लिए बनाए गए किसी विशेष कानून के तहत लोनदाता को उपलब्ध हो सकते हैं।

15.2. उपरोक्त के अतिरिक्त, जब तक डिफॉल्ट की स्थिति बनी रहती है, तब तक उधारकर्ता तब तक जुर्माना शुल्क का भुगतान करेगा जब तक कि ऐसी चूक ठीक नहीं हो जाती, जो लोनदाता को उपलब्ध अन्य उपायों या डिफॉल्ट के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

15.3. वित्तीय दस्तावेजों, कानून और/या इक्विटी के तहत अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईसीएफ के पास किसी भी कानून के तहत प्रदत्त सभी अधिकार और उपाय होंगे, जिसमें 'सरफेसी अधिनियम, 2002' शामिल है, लेकिन केवल इसी तक सीमित नहीं है, और उसके पास निम्न उपाय होंगे:

(i) आईसीएफ उधारकर्ता से पुनर्भुगतान उपकरणों के बाउंस होने या चूक होने के शुल्क, जुर्माना शुल्क और यहां दी गई अनुसूची में दर्ज किसी भी अन्य शुल्क की रिकवरी करने का हकदार होगा;

(ii) उधारकर्ता अपनी लागत पर ऐसे रूप और तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा हित बनाएगा जैसा आईसीएफ द्वारा आवश्यक हो;

(iii) कोई अन्य उपाय करेगा जो लोन के लंबित रहने के दौरान कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के खंड 138 और निपटान प्रणाली भुगतान अधिनियम, 2007 के खंड 25 (1) के तहत उपाय शामिल हैं;

(iv) संपत्ति के अधिभोगी से संपत्ति का कब्जा प्राप्त करना और लेना और संपत्ति का उपयोग उस तरीके से करना जैसा आईसीएफ अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे;

(v) संपत्ति या उसके किसी भी भाग को बेचना, हस्तांतरित करना, समर्पित करना, पट्टे पर देना, उप-पट्टा देना, किराये पर देना, लीव एंड लाइसेंस पर देना, छोड़ना, निपटान करना, परित्याग करना और/या उस पर या उसके किसी भाग पर किसी थर्ड पार्टी के अधिकार या सुरक्षा हित का सृजन करना, या संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में आईसीएफ द्वारा अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से उपयुक्त समझी गई शर्तों एवं नियमों के अनुसार अन्यथा व्यवहार करना।

15.4. बकाया राशि की रिकवरी के लिए किसी भी/सभी कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लोनदाता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि लोनदाता अपनी पसंद के अनुसार थर्ड पार्टी/एजेंट को नियुक्त कर सकता है और ऐसा थर्ड पार्टी/एजेंट उधारकर्ता की पूर्व सहमति के बिना, उधारकर्ता से बकाया राशि रिकवर करने के अधिकार सहित इस अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

15.5. सभी लागत, प्रभार, व्यय जो डिफॉल्ट या डिफॉल्ट की घटना होने के बाद आईसीएफ द्वारा निम्न के संबंध में किए गए हों:

a. संपत्ति के संरक्षण के लिए (चाहे वर्तमान में विद्यमान हो या भविष्य में विद्यमान हो);

b. सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए (जिसमें कानूनी सलाहकार और क्लाइंट के बीच के कानूनी व्यय शामिल हैं);

c. वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय राशियों की रिकवरी या कलेक्शन के लिए,

वे प्रवर्तन प्रभारों का भाग होंगे और उधारकर्ता से रिकवर किए जा सकते हैं और आईसीएफ द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रतिपूर्ति किए जाएंगे।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

15.6. डिफॉल्ट या डिफॉल्ट की घटना घटित होने पर, आईसीएफ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी भी तरीके से संवाद करे, जैसा वह उचित समझे, ताकि डिफॉल्ट की गई राशि वसूलने में उनकी सहायता प्राप्त की जा सके, जिसमें संपत्ति और/या उधारकर्ता के किसी कार्यस्थल का निरीक्षण या दौरा करना शामिल है, लेकिन इसके तक सीमित नहीं है।

15.7. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि आईसीएफ द्वारा उसे दिया गया लोन पाने की पूर्व-शर्त के रूप में, अगर उधारकर्ता नियत तिथि/तिथियों पर बकाया राशि का भुगतान/पुनर्भुगतान करने में चूक करता है, तो आईसीएफ और/या आरबीआई को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे उधारकर्ता का नाम, उसके भागीदारों या निदेशकों के नाम, या गारंटरों के नाम (अगर लागू हो) को डिफॉल्टर के रूप में किसी भी तरीके और माध्यम से प्रकाशित या प्रकट कर सकें, जैसा कि आईसीएफ या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे। उधारकर्ता आगे सहमति देता है और सहमत होता है कि आईसीएफ उधारकर्ता से संबंधित और उधारकर्ता द्वारा ली गई/ली जाने वाली वित्तीय सुविधाओं से संबंधित, उधारकर्ता द्वारा ग्रहण किए गए/किए जाने वाले दायित्वों से संबंधित, और उनके निर्वहन में अगर कोई डिफॉल्ट किया गया हो, तो ऐसी सभी सूचनाओं और आंकड़ों का प्रकटीकरण करेगा। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और आईसीएफ द्वारा निम्न सभी या किसी भी के प्रकटीकरण के लिए अपनी सहमति देता है:

(i) उधारकर्ता से संबंधित सूचना और आंकड़े;

(ii) उधारकर्ता द्वारा ली गई/ली जाने वाली किसी भी लोन सुविधा से संबंधित सूचना या आंकड़े; और

(iii) उधारकर्ता द्वारा अपने ऐसे दायित्व के निर्वहन में किया गया डिफॉल्ट, अगर कोई हो;

जैसा आईसीएफ उपयुक्त और आवश्यक समझे, सिबिल और इस संबंध में आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंंसी को प्रकट करना और उपलब्ध कराना।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

15.8. समस्याग्रस्त संपत्तियों (एसएमए) का निपटान

(i) उधारकर्ता सहमत है कि वह लोनदाता को उस समय-समय पर जारी होने वाले आरबीआई के परिपत्र दिनांक 7 जून, 2019 द्वारा जारी किए गए संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा की आवश्यकताओं का पालन कराने में सहायता करेगा, जिसमें समय-समय पर इसके किसी भी संशोधन/प्रतिस्थापन भी शामिल हैं।

(ii) उधारकर्ता द्वारा भुगतान में किसी भी डिफॉल्ट के बाद , आईसीएफ निम्नानुसार स्पेशल मेंशन अकाउंट के रूप में उक्त लोन खाते को वर्गीकृत करके उधारकर्ता के लोन खाते में उत्पत्ति संकट की पहचान करेगा:

एसएमए उप-श्रेणियां	मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए 0	1-30 दिन
एसएमए 1	31-60 दिन
एसएमए 2	61-90 दिन

उदाहरण के लिए: अगर किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के दिन की अंत की प्रक्रिया समाप्ति से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती, तो देय राशि की तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। अगर देय राशि भुगतान फिर भी नहीं किया जाता है, तो 30 दिनों की लगातार देयता पूरी होने पर 30 अप्रैल 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर यह खाता एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार, उस खाते की एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, अगर खाता अतिदेय बना रहता है, तो 30 मई 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पर उसे एसएमए-2 के रूप में चिह्नित किया जाएगा और अगर आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो 29 जून 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पर उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

(iii) इसके अलावा, आईसीएफ (जैसा कि लागू हो) संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, क्रेडिट सूचना के बारे में संबंधित क्रेडिट सूचना कंपनियों, क्रेडिट रिपॉजिटरी या अन्य किसी सरकारी प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकता है, जिसमें खाते को एमएमए के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल तभी उधारकर्ता के लोन खाते के वर्गीकरण को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडर्ड में बदला जा सकता है, जब सभी बकाया राशि सहित ब्याज और मूलधन का भुगतान किया जाए (सिवाय उन मामलों के जहां किसी लोन के लिए रिकॉल नोटिस जारी की गई हो या इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार लोनदाता द्वारा प्रवर्तन/वसूली की कार्यवाही शुरू की गई हो)।

15.9. इस अनुबंध के तहत लोनदाता के सभी उपाय, चाहे वे इसमें प्रदान किए गए हों या कानून, नागरिक कानून, सामान्य कानून, रीति-रिवाज, व्यापार या उपयोग द्वारा प्रदान किए गए हों, संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं और उन्हें क्रमिक रूप से या समवर्ती रूप से लागू किया जा सकता है।

16. परस्पर डिफॉल्ट:

उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है कि इस अनुबंध के तहत किसी भी डिफॉल्ट या डिफॉल्ट की घटना का होना, आईसीएफ या आईसीएफ समूह के किसी अन्य सदस्य से उधारकर्ता द्वारा ली जा रही किसी अन्य लोन/सुविधा के तहत भी डिफॉल्ट की घटना माना जाएगा और उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को अधिकृत किया जाता है कि वह सुरक्षा के रूप में और/या अन्यथा आईसीएफ के पास धारित उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति को रोके रखे और बनाए रखे और/या समायोजित करे, रिकवर करे और/या बेचे और उससे प्राप्त आय को ऐसे लोन/सुविधा के पुनर्भुगतान की ओर समायोजित करे, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ और आईसीएफ समूह के अन्य सदस्यों को देय कोई भी ब्याज और अन्य प्रभार शामिल हैं।

17. पारस्परिक दायित्व

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

17.1. उधारकर्ता आगे इस बात से सहमत है कि बनाया गया सुरक्षा हित निम्न के लिए भी सुरक्षा माना जाएगा: (a) अन्य सभी राशियां जो उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को किसी भी खाते में देय हों, चाहे वे वर्तमान हों या भविष्य की, जिसमें उधारकर्ता का गारंटर या सह-उधारकर्ता के रूप में कोई भी दायित्व शामिल है, चाहे वह अकेले हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ; (b) उधारकर्ता के सहयोगियों/संबद्धों को समय-समय पर घोषित किए गए अनुसार दिए गए या जारी रखे गए लोन।

17.2. उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि संपत्ति और अन्य संपत्तियों पर, जिन पर सुरक्षा हित बनाया गया है, आईसीएफ का प्रथम और अनन्य मॉरगेज/प्रभार होगा और उधारकर्ता आईसीएफ की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी थर्ड पार्टी के पक्ष में संपत्ति या सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई किसी अन्य संपत्ति पर कोई अन्य बाधा, प्रभार या सुरक्षा हित नहीं बनाएगा। वित्तीय दस्तावेजों के तहत सुरक्षा हित और उधारकर्ता का दायित्व उधारकर्ता के समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी विलय, समामेलन, पुनर्गठन, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) से प्रभावित, क्षीण या मुक्त नहीं होगा। उधारकर्ता प्रतिज्ञा करता है कि सुरक्षा हित आईसीएफ को देय बकाया राशि, या उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ समूह के किसी भी सदस्य से प्राप्त किसी अन्य वित्तीय लाभ के लिए वैध रहेगा।

18. अधिकारों का समनुदेशन और प्रतिभूतिकरण

उधारकर्ता निम्न बातों पर सहमति और पुष्टि करता है:

(a) उधारकर्ता किसी भी तरह से वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को स्थानांतरित करने का हकदार नहीं होगा।

(b) वित्तीय दस्तावेजों में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, आईसीएफ के पास यह अधिकार होगा कि वह लोन या उसके किसी भी भाग को, सुरक्षा सहित या बिना सुरक्षा के, और/या वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने अधिकार या दायित्व और/या बकाया राशि को असाइन, हस्तांतरित, नोवेट या सिक्योरिटाइज कर सके, और/या जोखिम साझा करने के लिए प्रतिपूर्ति या अन्य व्यवस्था कर सके, चाहे सहारा लेकर या बिना सहारा के, एक या एक से अधिक बैंकों या किसी अन्य संस्था, ट्रस्ट, किसी संघ के पास, उधारकर्ता को किसी संदर्भ या नोटिस के बिना और उधारकर्ताओं की किसी सहमति के बिना हो। उधारकर्ता, ऐसी किसी भी इकाई के साथ अनुबंध के संबंध का दावा नहीं करेगा, जिसे बकाया राशि और/या वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकार या दायित्व सौंपे/स्थानांतरित/प्रतिभूतिकृत किए गए हैं या जिनके साथ आईसीएफ ने क्षतिपूर्ति या जोखिम साझा करने की व्यवस्था की है।

(c) आईसीएफ (या आईसीएफ का कोई नामित व्यक्ति) इस अनुबंध के अनुसार सृजित सुरक्षा हित (अगर कोई हो) को (या उसके किसी भी भाग को) ट्रस्ट में और ऐसे असाइनी के लाभ के लिए रख सकता है (और लोन के आंशिक असाइनमेंट/हस्तांतरण/नोवेशन के समय, ट्रस्ट में और समानुपातिक आधार पर आईसीएफ और ऐसे असाइनी/हस्तांतरणकर्ता/नवपात्र व्यक्ति, दोनों के लाभ के लिए), बिना उधारकर्ता की किसी सहमति, सूचना या संदर्भ की आवश्यकता के रख सकता है। जैसी भी इस अनुबंध में दर्ज ट्रांसफर, असाइनमेंट या नोवेशन होगी, ऐसे असाइनी/हस्तांतरणकर्ता/नोवाटी और आईसीएफ, जहां लागू हो, अपने नाम पर कोई भी कार्रवाई करने के योग्य होंगे, जिसमें बिना आईसीएफ या असाइनी को उस कार्रवाई का पक्ष बनाए आईसीएफ के अधिकारों की वसूली और प्रवर्तन शामिल है।

(d) उधारकर्ता इस प्रकार के ट्रांसफर, असाइनमेंट, नोवेशन या प्रतिभूतिकरण के बावजूद वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों के प्रति बाध्य रहेगा। उधारकर्ता ऐसे किसी भी प्रतिभूतिकरण और किसी भी बिक्री, असाइनमेंट या हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे अन्य पक्ष को केवल लोनदाता के रूप में, या आईसीएफ के साथ संयुक्त लोनदाता के रूप में, या केवल लोनदाता के रूप में स्वीकार करेगा, और लोनदाता को यह अधिकार रहेगा कि वह ऐसे किसी भी अन्य पक्ष की ओर से इस अनुबंध के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रख सके।

(e) अगर हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण सरफेसी अधिनियम के तहत किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को किया जाता है, तो समय-समय पर जारी आरबीआई के सभी दिशानिर्देश वित्तीय दस्तावेजों पर लागू होंगे।

(f) उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों की मांग की स्थिति में जिनसे आईसीएफ ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है, वहां बकाया राशि रिकवर करने का अधिकार ऐसे बैंकों या संस्थानों को सौंपा जा सकता है और उधारकर्ता ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई का भुगतान सीधे उन बैंकों/संस्थानों को करेगा। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे उन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के किसी भी बकाया वसूलने के अधिकार बाधित हों, जिसमें उत्पाद पर उनका अधिकार भी शामिल हो सकता है।

(g) आईसीएफ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में संपत्ति पर चार्ज स्थापित करे, ताकि आईसीएफ द्वारा उस बैंक, संस्था या निकाय से प्राप्त किसी भी रिफाइनेंस सुविधा या लोन के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सके। आईसीएफ को लोन की बिक्री या हस्तांतरण के संबंध में किसी भी बैंक या निकाय के पक्ष में संपत्ति के मॉरगेज को स्थानांतरित या सौंपने का अधिकार होगा।

19. बीमा और रखरखाव

(a) उधारकर्ता इस अनुबंध के निष्पादन के तुरंत बाद और संपत्ति पर सुरक्षा हित की मुक्ति तक, संपत्ति के लिए दुर्घटना, दंगे, नागरिक अशांति, आग, भूकंप, बाढ़, तूफान, चक्रवात और ऐसे अन्य जोखिमों या प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा कराएगा, जैसा आईसीएफ द्वारा आवश्यक हो।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

(b) उधारकर्ता ऐसी पॉलिसियों पर देय सभी प्रीमियम समय पर और विधिवत अदा करेगा और उनकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां लोनदाता के अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेगा।

(c) उधारकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने देगा जिसके कारण ऐसी बीमा पॉलिसी कैंसल हो सकती हो।

(d) उधारकर्ता नियमित रूप से संपत्ति का बीमा रखेगा और मौजूदा बीमा पॉलिसी की समाप्ति से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले लोनदाता के पक्ष में 'लियन अंकित' बीमा पॉलिसी की प्रति भेजेगा।

(e) अगर उधारकर्ता संपत्ति का बीमा नहीं कराता है, तो किसी भी अनहोनी की स्थिति में पूरा जोखिम केवल उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(f) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पहले वितरण की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर संपत्ति से संबंधित सभी बीमा पॉलिसियों के तहत आईसीएफ को "नुकसान के लिए प्राप्तकर्ता" के रूप में नामित किया जाए, ताकि लोनदाता बीमा राशि का दावा कर सके और उसे इस अनुबंध के तहत देय राशि के विरुद्ध समायोजित कर सके। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त बीमा राशि से लोन की पूरी राशि सहित उससे संबंधित अन्य बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ताओं को वित्तीय दस्तावेजों के तहत शेष बकाया राशि का भुगतान करना जारी रखना होगा।

(g) उधारकर्ता की संपत्ति बीमा कराने की जिम्मेदारी के बावजूद, लोनदाता अपने एकमात्र विवेक से उधारकर्ता की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और इसे उधारकर्ता से वसूल सकता है। हालांकि, लोनदाता द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान न किए जाने से उधारकर्ता की उसे बकाया चुकाने की देनदारी प्रभावित नहीं होगी।

(h) किसी भी बीमा प्राप्ति राशि पर प्रथम दावा लोनदाता का होगा। उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है और अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने एकमात्र विवेक से लोनदाता के हित की रक्षा हेतु बीमा प्राप्ति राशि का दावा करे और उसे उधारकर्ता द्वारा देय राशि के समायोजन में उपयोग करे।

(i) यदि लोनदाता बीमा दावों या कार्यवाहियों के संबंध में कोई कार्रवाई न करने का चयन करता है और/या इस आधार पर कि अधिक राशि का दावा/सेटलमेंट प्राप्त करना चाहिए था, तो उधारकर्ता को लोनदाता के विरुद्ध कोई दावा करने या समायोजन के बाद शेष बकाया राशि के लिए अपनी देनदारी का विवाद करने का अधिकार नहीं होगा।

20. सामान्य शर्तें

20.1. इस अनुबंध और स्वीकृति पत्र के तहत प्रदान किया गया लोन और उसके नियम और शर्तें सभी उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। आईसीएफ के पास इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लोन की निरंतरता के दौरान उसकी समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

20.2. स्वीकृति पत्र, लोन अनुबंध का अभिन्न अंग होगा। स्वीकृति पत्र और वित्तीय दस्तावेजों के बीच किसी भी विरोधाभास / संघर्ष / भिन्नता / असंगति की स्थिति में, पक्षकार इसके द्वारा सहमत होते हैं कि वित्तीय दस्तावेजों में दर्ज नियम और शर्तें स्वीकृति पत्र पर प्रभावी होंगी।

20.3. वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा देय और भुगतान योग्य शेष राशि के संबंध में आईसीएफ द्वारा प्रदान किया गया कोई भी खाता विवरण, उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर बाध्यकारी होगा और उसमें दर्ज राशि की शुद्धता का अंतिम प्रमाण होगा।

20.4. आईसीएफ की निष्पक्ष आचरण संहिता, जो आरबीआई की निष्पक्ष आचरण संहिता के अनुरूप तैयार की गई है, आईसीएफ के कार्यालयों में या वेबसाइट (www.indostarcapital.com) पर उपलब्ध है और समय-समय पर आरबीआई की निष्पक्ष आचरण संहिता के अनुरूप अपडेट की जाती है। उधारकर्ता उसी को पढ़ेगा और उसकी जानकारी लेगा।

20.5. अगर उधारकर्ता या उसकी संपत्ति को किसी बीमा दावे के तहत कोई राशि प्राप्त होती है, तो उसका प्रथम उपयोग बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा।

20.6. निर्णायक प्रमाण: किसी भी स्पष्ट त्रुटि के अभाव में, लोन के तहत आईसीएफ द्वारा प्रस्तुत बकाया राशि या आईसीएफ के प्रति अन्य किसी राशि से संबंधित कोई भी खाता विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर उधारकर्ता बाध्य होगा, और ऐसा दस्तावेज लोन की मौजूदगी और उधारकर्ता की उस में दी गई राशि को चुकाने की जिम्मेदारी का निर्णायक प्रमाण होगा।

21. समापन

21.1. उधारकर्ता को किसी भी वित्तीय दस्तावेज को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

21.2. इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, लोनदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से किसी भी समय, बिना किसी देयता के और बिना कोई कारण बताए, लोन या उसके किसी भाग को समाप्त, कैंसल या वापस ले सकता है, जिसके बाद सभी मूलधन राशि, उस पर ब्याज दर के अनुसार ब्याज, दंडात्मक प्रभार (अगर कोई हो) और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी अन्य लागत, प्रभार, व्यय और अन्य बकाया राशि, लोनदाता की मांग पर तत्काल देय और भुगतान योग्य हो जाएंगी।

21.3. आईसीएफ ने लोन को इस आधार पर स्वीकृत किया है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए होने वाले खर्चों की गणना और अनुमान लगाया गया है। अगर उद्देश्य की पूर्ति की लागत उक्त गणना की गई राशि से अधिक बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो आईसीएफ को पूर्ण विवेकानुसार लोन कैंसल करने या उधारकर्ता को स्वीकृत राशि को घटाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, और इस संबंध में आईसीएफ का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता/उधारकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

22. क्षतिपूरण

उधारकर्ता इसके द्वारा आईसीएफ को प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है और आईसीएफ को समय-समय पर और हमेशा के लिए किसी भी दावे, हानि, लागत, व्यय, प्रभार, टैक्स, शुल्क, मुकदमे, कार्यवाही, कार्रवाई, देयता, शुल्क (कानूनी और वकील शुल्क सहित) आदि से प्रतिरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए सहमत है, जो आईसीएफ को निम्न कारणों से उठानी या झेलनी पड़ सकती हैं:

(a) उधारकर्ता या संपत्ति या किसी भी सुरक्षा हित के संबंध में या किसी भी वित्तीय दस्तावेज या उसमें कल्पित लेनदेन के संदर्भ में किसी भी जांच, निरीक्षण, मूल्यांकन, सम्मन (या समान आदेश) या मुकदमेबाजी के कारण;

(b) उधारकर्ता के किसी कृत्य या चूक या किसी डिफॉल्ट की घटना के कारण, जिसमें वित्तीय दस्तावेजों के तहत किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व और/या वारंटी का झूठा होना या किसी उल्लंघन के कारण शामिल है;

(c) वित्तीय दस्तावेजों की तैयारी, बातचीत, निष्पादन, संरक्षण, प्रदर्शन और/या प्रवर्तन या बकाया राशियों की रिकवरी के लिए (कानूनी सलाहकार और मुवक्किल के बीच के कानूनी व्यय सहित);

(d) उधारकर्ता के संपत्ति में टाइटल में किसी भी दोष और/या किसी अन्य संपत्ति के लिए, जिस पर आईसीएफ के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया गया है।

23. अन्य खर्चों का भुगतान

उधारकर्ता इस बात का संकल्प करता है कि आईसीएफ के द्वारा उठाए गए और/या उठाए जाने वाले सभी खर्च, शुल्क और व्यय (जिसमें वकील और क्लाइंट के बीच के कानूनी खर्च भी शामिल हैं), जो इस अनुसूची में पूर्ण नुकसान-भरपाई आधार पर दर्ज हैं, आईसीएफ को तुरंत मांग पर चुकाएगा। ये खर्च आईसीएफ द्वारा संपत्ति या किसी अन्य परिसंपत्ति के टाइटल की जांच और मूल्यांकन, वित्तीय दस्तावेजों की तैयारी, बातचीत, निष्पादन, संरक्षण, पालन और/या प्रवर्तन, सुरक्षा हित का परिपूर्ण करना और बकाया राशि की रिकवरी के लिए किए गए हैं, जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया है या बनाने का प्रस्ताव है।

24. स्टांप ड्यूटी और टैक्स

24.1. उधारकर्ता किसी भी और सभी स्टांप ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी जुर्माना, पंजीकरण और समान टैक्स और शुल्क का भुगतान करेगा, जो वित्तीय दस्तावेजों के प्रवेश, निष्पादन या प्रवर्तन से संबंधित वर्तमान या भविष्य में देय हो सकते हैं। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है कि अगर आईसीएफ को वित्तीय दस्तावेजों या किसी अन्य संबंधित/असंबंधित दस्तावेजों से संबंधित किसी भी भुगतान जैसे स्टांप ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी जुर्माना, पंजीकरण शुल्क और/या अन्य शुल्क और/या कर करना पड़े, चाहे निष्पादन के समय हो या बाद में, तो आईसीएफ को इसे बकाया राशि का हिस्सा मानकर उधारकर्ता से रिकवर करने का अधिकार होगा।

24.2. उधारकर्ता आगे आईसीएफ को (अगर आईसीएफ ने अपनी पूर्ण विवेकानुसार बिना किसी दायित्व के किया हो) संपत्ति से संबंधित किसी भी सरकार प्राधिकरण को भुगतान किए गए या देय किसी भी टैक्स, टोल, शुल्क, सेस, लेवी या किसी अन्य राशि सहित भुगतान या प्रतिपूर्ति करेगा।

24.3. लोन के संबंध में उधारकर्ता सभी प्रभार, शुल्क, कमीशन, प्रीमियम आदि सहित प्रोसेसिंग शुल्क, लोन के उपयोग से संबंधित प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करेगा, जैसा कि अनुसूची में दर्ज है।

25. प्रकटीकरण

उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत है और आईसीएफ को समय-समय पर, उधारकर्ता और/या लोन से संबंधित किसी भी जानकारी को निम्न को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है: (a) आईसीएफ समूह के किसी भी सदस्य को; (b) सेवाओं और उत्पादों के विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए आईसीएफ समूह के किसी भी सदस्य द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी को; (c) किसी भी रेटिंग एजेंसी, बीमा कंपनी या बीमा ब्रोकर, या आईसीएफ या आईसीएफ समूह के किसी भी सदस्य को लोन सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाता को; (d) आईसीएफ समूह के सदस्य के किसी भी सेवा प्रदाता या पेशेवर सलाहकार को; (e) किसी भी क्रेडिट ब्यूरो, डेटाबेस/डेटाबैंक, कॉर्पोरेट, बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि को; (f) कानून या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा आवश्यक किसी भी सरकारी प्राधिकरण या अन्य इकाई को; और/या (g) किसी अन्य व्यक्ति को: (i) जिसे (या जिसके जरिए) आईसीएफ वित्तीय दस्तावेजों/लोन के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और दायित्वों को सौंपता है या स्थानांतरित करता है या बदलता है (या संभावित रूप से सौंप सकता है); और/या (ii) लोन या उधारकर्ता से संबंधित डेटा के प्रोसेसिंग या प्रबंधन के अनुसरण में ऐसा करता है। इस खंड के प्रावधान इस अनुबंध की समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेंगे। आईसीएफ को क्रेडिट एजेंसियों, क्रेडिट ब्यूरो, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधारकर्ता से संबंधित समान जानकारी/रिपोर्ट प्राप्त करने का भी अधिकार होगा जैसा आईसीएफ उचित समझे। उधारकर्ता लोनदाता द्वारा दिए गए लोन की एक पूर्व-शर्त के रूप में सहमत है कि अगर उधारकर्ता देय तिथि पर बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो लोनदाता और आरबीआई के पास उधारकर्ता का नाम या उनके भागीदारों या निदेशकों के नाम को चूककर्ता (डिफॉल्टर) के रूप में ऐसे तरीके और माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का बिना शर्त अधिकार होगा जैसा कि

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

लोनदाता या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें, जिसमें उधारकर्ता या उनके किसी भी निदेशक, भागीदार, सदस्य, ट्रस्टी, मालिक या कर्मियों की फोटो शामिल हैं। उधारकर्ता इसके द्वारा आईसीएफ को 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) और अन्य आवश्यक जांच करने के लिए सहमति प्रदान करता है, जो लागू कानून के तहत अनुमत प्रक्रियाओं द्वारा की जा सकती है, जिसमें केवाईसी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों या विवरणों का प्रमाणीकरण/सत्यापन, और वैधानिक या अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना शामिल है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से आईसीएफ, उसके विभिन्न सेवा प्रदाताओं या एजेंटों (विपणन, संग्रह और रिकवरी एजेंटों सहित) को उधारकर्ता से टेलीफोन, ई-मेल, मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सऐप या अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क करने के लिए अधिकृत करता है/सहमति देता है, भले ही उधारकर्ता का नाम "डू नॉट कॉल" या "डू नॉट डिस्टर्ब" रजिस्टर में दर्ज हो। यह संपर्क उधारकर्ता को विपणन योजनाओं, विभिन्न वित्तीय और/या निवेश उत्पादों, अन्य सेवाओं की पेशकश, वित्तीय दस्तावेजों के तहत बकाया राशि या उधारकर्ता द्वारा ली गई या ली जाने वाली किसी भी सुविधा से संबंधित किसी अन्य पहलू के बारे में सूचित करने के लिए किया जा सकता है। उधारकर्ता यह भी स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि लोनदाता और उसके सहयोगियों, संबद्धों और/या समूह कंपनियों के टेली-कॉलर्स, एजेंटों और/या सेवा प्रदाताओं के ऐसे ई-मेल, टेलीफोनिक कॉल, मै,ेज, एसएमएस, व्हाट्सऐप संदेश आदि से उन्हें और/या उनके परिवार के सदस्यों को कोई असुविधा नहीं होगी। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए लोनदाता उत्तरदायी नहीं होगा और इस संबंध में उधारकर्ता का दावा केवल सेवा प्रदाताओं और/या टेली-कॉलर्स के खिलाफ होगा। उधारकर्ता संचार या जानकारी या दस्तावेजों को साझा करने के लिए ई-मेल, मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सऐप और/या अन्य एप्लीकेशन के उपयोग के लिए सहमत है, ऐसे एप्लीकेशन के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है और उनके माध्यम से जानकारी साझा करने से जुड़े जोखिमों के लिए सहमत है।

26. सेट-ऑफ और लियन

26.1. इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, लोनदाता के पास लोनदाता के कब्जे और नियंत्रण में उधारकर्ता की सभी संपत्तियों पर लियन लगाने होगा और उधारकर्ता से लोनदाता को देय किसी भी राशि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने का अधिकार होगा और लोनदाता के बकाया की रिकवरी के लिए उधारकर्ता के सभी खातों को संयोजित करने का अधिकार होगा।

26.2. उधारकर्ता पूरी बकाया राशि के पुनर्भुगतान तक संपत्ति को रोके रखने और उसे बनाए रखने के लोनदाता के अधिकार से सहमत है, जो लोनदाता के उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी वैध अधिकार, दावे या लियन के अधीन है। लोनदाता संपत्ति को तब तक अपने पास रखने का हकदार होगा जब तक कि सभी दावों का पूरी तरह से सेटलमेंट/भुगतान नहीं हो जाता, बशर्ते उधारकर्ता को शेष दावों के विवरण के साथ नोटिस भेजा गया हो।

26.3. उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और समझ व्यक्त की गई है कि अगर उधारकर्ता ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/पीईएमआईआई, शुल्क, फीस या इस अनुबंध के तहत लोनदाता को देय किसी अन्य राशि के भुगतान में चूक करता है, तो लोनदाता के पास उपलब्ध समाप्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोनदाता के पास उधारकर्ता के खाते में मौजूद राशि को उस राशि के साथ सेट ऑफ करने का अधिकार होगा जिसके संबंध में इस अनुबंध के तहत चूक की गई है।

27. गोपनीयता

(a) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि यह अनुबंध गोपनीय है और उधारकर्ता, लोनदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, कानून या किसी लागू सरकारी या अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक होने के अलावा, इस अनुबंध या इसकी सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करेगा।

(b) लोनदाता (और इसके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों के माध्यम से) डेटा सुरक्षा नीतियों और सभी डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करेगा। इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए, 'डेटा संरक्षण कानून' का अर्थ उन कानूनों और नियमावली से है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या आवेदन या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित हैं, जिसमें (बिना सीमित किए) निम्न शामिल हैं:

  (i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (समय-समय पर संशोधित), जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 ("गोपनीयता नियम") और इसके तहत बनाए गए अन्य लागू नियम शामिल हैं;

  (ii) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसकी प्रक्रिया, संग्रह, भंडारण, उपयोग और/या आवेदन या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित सभी अन्य लागू उद्योग दिशानिर्देश (सांविधिक या गैर-सांविधिक) या आचार संहिता, जो किसी नियामक द्वारा किसी पक्ष को जारी किए गए हों;

  (iii) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसकी प्रक्रिया, संग्रह, भंडारण, उपयोग और/या आवेदन या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित अन्य सभी लागू कानून और नियम।

  (iv) व्यक्तिगत डेटा का अर्थ वही होगा जैसा गोपनीयता नियमों (समय-समय पर संशोधित) के तहत 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी' के लिए परिभाषित किया गया है।

(c) लोनदाता (और इसके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों के माध्यम से) डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देशों में निर्धारित गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

28. संचार

28.1. वित्तीय दस्तावेजों के तहत आईसीएफ या उधारकर्ता को दिया जाने वाला या किया जाने वाला कोई भी नोटिस या अनुरोध लिखित रूप में दिया जाएगा। ऐसा नोटिस या अनुरोध तब विधिवत माना जाएगा जब वह हाथ से, ई-मेल या टेलीग्राम द्वारा उस पक्ष को वितरित किया जाएगा, जिसे वह नीचे निर्दिष्ट पते पर या ऐसे अन्य पते पर दिया जाना है जिसे उस पक्ष ने नोटिस देने वाले पक्ष को सूचित किया हो।

आईसीएफ को: -

पता: इंडोस्टार टॉवर, तीसरी मंजिल, 22 और 23, वेंकटनारायण रोड, टी. नगर, चेन्नई - 600 017, भारत

ईमेल आईडी: contact@indostarcapital.com

उधारकर्ता को: अनुसूची में दर्ज आवासीय/व्यावसायिक पता या नीचे अनुसूची में दर्ज संपत्ति का पता।

28.2. वित्तीय दस्तावेजों और कानून के तहत आईसीएफ या आईसीएफ द्वारा नियुक्त किसी भी थर्ड पार्टी के पास मौजूद अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चूक होने पर, आईसीएफ, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट और आईसीएफ द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरणों का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं (जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि, गारंटर (अगर कोई हो) और थर्ड पार्टी, जिनमें उधारकर्ता के परिवार के सदस्य शामिल हैं, जिनकी जानकारी उधारकर्ता ने आईसीएफ को प्रदान की है)। इसके अलावा, उधारकर्ता को किसी भी बकाया राशि के सेटलमेंट के लिए समय-समय पर डाक, टेलीफोन, ई-मेल, मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस टेक्स्ट मैसेज द्वारा रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

29. एजेंसी नियुक्त करने का लोनदाता का अधिकार

29.1. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि लोनदाता स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी पसंद के एक या अधिक थर्ड पार्टी को नियुक्त करने के लिए पूरी तरह हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्तियां और अधिकार होंगे और लोनदाता ऐसे थर्ड पार्टी को लोनदाता की ओर से ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/पीईएमआईआई या इस अनुबंध या किसी अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तहत लोनदाता को देय अन्य शुल्कों को रिकवर करने करने का अधिकार और शक्ति सौंप सकता है, जिसमें नोटिस भेजने, मांग करने, उधारकर्ता के निवास/कार्यालय/व्यवसाय स्थल पर जाने, संपत्ति का कब्जा लेने या बकाया राशि रिकवर करने के लिए उधारकर्ता से संपर्क करने के अन्य अधिकार शामिल हैं।

29.2. उपरोक्त उद्देश्य के साथ-साथ लोनदाता के विवेक पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए, लोनदाता थर्ड पार्टी को सौंपे गए कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उधारकर्ता का विवरण, लोन, बकाया राशि और अन्य जानकारी प्रकट करने का हकदार होगा और उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता द्वारा ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है।

30. माफी

वित्तीय दस्तावेजों या किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज के तहत आईसीएफ को प्राप्त किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या उसे प्रयोग न करना, उस अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित नहीं करेगा और न ही इसे उस अधिकार का त्याग या किसी चूक को स्वीकार करना माना जाएगा। किसी भी चूक के संबंध में आईसीएफ द्वारा की गई कोई कार्रवाई या निष्क्रियता, या उस चूक को स्वीकार करना, किसी अन्य चूक के संबंध में आईसीएफ के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या कम नहीं करेगा।

31. संयुक्त और अलग-अलग दायित्व

जहां लोन एक से अधिक उधारकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, वहां यहां बताई गई किसी भी बात के बावजूद, बकाया राशि चुकाने और इन नियमों और शर्तों और किसी भी अन्य वित्तीय दस्तावेजों और/या अनुबंध, दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए प्रत्येक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग होगा, जो लोन के संबंध में उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं द्वारा आईसीएफ के साथ निष्पादित किया जा सकता है।

32. गंभीरता

इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान जो किसी भी क्षेत्राधिकार में आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किसी अधिसूचना, दिशानिर्देश, परिपत्र के कारण सीमा के बिना निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे क्षेत्राधिकार के अनुसार, केवल ऐसे निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन यह ऐसे वित्त दस्तावेज या अन्य वित्तीय दस्तावेजों के शेष प्रावधानों को अमान्य या प्रभावित नहीं करेगा और न ही किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रावधान को प्रभावित करेगा।

33. संशोधन

वितरण अनुसूची, वार्षिक प्रतिशत दर, ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क, सेवा शुल्क, समयपूर्व भुगतान शुल्क, अन्य लागू शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में कोई भी परिवर्तन उधारकर्ता को स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली किसी भी भाषा में सूचित किए जाने पर संशोधित माना जाएगा और ऐसे संशोधन भविष्य की तारीख से प्रभावी होंगे। इस अनुबंध का कोई प्रावधान तब संशोधित माना जाएगा अगर उधारकर्ता और लोनदाता लिखित रूप में ऐसे प्रावधान में संशोधन करते हैं। उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह स्पष्ट किया जाता है कि और पक्षकार सहमत हैं कि इस अनुबंध की शर्तें स्वतः उस तारीख से संशोधित और/या परिवर्तित मानी जाएंगी, जिस तारीख से कोई कानून, सरकारी प्राधिकरण के निर्देश, या आरबीआई निर्देश (जिनका प्रभाव इस अनुबंध को संशोधित करने का है) यहां या आईसीएफ पर लागू किए जाते हैं। आईसीएफ उधारकर्ता को ऐसे नियामक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले संशोधनों की सूचना देते हुए एक नोटिस प्रदान करेगा।

34. नियामक परिवर्तन

इस अनुबंध और वित्तीय दस्तावेजों की शर्तें लागू कानून, किसी भी सरकारी प्राधिकरण की जांच और निर्देश, और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अधीन होंगी, अगर वे इस अनुबंध या आईसीएफ पर लागू होते हों। इसी के अनुसार, उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और मान्यता देता है कि आईसीएफ पर ऐसे किसी भी लागू कानून, संबंधित सरकारी प्राधिकरण के निर्देशों या आरबीआई के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उधारकर्ता यह भी सहमति देता है और पुष्टि करता है कि इस संबंध में आईसीएफ द्वारा उठाए गए सभी कदमों से वह पूर्ण रूप से बाध्य रहेगा।

35. प्रतिलिपियां

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

यह अनुबंध आवश्यकतानुसार कई प्रतियों में हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा, और सभी प्रतियां मिलकर एक ही साधन का निर्माण करेंगी।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

36. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

उधारकर्ता इसके द्वारा पुष्टि करता है, स्वीकार करता है और सहमति देता है कि इस अनुबंध और इसके किसी भी परिशिष्ट को वेबसाइट या आईसीएफ द्वारा साझा किए गए किसी अन्य इंटरनेट लिंक या वेब-आधारित माध्यम के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार करना, पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाता है। प्रत्येक पक्ष सहमत है कि यह अनुबंध और इससे संबंधित अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं, और इस अनुबंध या ऐसे अन्य दस्तावेजों पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वैधता, प्रवर्तनशीलता और स्वीकार्यता के उद्देश्य से हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान होंगे।

37. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से —(i) इस अनुबंध या किसी संभावित लेनदेन के संबंध में आईसीएफ के संबंधित कर्मियों के साथ हुई टेलीफोन वार्तालाप की रिकॉर्डिंग के लिए अपनी सहमति देते हैं; (ii) अगर वे ऐसी रिकॉर्डिंग के उपयोग को सीमित करना चाहते हैं, तो वे आईसीएफ को आवश्यक सूचना देने के लिए सहमत हैं, जिससे आईसीएफ के ऐसे रिकॉर्डिंग के संबंध में हित और अधिकार प्रभावित न हों; और (iii) लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, इस बात से सहमत हैं कि ऐसी रिकॉर्डिंग को किसी भी कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

38. अप्रत्याशित घटना

अगर युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्रवाई, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या नहीं), नागरिक अशांति, विद्रोह, क्रांति, महामारी, सशस्त्र विद्रोह या सैन्य तख्तापलट, या किसी सरकार, विभाग, परिषद या अन्य प्राधिकरण (चाहे वैध रूप से स्थापित हो या वास्तविक रूप से कार्यरत) द्वारा जारी किसी कानून, नियम, विनियम, आदेश या अधिग्रहण, या हड़ताल, तालाबंदी या आईसीएफ के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप आईसीएफ के लिए उधारकर्ता के प्रति किसी भी कर्तव्य या दायित्व का पालन या निर्वहन करना असंभव, बाधित या प्रभावित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आईसीएफ उधारकर्ता के प्रति किसी भी अनुबंध (जिसमें यह अनुबंध भी शामिल है, लेकिन केवल इसी तक सीमित नहीं) या अन्य किसी आधार पर उत्पन्न कर्तव्यों या दायित्वों के पालन से मुक्त होगा, उस सीमा तक जहां तक उनका पालन या निर्वहन उपरोक्त कारणों से रोका गया, विफल हुआ या बाधित हुआ हो।

39. दस्तावेजों की वापसी

39.1. उधारकर्ता आगे सहमत होते हैं कि आईसीएफ किसी भी दस्तावेज लौटाने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि बकाया राशियां और अन्य लोन आईसीएफ की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह भुगतान नहीं हो जाते, जिसमें सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, जिन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए आईसीएफ को सौंपा गया है।

39.2. अंतिम सेटलमेंट तिथि प्राप्त होने पर, लोनदाता की संतुष्टि के अधीन, और अगर संपत्ति पर बनाया गया सुरक्षा हित केवल लोन की सुरक्षा के लिए है और वह संपत्ति लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई किसी अन्य लोन सुविधा की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं हो रही है, तो अंतिम सेटलमेंट तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर संपत्ति से संबंधित मूल स्वामित्व दस्तावेज और अन्य सुरक्षा दस्तावेज लोनदाता द्वारा मुक्त कर दिए जाएंगे। इस संदर्भ में, लोनदाता अंतिम सेटलमेंट की तिथि से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर उधारकर्ता को इसकी जानकारी/संचार देगा और उक्त संचार में उधारकर्ता को विकल्प प्रदान करेगा कि वह संपत्ति से संबंधित मूल स्वामित्व दस्तावेज को उस शाखा से प्राप्त करेगा, जहां लोन खाता संभाला गया था या लोनदाता के किसी अन्य कार्यालय से प्राप्त करेगा, जहां ये दस्तावेज उपलब्ध हों। लोनदाता से इस प्रकार के संचार की प्राप्ति पर, उधारकर्ता सुनिश्चित करेगा कि उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर संपत्ति से संबंधित मूल टाइटल दस्तावेज एकत्र किए जाएं।

39.3. अगर लोनदाता से उपरोक्त 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर संचार प्राप्त हो जाता है और उधारकर्ता 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर संपत्ति से संबंधित मूल टाइटल दस्तावेज एकत्र करने में विफल रहता है, तो लोनदाता संपत्ति से संबंधित मूल टाइटल दस्तावेज जारी करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

39.4. अंतिम सेटलमेंट तिथि की प्राप्ति पर, लोनदाता की संतुष्टि के अनुसार, लोनदाता अंतिम सेटलमेंट तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर सीईआरएसएआई के साथ संपत्ति पर लगाया गया चार्ज जारी करेगा।

40. सुविधा के रिकॉर्ड्स

आईसीएफ अपने कार्यालय में अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक/कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग सिस्टम बनाए रखेगा या बनाए रखने का प्रबंध करेगा, जो वित्तीय दस्तावेजों के तहत वितरित और देय राशि के साक्ष्य को दर्शाएगी और लोनदाता के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल से उत्पन्न/रक्षित ऐसी कंप्यूटर जनित प्रमाण-पत्र/बयान/खाते उधारकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी जाएंगी, और इसमें किए गए प्रविष्टियां उधारकर्ता के दायित्वों की स्थिति और राशि, और प्राप्त, वसूल और व्यय की गई राशियों का निर्णायक प्रमाण होंगी, चाहे वह किसी कानूनी कार्रवाई या वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित किसी कार्यवाही में क्यों न हों, और उधारकर्ता इन्हें चुनौती नहीं देगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

41. अनुबंध की पूरी समझ

41.1. उधारकर्ता सहमत हैं कि उन्होंने इस अनुबंध और लोन स्वीकृति की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसके अनुसरण में उन्हें स्वीकार करते हैं। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि सभी शर्तें उधारकर्ताओं को या तो प्रतियां प्रदान करके, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध कराई गई हैं।

41.2. उधारकर्ता इसके द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उन्होंने पुनर्भुगतान की विशिष्ट और सटीक तिथियों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और वे इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि विशेष तिथियों पर भुगतान न करने के कारण एसएमए और एनपीए का वर्गीकरण कैसे होगा और उसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम होंगे। आईसीएफ के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी उधारकर्ताओं को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें उस लोन से संबंधित विशेष उदाहरण और चित्रण शामिल हैं, जिससे उधारकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हैं।

42. संपूर्ण अनुबंध

यह अनुबंध और इसके साथ संलग्न सभी परिशिष्ट, अनुलग्नक और अनुसूचियां, इनमें दर्ज विषयों के संबंध में पक्षकारों के बीच पूर्ण अनुबंध और समझ को अभिव्यक्त करता है और ऐसे विषयों से संबंधित पक्षकारों के बीच पूर्व के किसी भी लिखित या मौखिक समझ, अनुबंध या प्रस्तुतीकरण का स्थान लेते हैं और उन्हें कैंसल करता है।

43. शासी कानून, मध्यस्थता और क्षेत्राधिकार

43.1. यह अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेज नीचे दिए गए खंड 43.2 के अधीन भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे और उनके अनुसार समझे जाएंगे। पक्षकार सहमत हैं कि इस अनुबंध से उत्पन्न या इसके संबंध में किसी भी मामले के संबंध में चेन्नई में स्थित न्यायालयों और/या न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकार होगा। उपरोक्त प्रावधान केवल लोनदाता के लाभ के लिए है। परिणामस्वरूप, लोनदाता इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित कार्यवाहियां किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण में प्रारंभ करने का अधिकारी होगा। उसके अनुसार, लोनदाता एक साथ अनेक अधिकार क्षेत्रों में कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकता है।

43.2. यहां लोन से संबंधित कोई भी विवाद, या इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिकार, दायित्व और उत्तरदायित्व के संबंध में विवाद को लोनदाता और उधारकर्ता द्वारा नीचे खंड 43.3 में निर्धारित मध्यस्थों के पैनल में से पारस्परिक रूप से नियुक्त एक एकमात्र मध्यस्थ द्वारा हल किया जाएगा। ऐसे नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को किसी भी लागू कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए और उस समय लागू नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी और वे इस अनुबंध के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। मध्यस्थता का स्थान भारत के क्षेत्र के भीतर होगा और ऐसा स्थान होगा जिसे लोनदाता वित्तीय दस्तावेजों और/या लोन से संबंधित विवाद के निपटान के उद्देश्य से सुविधाजनक समझे। उधारकर्ता मध्यस्थता के स्थान के संबंध में लोनदाता के चयन का पालन करने के लिए सहमति देता है। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

43.3. उपरोक्त खंड में दर्ज मध्यस्थों का पैनल निम्न होगा:

मध्यस्थ का नाम	योग्यता

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

मध्यस्थ का नाम	योग्यता

43.4. पक्षकारों के बीच यह सहमति है कि यदि नियुक्त मध्यस्थ मृत्यु और/या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मध्यस्थता कार्यवाही की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो, या यदि उपरोक्त में से कोई भी मध्यस्थ किसी भी कारण से मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में, इस संबंध में पक्षकारों को सूचना प्रदान किए जाने पर, मध्यस्थता कार्यवाही की अध्यक्षता किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा की जाएगी जिसे दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त किया जाएगा।

43.5. वकील शुल्क, लागत और व्यय: किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही (जिसमें खंड 43 से उत्पन्न कोई आदेश या निर्णय शामिल है) में, जो उधारकर्ता और लोनदाता के बीच वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित है, उसके लिए विजयी पक्ष को अपने वकील शुल्क और अन्य खर्चों और व्ययों की रिकवरी का अधिकार होगा, इसके अलावा उसे कोई और राहत भी मिलेगी जिसका वह हकदार हो सकता है। जहां, जहां, व्यय अनुसूची के तहत आवृत हैं, ऐसे व्यय उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्य को प्रभावित किए बिना, उधारकर्ता इसके द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि उसने उधारकर्ता के पास रखे गए वित्तीय दस्तावेजों की प्रतियों पर पर्याप्त स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क (भारत के विभिन्न राज्यों में देय सभी अंतर शुल्क सहित) का भुगतान किया है, ताकि वित्तीय दस्तावेज को भारत के किसी भी राज्य या स्थान (उसके निष्पादन के स्थान के बाहर के स्थान सहित) में वितरित किया जा सके या लाया जा सके। किसी भी परिस्थिति में, लोनदाता उत्तरदायी नहीं होगा कि वह उधारकर्ता को वित्तीय दस्तावेजों की प्रतियों पर स्टांप करने और/या पंजीकृत करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करे, या यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय दस्तावेजों की प्रतियों पर उधारकर्ता द्वारा उचित रूप से स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है। उधारकर्ता की अकेली जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लागू टैक्स कानूनों के तहत देय किसी भी और सभी राशि का भुगतान करे।

44. क्षेत्राधिकार

इस अनुबंध को लोनदाता ने चेन्नई में स्वीकार किया है और निष्पादित किया है और इसके सभी अनुबंध, शर्तें और नियम, सहित भुगतान, चेन्नई में पालन और निष्पादित किए जाएंगे, और उधारकर्ता विशेष रूप से सहमत हैं, यहां दर्ज मध्यस्थता खंड के अधीन, इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित किसी भी मामले में केवल चेन्नई की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार होगा। इस खंड 44 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोनदाता के किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत या न्यायाधिकरण में कार्रवाई करने के उसके अधिकार को सीमित करे, न ही उसे एक या अधिक क्षेत्राधिकारों में कार्रवाई करने से किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कार्रवाई करने से रोका जाएगा, चाहे वह एक साथ हो या न हो और उधारकर्ता अपने और अपनी संपत्ति के संबंध में, सामान्य रूप से और बिना शर्त, ऐसी अदालत या न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करते हैं, और उधारकर्ता अभी या भविष्य में किसी भी कार्रवाई की जगह तय करने और इस दावे पर कि ऐसी कोई भी कार्रवाई किसी असुविधाजनक फोरम में की गई है, अपनी किसी भी आपत्ति को पूरी तरह से छोड़ देते हैं।

45. शिकायत निवारण

उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की शिकायतों और उनके निवारण के लिए नियुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण और शिकायत निवारण तंत्र अनुसूची में दर्ज है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	लोनदाता

इसके साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों ने इस अनुबंध को निष्पादित किया है, दिनांक और वर्ष जो ऊपर अनुसूची में दर्ज हैं, के अनुसार।

लोनदाता, उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं द्वारा/के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षरित और वितरित, इस बात के प्रमाण के रूप में और इस बात के साक्ष्य के रूप में कि उन्होंने इस अनुबंध के सभी खंडों और सभी पेजों, अनुसूची, इसकी सभी सामग्री (जिसमें इसमें निहित सभी नियम और शर्तें शामिल हैं) को पढ़ लिया है (और/या समझाया गया है), सत्यापित किया है, समझा है, अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं, स्वीकार किया है, पुष्टि की है और घोषित किया है और इसकी सटीकता और शुद्धता प्रमाणित की है:

पक्ष सहमत हैं कि यह अनुबंध उस दिन और उस स्थान पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा जहां इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

निम्न द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन किया गया, स्वीकार किया गया, प्रमाणित किया गया, हस्ताक्षरित किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामित लोनदाता, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया

अनुसूची

भाग **A**

इस अनुबंध के निष्पादन की तिथि और स्थान	
उधारकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण	नाम: पता: ईमेल आईडी: फोन नंबर:
सह-उधारकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण	

विवरण	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
नाम:			
पता:			
ईमेल आईडी:			
फोन नंबर:			

विवरण	सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6
नाम:			
पता:			
ईमेल आईडी:			
फोन नंबर:			

लोन का उद्देश्य	
स्वीकृति पत्र	दिनांक: डील आईडी:
आवेदन संख्या:	
एलएएन संख्या:	
लोन की मूल राशि	नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार
लोन की अवधि	नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार
वार्षिक प्रतिशत दर	नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार
ब्याज दर	नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार
ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई और पीईएमआईआई का विवरण	पीईएमआईआई की राशि: नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की राशि: नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

अग्रिम ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई की संख्या	
दंडात्मक शुल्क	नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार
पुनर्भुगतान की आवृत्ति	अलग से दिए गए भुगतान अनुसूची के अनुसार
ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई/पीईए मआईआई की नियत तिथियां	अलग से दिए गए भुगतान अनुसूची के अनुसार
मूलधन और ब्याज का विभाजन	अलग से दिए गए भुगतान अनुसूची के अनुसार
नोडल शिकायत निवारण अधिकारी और शिकायत निवारण तंत्र का विवरण	*संबंधित संचालन क्षेत्रों के लिए नोडल शिकायत निवारण अधिकारी और शिकायत निवारण प्रक्रिया के विवरण हेतु कृपया वेबसाइट* ***https://www.indostarcapital.com/contact-us*** *देखें।*
एसएमए/एनपीए उदाहरण	*उदाहरण: अगर किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के दिन की अंत की प्रक्रिया समाप्ति से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती, तो देय राशि की तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। अगर देय राशि भुगतान फिर भी नहीं किया जाता है, तो 30 दिनों की लगातार देयता पूरी होने पर 30 अप्रैल 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर यह खाता एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार, उस खाते की एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।* *इसी तरह, अगर खाता लगातार देय रहता है, तो 30 मई 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर इसे एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और अगर देय राशि और अधिक समय तक बकाया रहती है, तो 29 जून 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।* *यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल सभी बकाया राशि सहित ब्याज और मूलधन का भुगतान करने पर ही (सिवाय उन मामलों के जहां किसी लोन की मांग के लिए नोटिस जारी की गई हो या इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन/ वसूली कार्यवाही शुरू की गई हो) उधारकर्ता के लोन खाते का वर्गीकरण मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक (स्टैंडर्ड) में उन्नत किया जा सकता है।*
सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत संपत्ति और अन्य सुरक्षा हित का विवरण:	
कैलेंडर वर्ष में पूर्व भुगतान की अधिकतम आवृत्ति	
उपलब्ध अवधि	30 (तीस) दिन
शुल्क और प्रभार	नीचे दी गई अनुसूची के भाग B में निर्धारित अनुसार
वितरण	वितरण अनुरोध फॉर्म में दर्ज बैंक खाते में वितरण

भुगतान साधनों का विवरण; पीडीसी/ईसीएस: ________________

बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	किश्त की राशि (₹ में)

पीडीसी के लिए अतिरिक्त विवरण: चेक सबमिशन फॉर्म के अनुसार

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

भाग **B**

1.	लोन प्रस्ताव/खाता नंबर		ऋण का प्रकार	
2.	सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)			
3.	वितरण अनुसूची (i) वितरण चरणों में या 100% अग्रिम: (ii) अगर यह चरणवार है, तो लोन अनुबंध के लागू विवरण वाले खंड का उल्लेख करें		वितरण एकमुश्त या किश्तों/ट्रैंचेस में किया जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया लोन अनुबंध का खंड 4 देखें।	
4.	लोन अवधि (वर्ष/महीने)			
5.	किस्तों का विवरण			

ईएमआई/ईपीआई के संबंध में	किश्त का प्रकार	ईपीआई/ईएमआई की संख्या:	ईपीआई/ईएमआई (₹ में)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
पीईएमआईआई के संबंध में	किश्त का प्रकार	पीईएमआईआई की संख्या	पीईएमआईआई (रुपयों में)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत

6.	ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड):	फिक्स ब्याज दर @ ______%
7.	फ्लोटिंग दर्ज ब्याज की स्थिति में अतिरिक्त जानकारी:	लागू नहीं
8.	फीस/शुल्क	

		लोनदाता को देय (A)		लोनदाता के माध्यम से थर्ड पार्टी को देय (B)	
		एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जहां लागू हो)	एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जहां लागू हो)
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बीमा शुल्क (अगर उधारकर्ता द्वारा चुना गया हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(a) संपत्ति बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(b) स्वास्थ्य बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(c) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
(iii)	संपत्ति की जांच/ निरीक्षण के लिए शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	दस्तावेज शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	स्टांपिंग शुल्क	एकमुश्त	वास्तविक अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	सुरक्षा निर्माण शुल्क	एकमुश्त	वास्तविक अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	गैप-डे ब्याज:	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	मॉरगेज उत्पत्ति शुल्क	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)				

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

9.	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर % में) (एपीआर की गणना के लिए भाग C देखें)	

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

10.	आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)	
(i)	देर से भुगतान पर दंड शुल्क (अगर कोई हो)	विलंबित भुगतान पर प्रति वर्ष 36%
(ii)	अन्य दंड शुल्क (अगर कोई हो, विवरण दें)	
(a)	चेक अस्वीकृति/चेक/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेस बाउंस शुल्क	₹ 500 प्रति बाउंस
(b)	डुप्लिकेट नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) शुल्क	₹ 500 प्रति समाप्त/खोया एनओसी
(c)	स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुल्क	₹ 500
(d)	स्वैपिंग शुल्क (ईसीएस/एनएसीएच/पोस्ट डेटेड चेक से)	₹ 1000
(e)	रोल ओवर पोस्ट डेटेड चेक शुल्क	₹ 500
(f)	नॉन पोस्ट डेटेड चेक शुल्क (नकद भुगतान मोड)	₹ 500
(g)	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन और नोटिस शुल्क	वास्तविक अनुसार
(h)	प्रवर्तन शुल्क	वास्तविक अनुसार
(i)	आउटस्टेशन चेक कलेक्शन शुल्क	वास्तविक अनुसार
(j)	संपत्ति की मरम्मत से संबंधित शुल्क	वास्तविक अनुसार
(k)	किसी भी कार्रवाई/प्रक्रिया के शुल्क और खर्च	वास्तविक अनुसार
(l)	दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शुल्क	लोन समापन के बाद मुफ्त, अन्यथा प्रत्येक पुनर्प्राप्ति पर 1000/- रुपये
(m)	कानूनी शुल्क	वास्तविक अनुसार
(n)	लोन कैंसल करने का शुल्क (यदि लोन कूलिंग अवधि के बाद कैंसल किया जाता है)	न्यूनतम ₹ 3000/- या या जितने दिन** ब्याज हो, जो भी ज्यादा हो
(o)	सुरक्षा सुरक्षा शुल्क	वास्तविक अनुसार
(p)	भुगतान कलेक्शन शुल्क (एफवीसी)	₹ 200 प्रति लेनदेन
(q)	दस्तावेजों की सूची प्रदान करने के लिए शुल्क	₹ 500/-
(r)	पूर्वसमापन विवरण	शून्य
(s)	ब्याज प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शुल्क	₹ 200/- (प्रत्येक तिमाही के लिए एक बार मुफ्त)
(t)	रजिस्टार/ सब-रजिस्टार कार्यालय को मॉरगेज की जानकारी की सूचना (अगर लागू हो)	उधारकर्ता को अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर शुरू और पूर्ण करना होगा
(u)	प्रभार के लिए आरओसी की सूचना (जहां संपत्ति का मालिक कोई कंपनी है)	उधारकर्ता को अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर शुरू और पूर्ण करना होगा
(v)	सीईआरएसएआई शुल्क	प्रति संपत्ति 100/- रुपये

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

(w)	पूर्वसमापन शुल्क/ आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क	बकाया मूलधन का 4%
(x)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)	

**सभी शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं हैं*

***दिनों की संख्या: वितरण की तिथि से लेकर पूर्ण कैंसल राशि प्राप्त होने की तिथि तक।*

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

पुनर्भुगतान अनुसूची

किश्त संख्या	बकाया मूल	मूल राशि	ब्याज	किश्त

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

किश्त संख्या	बकाया मूल	मूल राशि	ब्याज	किश्त

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

किश्त संख्या	बकाया मूल	मूल राशि	ब्याज	किश्त

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

<u>मांग वचन पत्र</u>

₹ ____ /-

मांग पर, मैं/हम नीचे दर्ज (उधारकर्ता/उधारकर्ताओं, जिसमें सभी सह-उधारकर्ता (अगर कोई हो) और उनके उत्तराधिकारी, वारिस, सह-भागीदार, साझेदार, ट्रस्टी और/या अनुमत समनुदेशिती, जैसा भी मामला हो, शामिल होंगे) संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ और शाखा कार्यालय ____ (जिसे आगे "आईसीएफ" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसका अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, हस्तांतरित व्यक्ति और नवपात्र व्यक्ति होंगे और इसमें शामिल हैं) को ₹ ____ /- (केवल रूपये ____) की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, साथ ही वार्षिक प्रतिशत दर पर देय राशि और लोन अनुबंध दिनांक ______________________________ के अनुसार उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली सभी अन्य राशियां, जो कि उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और लोनदाता ("लोन अनुबंध") के बीच निष्पादित की गई हैं, उसका भुगतान करने का वचन देते हैं।

यहां प्रयुक्त कैपिटल शब्दों का अर्थ वही होगा जैसा कि लोन अनुबंध में निर्दिष्ट है।

₹1 राजस्व स्टाम्प संलग्न करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)	₹1 राजस्व स्टाम्प संलग्न करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)	₹1 राजस्व स्टाम्प संलग्न करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)	₹1 राजस्व स्टाम्प संलग्न करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)

उधारकर्ता इसके द्वारा संयुक्त और अलग-अलग आधार पर पुष्टि करते हैं कि उन्होंने इस मांग वचन पत्र में दर्ज शर्तें पढ़ी और समझी हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

स्थान: ____________________________________

दिनांक:_____________________

डिमांड प्रॉमिसरी नोट के लिए निरंतरता पत्र

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ("आईसीएफ")

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, मैंने/हमने नीचे दर्ज (उधारकर्ता/उधारकर्ताओं, जिसमें सभी सह-उधारकर्ता, अगर कोई हो, शामिल हैं) ने ₹ ____/- (केवल रूपये ____) का मांग वचन पत्र दिनांक ____ ("मांग वचन पत्र") निष्पादित किया है, जिसे मैंने/हमने सही ढंग से हस्ताक्षरित कर आपको सौंपा है, जो कि आईसीएफ को मेरे/हमारे द्वारा सभी वर्तमान या भविष्य में देय राशियों के भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में है, जो लोन अनुबंध दिनांक ____ के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा आईसीएफ को लोन अनुबंध के अनुसार देय हो सकती है या इसके बाद देय हो सकती है, जो उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और आईसीएफ के बीच निष्पादित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ("लोन अनुबंध"), इस तथ्य के बावजूद कि लोन या अग्रिम या खाता समय-समय पर घटाया या समाप्त किया जा सकता है या उक्त खाते में शेष राशि जमा की जा सकती है, इसका उद्देश्य यह है कि उक्त मांग वचन पत्र और सुरक्षा आईसीएफ के लिए निरंतर सुरक्षा होगी, जब तक कि हमारे द्वारा किसी भी समय लिया गया कोई भी उधार संपूर्ण लोन लोन अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्णतया चुकाया न जाए।

मैं/हम इसके द्वारा सहमत होते हैं, पुष्टि करते हैं और यह वचन देते हैं कि:

(a) उक्त मांग वचन पत्र आपके लिए एक निरंतर सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा और वित्तीय दस्तावेजों के तहत और/या लोन के संबंध में अभी या इसके बाद देय किसी भी और सभी राशियों के पुनर्भुगतान के लिए लागू करने योग्य होगा; और

(b) मैं/हम उक्त मांग पत्र के तहत जिम्मेदार रहेंगे, भले ही समय-समय पर आईसीएफ को लोन या उससे संबंधित किसी अन्य राशि का भुगतान करने से उक्त लोन समय-समय पर घटाया या समाप्त किया गया हो, जब तक कि लोन अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

जब तक यहां अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दिया गया है।

इस दस्तावेज को एक वित्तीय दस्तावेज माना जाएगा।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि डिमांड प्रॉमिसरी नोट प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष की अवधि के अंत में और/या ऐसे समय पर जैसा कि लोनदाता द्वारा अनुरोध किया जाए, पुनः वैध किया जाए।

उधारकर्ता संयुक्त और अलग-अलग आधार पर इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उन्होंने इस निरंतरता पत्र में दर्ज डिमांड प्रॉमिसरी नोट की नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता है।

स्थान: ____________________
दिनांक: ______________________

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

<u>अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी (पावर ऑफ अटॉर्नी)</u>
<u>("पावर ऑफ अटॉर्नी ")</u>

उन सभी के लिए जिन्हें ये प्रस्तुतियां प्राप्त होंगी,

मैं/हम, उधारकर्ता जैसा कि यहां अनुसूची में उल्लेख किया गया है ("उधारकर्ता", जिसमें संदर्भ के विरुद्ध न होने तक सह-उधारकर्ता, अगर कोई हो, शामिल माना जाएगा जैसा कि यहां अनुसूची में विस्तृत है और (a) एक व्यक्ति के मामले में, उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती, (b) एक एकल स्वामित्व फर्म के मामले में, प्रोपराइटर (व्यक्तिगत क्षमता और संस्थान के प्रोपराइटर दोनों के रूप में) और उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, अनुमत समनुदेशिती और संस्थान के उत्तराधिकारी, (c) एक कंपनी के मामले में, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती, (d) एक सीमित देयता भागीदारी के मामले में, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती, (e) एक साझेदारी फर्म के मामले में, प्रत्येक भागीदार और उनमें से जीवित व्यक्ति और समय-समय पर भागीदार (व्यक्तिगत क्षमता और फर्म के भागीदारों दोनों के रूप में) और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, अनुमत समनुदेशिती और फर्म के उत्तराधिकारी, (f) एक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में, कर्ता और एचयूएफ का कोई भी या प्रत्येक सह-दायक और सदस्य और उनके जीवित व्यक्ति और उसके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती, और (g) एक ट्रस्ट के मामले में, ट्रस्ट के तत्कालीन ट्रस्टी और/या लाभार्थी और ट्रस्टियों और/या लाभार्थियों के जीवित व्यक्ति और अंतिम जीवित ट्रस्टी और/या लाभार्थी के हित-उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और उनके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती),

शुभकामनाएं भेजें,

मेरे/हमारे अनुरोध पर, यहां अनुसूची में दर्ज लोन अनुबंध ("लोन एग्रीमेंट") के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ("आईसीएफ", जिस अभिव्यक्ति का अर्थ, जब तक कि वह संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, हस्तांतरिती और नोवेटी होगा) और जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ में स्थित है, ने मुझे/हमें वित्तीय दस्तावेजों (जैसा कि लोन अनुबंध में परिभाषित है) में निहित नियमों और शर्तों पर यहां अनुसूची में दर्ज अधिकतम मूल राशि ("लोन") तक की वित्तीय सुविधाएं प्रदान की हैं/प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

लोन की मंजूरी और उधारकर्ता द्वारा लोन के लिए देय पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने की शर्तों में से एक के रूप में, ब्याज दर, दंड शुल्क (*अगर लागू हो*), ईएमआई/ईक्यूआई/ईएचआई, पीईएमआईआई, शुल्क, फीस, लागत, खर्च और वित्तीय दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा आईसीएफ को देय अन्य सभी राशि (बकाया राशि) के साथ, उधारकर्ता ने आईसीएफ के पक्ष में नीचे लिखी अनुसूची में दर्ज अचल संपत्ति (संपत्ति) पर पहला और अनन्य बंधक/ न्यायसंगत बंधक बनाने/निर्मित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि बंधक विलेख/स्वामित्व दस्तावेजों को जमा करने के लिए प्रविष्टि ज्ञापन के माध्यम से उधारकर्ता की है।

लोन अनुबंध में दर्ज व्याख्या के नियम इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर लागू होंगे जैसे कि वे पूरी तरह से इस पावर ऑफ अटॉर्नी में दर्ज हों।

इस पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए कैपिटल अक्षरों वाले शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ लोन अनुबंध / वित्तीय दस्तावेजों में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

और जबकि उधारकर्ता अब आईसीएफ को अपना/अपने/अपनी विधिपूर्वक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहता/चाहते हैं और आईसीएफ के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करना चाहता/चाहते हैं, जिसके द्वारा आईसीएफ को संपत्ति या उनमें से किसी के संबंध में कार्य करने और उससे संबंधित सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

अतः यह सर्वविदित हो और इन प्रस्तुतियों द्वारा साक्ष्यित किया जाता है कि उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना किसी शर्त के आईसीएफ को, जो अपने किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि (आगे "उक्त अटॉर्नी ") के माध्यम से कार्य करेगा, अपने नाम से, अपने/अपनी ओर से और अपने/अपनी लागत और जोखिम पर, अपना विधिपूर्वक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त, नामित और स्थापित करता/करते हैं, ताकि वह निम्नलिखित सभी या किसी भी कार्य, कृत्य, विषय और बातों को करे, निष्पादित करे और संपन्न करे, अर्थात्:

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

1. किसी भी डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होने पर, आईसीएफ जिस प्रकार और जिस तरीके को उपयुक्त समझे, उस प्रकार से संपत्ति के संबंध में कार्य करने और उसके संदर्भ में ऐसे विलेख, दस्तावेज और लिखित पत्र निष्पादित करने और ऐसे कार्य करने और कदम उठाने के लिए, जो आईसीएफ को सभी बकाया राशियों के विधिवत पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हों।
2. किसी भी डिफॉल्ट की घटना पर, संपत्ति के अधिवासी से संपत्ति का कब्जा लेना।
3. किसी भी डिफॉल्ट की घटना पर, संपत्ति के किरायेदार / लाइसेंसी / अधिवासी से किसी भी किराया या मुआवजा प्राप्त करना और उसका वैध और प्रभावी रसीद और सेटलमेंट देना और उसे आईसीएफ को बकाया राशि के खिलाफ समायोजित करना।
4. उधारकर्ता को गारंटीड संपत्ति के किसी भी हिस्से की बिक्री या सेटलमेंट या इसके संबंध में उधारकर्ता के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या लोनदाता को गारंटीकृत संपत्ति पर बनाए गए सुरक्षा हित का पूरा लाभ देने के लिए उधारकर्ता के किसी भी अधिकार का प्रयोग करना।
5. इस दस्तावेज और किसी भी अनुबंध या कृत्य या लेखन (जिसमें मॉरगेज कृत्य / टाइटल दस्तावेज जमा करने का ज्ञापन शामिल है) को पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार या एसआरओ के समक्ष प्रस्तुत करना और इसके निष्पादन को स्वीकार करना और इसे पंजीकृत प्राप्त करना।
6. उधारकर्ता की ओर से एसआरओ / किसी भी सोसाइटी / किसी भी सरकारी निकाय / डेवलपर / किसी भी नियामक प्राधिकरण / किसी अन्य कार्यालय/विभाग समक्ष उपस्थित होना और प्रतिनिधित्व करना।
7. संपत्ति के मॉरगेज और किसी भी मॉरगेज कृत्य / टाइटल दस्तावेज जमा करने के ज्ञापन के पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र और मंजूरी प्राप्त करना।
8. संपत्ति के बंधक के संबंध में सोसाइटी/कॉनडोमिनियम/कंपनी और किसी भी प्राधिकरण या निकाय (जिसमें शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत सक्षम प्राधिकारी भी शामिल है) से आवश्यक सहमति और अनुमति के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करना।
9. संपत्ति के हित की सुरक्षा के लिए किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण, बीमा कंपनी या अन्य प्राधिकरण को शुल्क, टैक्स, दंड, प्रीमियम, कर या अन्य बकाया राशि का भुगतान करना।
10. सुविधादाता के रूप में कार्य करना और किसी भी बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना और/या मेरे/हमारे लागत, प्रभार और व्यय पर ऐसे बीमा को कराना, नवीनीकृत करना, जिसकी प्रतिपूर्ति मेरे/हमारे द्वारा लोनदाता को की जाएगी।
11. किसी भी अदालत, न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना और संपत्ति से संबंधित किसी भी मामले में कार्यवाही शुरू करना, कायम रखना, न्यायालय में पेश करना या बचाव करना।
12. लोनदाता द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करना/बदलना, और सभी वकालतनामे, याचिकाएं, दस्तावेज, ज्ञापन, पिटीशन और अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करना, सत्यापित करना और उन्हें किसी भी न्यायालय/ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना।
13. किसी भी लिखित आदेश, समन या किसी अन्य न्यायिक प्रक्रिया की सेवा स्वीकार करना।
14. संपत्ति से संबंधित उधारकर्ता द्वारा या उधारकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के संबंध में आवश्यक होने पर याचिकाएं, लिखित उत्तर, शपथ पत्र, प्रत्युत्तर और अन्य ऐसे कागजात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, पुष्टि करने, घोषणा करने और उन्हें दाखिल करना।
15. संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने के लिए वार्ता करना, अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देना और उस पर हस्ताक्षर करना, ऐसे शर्तों और नियमों पर अनुबंध करना, जिन्हें अभिकर्ता उपयुक्त समझे, और किसी भी न्यायालय, मध्यस्थ, अपीलीय निकाय या ट्रिब्यूनल के समक्ष सहमति शर्तों को दाखिल करना।
16. उधारकर्ता की ओर से किसी भी पत्र, दस्तावेज, कागजात पर हस्ताक्षर करना, जिसमें सहमति पत्र, अनुबंध और/या अनुबंध दस्तावेज शामिल हैं।
17. संपत्ति के मामलों से संबंधित या किसी भी प्रकार से उसे प्रभावित करने वाले किसी भी विवाद या मामले के संबंध में बयान देने, निपटारा करने, अनुबंध करने, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने, वापस लेने, अपील या अन्य कार्यवाही दायर करने के लिए।
18. संपत्ति के संबंध में मॉरगेज विलेख या स्वामित्व विलेख जमा करने के प्रविष्टि ज्ञापन के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए।
19. ऐसे सभी कार्य, विलेख और चीजें करना जिनकी आवश्यकता हो सकती है और ऐसे सभी विलेखों, दस्तावेजों और लेखों (मॉरगेज डीड/स्वामित्व विलेखों के जमा करने के लिए प्रविष्टि ज्ञापन सहित) को उधारकर्ता की लागत और खर्च पर आईसीएफ के पक्ष में बनाना, निष्पादित करना, हस्ताक्षर करना, सील करना और वितरित करना और पंजीकृत कराना, आईसीएफ के पूर्ण विवेकानुसार (जो विवेक उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा) सभी ऐसी संधियों, शर्तों, घोषणाओं, अनुबंध और शर्तों के साथ करना, जो आवश्यक समझी जा सकती हैं, जैसा कि लोन अनुबंध के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए और उसके तहत बनाए गए सुरक्षा हित के संरक्षण, प्रवर्तन और प्राप्ति के लिए आवश्यक हो सकता है।
20. लोनदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने पर सभी डीड, दस्तावेज और आश्वासन निष्पादित करना और सभी आवश्यक कार्य और औपचारिकताएं पूर्ण करना, और लोनदाता या उसके नामित व्यक्ति के पक्ष में सभी हलफनामे, पावर ऑफ अटॉर्नी , पत्र, हस्तांतरण, असाइनमेंट और आश्वासन निष्पादित करना, ताकि उक्त संपत्ति

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

पर लोनदाता का स्वामित्व पूर्ण रूप से स्थापित किया जा सके या संपत्ति को लोनदाता, उसके नामित व्यक्ति या उसके किसी खरीदार के नाम हस्तांतरित किया जा सके।

21. मेरे/हमारे द्वारा लिए गए लोन के पूर्ण पूर्व भुगतान/फोरक्लोजर और/या पूर्ण और अंतिम भुगतान/मुक्ति के लिए भुगतान हेतु मेरी/हमारी ओर से प्रस्तुत चेक को संबंधित बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या किसी अन्य व्यक्ति के पास जमा करना/सौंपना और उक्त चेक के लिए रसीद प्राप्त करना/स्वीकार करना और संबंधित बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या किसी अन्य व्यक्ति से पूर्ण और अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र/पत्र या कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र, प्रभार/लियन/बंधक से मुक्ति का प्रमाणपत्र, मौजूदा वित्तपोषक के पास उधारकर्ताओं द्वारा जमा किए गए मूल टाइटल डीड और अन्य सभी दस्तावेज/कागजात इत्यादि और उनकी प्रतियां प्राप्त करना जैसा कि उधारकर्ताओं ने अपने मौजूदा वित्तपोषकों के पास जमा किया है।
22. मेरे/हमारे द्वारा संबंधित बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त की गई वित्तीय सुविधा और/या ऐसे बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बनाए गए भार के संबंध में सभी दस्तावेजों को एकत्र करना और प्राप्त करना और उस प्रयोजन के लिए प्रभावी निर्वहन करना और उस संबंध में प्रभावी निर्वहन देना।
23. संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज, जो किसी बैंक, और/या वित्तीय संस्थान, और/या किसी अन्य व्यक्ति के पास रखे गए हैं, को एकत्रित करना और उक्त एकत्रित दस्तावेज आईसीएफ को प्रस्तुत करना।
24. किसी भी व्यक्ति से (जिसमें बीमा कंपनियां भी शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) संपत्ति या अन्यथा संबंध में, वित्तीय दस्तावेजों के तहत डिफॉल्ट की घटना पर संपर्क करना, बीमा कंपनियों से दावा करना और प्राप्त राशि को उधारकर्ता द्वारा वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय राशि के भुगतान में समायोजित करना।
25. आईसीएफ की सहायता के लिए वकील, अकाउंटेंट और अन्य पेशेवर योग्य व्यक्ति नियुक्त करना ताकि ऊपर दर्ज सभी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और लोन और सुविधा दस्तावेजों में दर्ज सभी शर्तों, नियमों और प्रावधानों का पालन किया जा सके।
26. उधारकर्ता से प्राप्त होने वाले किसी भी भुगतान के संबंध में किसी भी सरकारी या अन्य प्राधिकरण (जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है) को देय टैक्स, शुल्क, देय राशि और मांगों का भुगतान करना, और आईसीएफ के हितों की रक्षा के लिए आईसीएफ द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले सभी अन्य कार्य, विलेख और कार्रवाइयां करना।
27. इन प्रस्तुतियों के तहत अनुमत कार्यों को सक्षम बनाने के लिए किसी भी प्राधिकरण से सहायता लेना, जिसमें पुलिस या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।
28. यहां निहित सभी, कोई एक या एक से अधिक शक्तियों, प्राधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रत्यायोजित करना और किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रतिस्थानी या प्रतिस्थानियों की नियुक्ति करना, जैसा कि लोनदाता समय-समय पर इच्छित करें।
29. सामान्य रूप से लोनदाता के हित की रक्षा के उद्देश्य से किसी भी अन्य कार्य, कृत्य या मामले को पूरा करना, निष्पादित करना और संपन्न करना।

और आम तौर पर, इन निर्णयों से संबंधित या उनसे संबंधित या उनसे संबंधित सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू करना, निष्पादित करना और ऐसे निष्पादित करना जैसे कि उधारकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं ही इन्हें किया हो, निष्पादित किया हो या पूरा किया हो।

उधारकर्ता सहमति देता है कि आईसीएफ को दिए गए सभी या किसी भी अधिकारों का प्रयोग आईसीएफ द्वारा लिखित रूप में नामित किसी भी अधिकारी या अधिकारियों या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / अधिकारी / अटॉर्नी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत रूप में किया जा सकता है, जिसे उस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो।

और उपरोक्त मामलों और कार्यों को बेहतर ढंग से करने, निष्पादित करने और संपन्न करने के लिए, उधारकर्ता इस प्रकार आईसीएफ को पूर्ण अधिकार और शक्ति प्रदान करता है कि वह अपनी जगह पर, जिस शर्तों पर उचित समझे, एक या अधिक अटॉर्नी (प्रतिनिधि अटॉर्नी) नियुक्त कर सके, जो उधारकर्ता की ओर से अटॉर्नी के रूप में संपत्ति से संबंधित किसी भी या सभी अधिकार और प्राधिकरण का प्रयोग कर सकेंगे (जैसा कि आईसीएफ निर्दिष्ट कर सकता है), और किसी भी ऐसी नियुक्तियों को कैंसल कर सके और समय-समय पर उचित समझे जाने पर ऐसे प्रतिनिधि अटॉर्नी की जगह अन्य किसी या अन्य अटॉर्नी को नियुक्त या बदल सके।

उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि आईसीएफ द्वारा किसी भी अधिकार/शक्ति/विशेषाधिकार का प्रयोग करने में कोई भी असफलता या विलंब उसे त्याग नहीं माना जाएगा, न ही ऐसे किसी अधिकार/शक्ति/विशेषाधिकार का प्रयोग किसी अन्य अधिकार/शक्ति या विशेषाधिकार के किसी अन्य या आगे के प्रयोग को रोकेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

और उधारकर्ता इसके द्वारा पुष्टि करता है कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी हित से जुड़ा है और प्रतिफल के बदले दिया गया है और यह अपरिवर्तनीय होगा और उधारकर्ता द्वारा वित्तीय दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों के पालन के लिए सुरक्षा के रूप में दिया गया है और तब तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा जब तक कि उधारकर्ता द्वारा लोन/बकाया राशि के संबंध में देय संपूर्ण बकाया राशि, चाहे वह लोन अनुबंध के तहत हो या अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तहत या अन्यथा, आईसीएफ की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण, अंतिम और उचित रूप से चुका नहीं दी जाती है। आईसीएफ या किसी प्रतिस्थापित अटॉर्नी द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसल नहीं किया गया है, किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्णायक माना जा सकता है और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

और उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि सभी अनुबंध, रसीद, दस्तावेज, कार्य, मामला और चीज जिसे आईसीएफ या उसके किसी भी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पूर्वोक्त रूप से नामित किया जाएगा, इन प्रस्तुतियों के आधार पर पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए बनाया, निष्पादित किया जाएगा या किया जाएगा, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उतना ही अच्छा, वैध और प्रभावी होगा जितना कि इसे उधारकर्ता द्वारा अपने नाम और व्यक्ति से निष्पादित या किया गया हो।

और उधारकर्ता इसके द्वारा उन सभी कार्यों की पुष्टि करता है और उन सभी कार्यों की पुष्टि करने के लिए सहमत है जो आईसीएफ या इस संबंध में नामित उसका कोई भी अधिकारी या अधिकारी इन प्रस्तुतियों के आधार पर परिसर में या उसके संबंध में करेगा या करवाएगा।

और उधारकर्ता इसके द्वारा घोषित करता है कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई भी प्रावधान जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंधित या अप्रवर्तनीय है (जिसमें बिना किसी सीमा के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी की गई किसी भी अधिसूचना, दिशानिर्देश, परिपत्र के कारण शामिल है), वह उस अधिकार क्षेत्र में केवल उस प्रतिबंध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक ही प्रभावी होगा, लेकिन इससे इस पावर ऑफ अटॉर्नी के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे और न ही किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में ऐसे प्रावधान प्रभावित होंगे।

और उधारकर्ता इसके द्वारा घोषित करता है कि अगर कोई प्रावधान उधारकर्ता के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, तो वह, जहां तक हो सके, उधारकर्ता के बाकी सभी लोगों के खिलाफ लागू रहेगा। उधारकर्ता ऐसे प्रावधान या उसके हिस्से के इच्छित व्यावसायिक उद्देश्य को जहां तक संभव हो पूर्ण कानूनी प्रभाव देने के लिए सभी कदम उठाएगा, सभी दस्तावेज निष्पादित करेगा और वे सभी कार्य करेगा जो आईसीएफ द्वारा उचित रूप से आवश्यक हों।

यह पावर ऑफ अटॉर्नी भारत के कानूनों के अनुसार समझा और शासित किया जाएगा। उधारकर्ता इसके द्वारा स्वयं को अपरिवर्तनीय रूप से मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन करता है। आईसीएफ अपने पूर्ण विवेक से इस पावर ऑफ अटॉर्नी से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को किसी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य उपयुक्त मंच पर शुरू कर सकता है और उधारकर्ता इसके द्वारा उस क्षेत्राधिकार के लिए सहमति देता है।

मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने इस पावर ऑफ अटॉर्नी में दर्ज नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूं।

<u>अनुसूची</u>

निष्पादन का स्थान	
निष्पादन की तिथि	
लोन अनुबंध संख्या:	
लोन राशि	

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

उधारकर्ता का विवरण: नामः ____ पताः (निवास/पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का मुख्य स्थान) ____ ______________________________________

सह-उधारकर्ताओं का विवरणः

	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3	सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6
नाम						
पता						

संपत्ति का विवरण	

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

संपूर्ण उपयोग वचनपत्र

दिनांक: ____________

सेवा में,

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

श्रीमान,

विषय: लोन आवेदन/संदर्भ संख्या ____________________________ संबंधित लोन राशि रु. ____/- (केवल ____ रुपये) के लिए, जिसे नीचे हस्ताक्षरित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा, लोन अनुबंध दिनांक _______________________________________ ("लोन एग्रीमेंट") की शर्तों के अनुसार प्राप्त किया गया है, जो नीचे हस्ताक्षरित उधारकर्ताओं और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ("लोनदाता") के बीच निष्पादित किया गया है, और जिसका उद्देश्य इस दस्तावेज में नीचे दर्ज है।

मैं/हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले उधारकर्ता (जिस शब्द में सभी सह-उधारकर्ता, अगर कोई हो, और उनके प्रत्येक उत्तराधिकारी, वारिस, सह-साझेदार, साझेदार, ट्रस्टी और/या अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो), इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करते और कहते हैं कि हमने नीचे दर्ज उद्देश्य ("उद्देश्य") के लिए लोनदाता से लोन अनुबंध के तहत अधिक विस्तृत रूप से प्रदान की गई ऊपर दर्ज मूल राशि के लिए संपत्ति पर लोन शीर्षक के तहत लोन लिया है/ले रहे हैं।

मैं/हम लोन का उपयोग लोन अनुबंध में दर्ज उद्देश्य हेतु करेंगे। मैं/हम यह सुनिश्चित करते हैं कि लोनदाता द्वारा मुझे/हमें प्रदान किया गया/दिया जाने वाला लोन केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए इसे इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें कोई अवैध उद्देश्य और/या सट्टा आधारित उद्देश्य और/या विरोध-सामाजिक उद्देश्य / गतिविधियां शामिल हैं।

अगर यहां अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है तो सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ लोन अनुबंध में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

<u>वितरण अनुरोध पत्र</u>

दिनांक: ____________

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
____

श्रीमान,

विषय: रुपये _______________/- (रुपये ____ केवल) ("लोन") के लोन के तहत अनुसूची में दर्ज राशि के वितरण के लिए अनुरोध, जो ____ को संदर्भ संख्या _____________ ("स्वीकृति पत्र") वाले दिनांक ________________ के अनुमोदन पत्र में दर्ज नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया गया है जो इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा मुझे/हमें जारी किया गया है और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड और मेरे/हमारे बीच निष्पादित दिनांक _________________ ("लोन एग्रीमेंट") का लोन अनुबंध है।

मैं/हम केएफएस, स्वीकृति पत्र और लोन अनुबंध का संदर्भ देते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त लोन के तहत, स्वीकृति पत्र, लोन अनुबंध और लोन से संबंधित अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दर्ज शर्तों के अधीन, इस दस्तावेज की अनुसूची में दर्ज राशि को उसी अनुसूची में दर्ज व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में वितरित किया जाए।

अगर यहां अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है, तो सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा।

उपरोक्त वितरण के लिए बैंक खाता विवरण भी अनुसूची में प्रदान किया गया है।

मैं/हम आपको यह पुष्टि और आश्वासन देते हैं कि:

(i) मैंने/हमने लोन से संबंधित स्वीकृति पत्र, लोन अनुबंध और अन्य दस्तावेजों में दर्ज सभी नियमों और शर्तों (जिसमें पूर्वापेक्षित शर्तें शामिल हैं) का पालन किया है और हमारे सभी बयान, वारंटियां, और प्रतिज्ञाएं वर्तमान दिनांक तक सत्य, प्रभावी, वैध और आज की तिथि तक लागू हैं।
(ii) मैंने/हमने ऐसा कोई काम या बात नहीं की है जिससे लोन देने के आपके फैसले पर असर पड़ सकता हो।
(iii) कोई डिफॉल्ट या डिफॉल्ट की घटना (जैसा कि लोन अनुबंध में परिभाषित है) हुई नहीं है और न ही वर्तमान में अस्तित्व में है।
(iv) कोई ऐसी परिस्थिति या घटना मौजूद नहीं है जो किसी डिफॉल्ट या डिफॉल्ट की घटना को जन्म दे या उत्पन्न कर सके।

इस फॉर्म में प्रयुक्त सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें लोन अनुबंध में दिया गया है।

यह लोन वितरण अनुरोध अपरिवर्तनीय है।

धन्यवाद।
आपका विश्वासी,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

वितरण अनुरोध फॉर्म की अनुसूची

लोन राशि	₹	
लोन अनुबंध	लोन अनुबंध की तिथि	
ऋणकर्ता	जैसा कि लोन अनुबंध में दर्ज है	
	वितरण 1	वितरण 2
वितरित की जाने वाली राशि का विवरण		
जिस व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में राशि वितरित की जानी है उनका विवरण		
बैंक खाता विवरण:		
खाता धारक का नाम:		
खाता संख्या:		
खाता प्रकार:		
बैंक का नाम		
पता		
आईएफएससी कोड:		
यदि यह एक या अधिक हिस्सों में वितरण है, तो आंशिक वितरण की पुष्टि		

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	सह-उधारकर्ता 3
सह-उधारकर्ता 4	सह-उधारकर्ता 5	सह-उधारकर्ता 6	

पीएसएल घोषणा पत्र

दिनांक:

अंत
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

प्रिय महोदय,

मैं/हम ________________________________ पुष्टि करते हैं कि मेरी/हमारी निवेश राशि ₹ ______________________ और मेरा/हमारा टर्नओवर ₹ ____________________ है।

लोन का प्रकार	संपत्ति का उपयोग	भूमि स्वामित्व विवरण	पीएसएल श्रेणी	टिप्पणी	जो लागू हो उसे चुनें
अन्य वाहन लोन		उपकरण में निवेश -			
		1 करोड़ से कम का निवेश और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर	M1	सूक्ष्म उद्यम	
		10 करोड़ से कम का निवेश और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर	M2	लघु उद्यम	
		50 करोड़ से कम का निवेश और 250 करोड़ से कम का टर्नओवर	M3	मध्यम उद्यम	

मैं/हम जानते हैं कि इसी प्रतिनिधित्व, घोषणा और पुष्टि के विश्वास पर आप वित्तीय सहायता के लिए मेरे उपरोक्त आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपरोक्त घोषणा आपकी लोनदाता बैंक कोप्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग श्रेणी के तहत उधारकर्ता की श्रेणी की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

धन्यवाद,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

वचनपत्र सह सहमति पत्र

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, ("इंडोस्टार")

प्रिय महोदय/महोदया,

इंडोस्टार से वित्तीय उत्पादों और/या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में, मैं/हम, उधारकर्ता, इसके द्वारा संयुक्त और अलग-अलग रूप से, निम्न के लिए इंडोस्टार को अपनी स्वैच्छिक और स्पष्ट सहमति देते हैं:

(a) किसी भी स्रोत या व्यक्ति या संस्था से, जिसे इस संबंध में मेरे/हमारे द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो, (मेरे/हमारे व्यक्तिगत डेटा सहित) किसी भी जानकारी को इकट्ठा करना, प्राप्त करना, मांगना और/या प्राप्त करना, जिसमें केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री ("सीकेवाईसीआर") शामिल है, परंतु उस तक ही सीमित नहीं है;

(b) इंडोस्टार से लिए गए लोन की अवधि के दौरान, इंडोस्टार को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, डेटा, दस्तावेज प्रदान करना जो इंडोस्टार की आंतरिक 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) नीति के अनुसार आवश्यक हो या अन्यथा केवाईसी के दृष्टिकोण से इंडोस्टार द्वारा आवश्यक हो; और

(c) मेरी/हमारी जानकारी को सत्यापन और/या प्रमाणीकरण के उद्देश्य से या लोन, लोन अनुबंध और/या इंडोस्टार के साथ निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज के संबंध में उपयोग/प्रक्रिया करना।

इस अंडरटेकिंग और सहमति पत्र के उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत डेटा का अर्थ सभी व्यक्तिगत जानकारी/डेटा से होगा, जिसमें मेरी/हमारी नाम, आवासीय पता, संपर्क विवरण, जन्म तिथि, कोई भी वित्तीय डेटा, मेरी/हमारी चल संपत्तियों से संबंधित डेटा, रोजगार विवरण और कोई अन्य पहचान विवरण शामिल है, जो मैंने/हमने या मेरी/हमारी ओर से इंडोस्टार को उपलब्ध कराया है, और वह सूचना जो इंडोस्टार ने मेरे/हमारे आवेदन पत्र, लोन अनुबंध, बीमा और अन्य दस्तावेजों के परिणामस्वरूप प्राप्त की है।

मैं/हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए, मुझसे/हमसे डाक द्वारा, टेलीकॉल और टेक्स्ट मैसेज और मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर *(नीचे परिभाषित)* पर व्हाट्सऐप के माध्यम से, या इंडोस्टार के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर, सोशल मीडिया, फैक्स, इसकी ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा या किसी अन्य माध्यम (लेकिन मेरे/हमारे निर्देशों और/या कानून के विपरीत तरीके से नहीं) से संपर्क किया जा सकता है।

इसके अलावा, मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम इंडोस्टार की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपना मोबाइल नंबर *(आधार के साथ पंजीकृत)* को नहीं बदलेंगे या अपडेट नहीं करेंगे, जो इंडोस्टार के रिकॉर्ड में पंजीकृत है।

मैं/हम यह घोषणा और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताई गई सहमति स्पष्ट है और मैंने/हमने अपने विवेक से दी है।

मैं/हम इस प्राधिकरण और वचन पत्र की प्रकृति को समझते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त सहमति लोन की अवधि के दौरान और लागू कानून, नियम/निर्देशों के अनुसार निरंतर बनी रहेगी।

जब तक यहां अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, सभी कैपिटल अक्षरों में लिखे गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दिया गया है।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 3 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 4 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 5 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया	नामांकित सह-उधारकर्ता 6 द्वारा हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया

[यह पेज जानबूझकर खाली छोड़ा गया है]

[यह पेज जानबूझकर खाली छोड़ा गया है]

मांग प्रतिज्ञा पत्र

मांग पर, मैं/हम, जैसा कि नीचे उल्लिखित है (जिसे आगे "उधारकर्ता/उधारकर्ता(ओं)" कहा जाएगा, जिसमें सभी सह-उधारकर्ता, यदि कोई हों, शामिल होंगे), संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ तथा शाखा कार्यालय ____ पर स्थित है (जिसे आगे "**ऋणदाता**" कहा जाएगा, और जहाँ संदर्भ अनुमति देता है, इसमें उसके उत्तराधिकारी और अभिकर्ता भी शामिल माने जाएंगे), को रुपये ______ **केवल इक्कीस लाख पचास हज़ार**____/- (रुपये ____ मात्र) की राशि, साथ ही ब्याज की दर पर देय राशि और उधारकर्ता द्वारा दिनांक ____________________ को उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित ऋण-सह-हाइपोथिकेशन अनुबंध ("**ऋण अनुबंध**") के अनुसार देय अन्य सभी राशियों सहित, भुगतान करने का वचन देता/देते हैं।

यहाँ प्रयुक्त बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द, जिनकी यहाँ परिभाषा नहीं दी गई है, उनके अर्थ वही होंगे जो ऋण अनुबंध में निर्दिष्ट किए गए हैं।

[रु.1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ और रद्द करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)]	[रु.1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ और रद्द करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)]	[रु.1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ और रद्द करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)]

उधारकर्ता(ओं) इस प्रकार संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से यह पुष्टि करते हैं कि उन्होंने इस मांग प्रतिज्ञा पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करते हैं।

ऑनलाइन स्वीकृति हेतु

द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन किया गया, स्वीकार किया गया, प्रमाणीकरण किया गया, हस्ताक्षरित और प्रदान किया गया:

स्थान: ____________________

दिनांक: ____________________